खण्ड-214, अंक-5
शुक्रवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1882
(29 जुलाई, 1960 ई0)

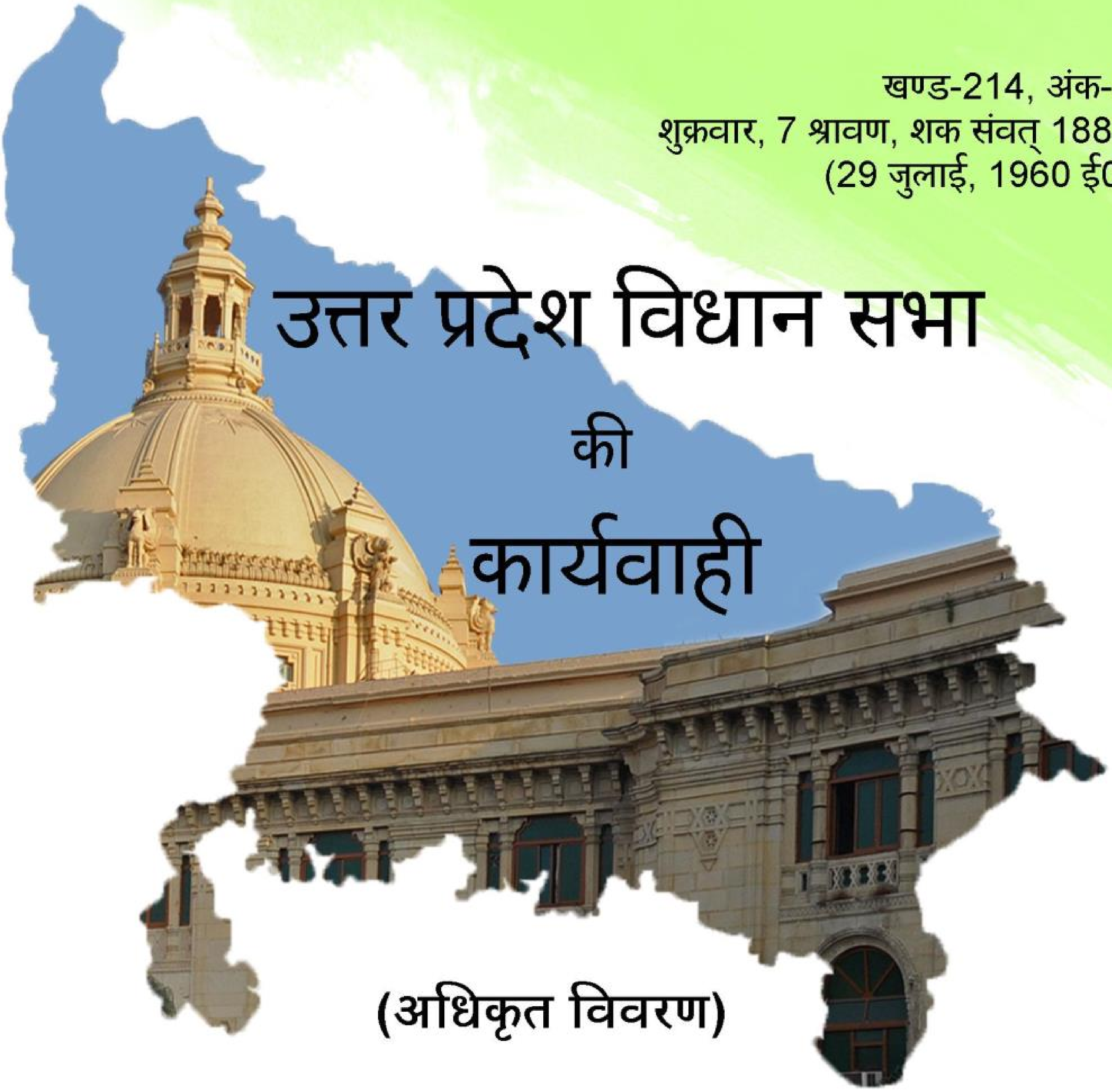

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 214 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २९ जुलाई, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६३

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल्लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खभा सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चितरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अग्रवाल, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पान्नीलाल, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जगुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पञ्चरराम, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटी हारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री

सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरब शसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २९ जुलाई, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हड़तालियों को दण्ड देने के संबंध में प्रदेशीय सरकार की नीति

***१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री नन्द राम (जिला प्रतापगढ़)**—क्या प्रदेशीय सरकार स्वयं अथवा केन्द्रीय सरकार की हिदायतों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे हड़ताल सम्बन्धी मुकदमों व अन्य कार्यवाहियों को वापस ले रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—प्रदेशीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि केन्द्रीय सरकार के हड़ताली कर्मचारी जिन्होंने अन्य हड़तालियों को न तो उकसाया न उनका नेतृत्व किया और जिन्होंने तोड़फोड़ (sabotage), मारपीट या धमकी देने का काम नहीं किया, तथा जो घोर दुर्व्यवहार के अपराधी नहीं थे यदि वे भविष्य में सद्व्यवहार रखने का उचित आश्वासन दें तो उनके विरुद्ध चलने वाले मुकदमें वापस ले लिये जायं। हड़तालियों के विरुद्ध किसी अन्य कार्यवाही से इस सरकार का सरोकार नहीं है।

***२—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री नन्द राम**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह उपरोक्त हड़ताल में गिरफ्तार हुये कितने लोगों के ऊपर चल रहे मुकदमें व अन्य कार्यवाहियां वापस ले रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस निर्णय के फलस्वरूप जो आदेश दिये गये हैं उनके अनुसार सब अभियोगों की छानबीन की जा रही है। कुल १,०८२ पकड़े हुये व्यक्तियों में से ३९९ व्यक्ति छोड़े जा चुके हैं, अन्य की छानबीन चल रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग छोड़ दिये गये हैं और बाकी के लिये छानबीन हो रही है तो क्या वे उन लोगों के बारे में अपनी पालिसी बताने की कृपा करेंगे कि इस दौरान में जिनको उनके क्वार्टरों से निकाल दिया गया और उन क्वार्टरों पर अब दूसरों का कब्जा है, यदि वे लोग छोड़ दिये गये हैं तो क्या उनके क्वार्टर उन्हीं को दिलाने की सरकार कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर किसी के क्वार्टर किसी को दे दिये गये हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वह तो विभागीय अधिकारियों ने किया होगा, सरकार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को सूचना मानते हुये कि हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, किसी प्रदेश पर, तो क्या वे इसकी छानबीन करेंगे और इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो क्वार्टर्स उन कर्मचारियों से ले लिये गये हैं, जिन्हें कि बाद में छोड़ दिया गया है, वे उनको वापस दे दिये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह काम तो किसी रेलवे या ऐसे विभाग के अधिकारियों ने किया होगा जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है । वह हमारे मातहत नहीं है और न हमें उसके बारे में कुछ मालूम है, अतः छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने स्ट्राइक में हिस्सा लिया लेकिन अहिंसात्मक तरीके से अपना प्रदर्शन किया, उनके बारे में उनकी क्या पालिसी है ?

श्री अध्यक्ष—यह उत्तर में सब आ गया है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अभी हड़ताल के दौरान में सरकार की ओर से यह सूचना निकली कि उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में कोई हड़ताल नहीं हुई और अगर हुई भी तो कहीं कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई । ऐसी स्थिति में जब कोई हड़ताल नहीं हुई, कोई तोड़ फोड़ भी नहीं हुई, तो जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है और दंड भी दिया जा रहा है वह क्यों हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके पहले मैंने अपने जवाब में तीन चार कामों का जिक्र किया है, उनमें से अगर किसी ने कोई काम नहीं किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा वगैरह चलने का या कोई दंड देने का प्रश्न नहीं है । अगर उनमें से कोई काम किया है तो दंड मिलेगा ।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो गिरफ्तारियां हुईं उनमें से कितने ऐसे थे जिन्हें वायलेन्स या तोड़ फोड़ के संबंध में गिरफ्तार किया गया और कितने ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया, किन्तु उनकी गिरफ्तारी हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा दूसरे सवाल के जवाब में कहा गया है, यह जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें हर आदमी के केस की छानबीन हो रही है । इसलिये इस समय कहना मुश्किल है कि कितने लोगों की तोड़-फोड़ के संबंध में गिरफ्तारी हुई और कितने लोगों की दूसरे मामले में हुई ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो उत्तर में कहा है कि १,०८२ आदमी पकड़े गये, तो उनमें से कितने के विरुद्ध अदालत में मुकदमा चल रहा है और कितने अदालत के निर्णय के बाद छोड़ दिये गये ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने उत्तर में बता दिया है कि इतने आदमी छोड़े गये ।

श्री चन्द्रजीत यादव—उत्तर में बताया गया है कि १०८२ पकड़े गये और उनमें से कुछ पर मुकदमा चल रहा है, कुछ छोड़े गये । उसमें जो तीन-चार कैटेगरीज बताई गई हैं, उनमें किस-किस कैटेगरी में कितने-कितने व्यक्ति पकड़े गये, क्या इसकी सूचना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने बतलाया कि १,०८२ पकड़े गये, इनमें से ३९९ छोड़ दिये गये हैं । इनमें से कुछ पर मुकदमें चल रहे हैं, कुछ के बारे में छानबीन हो रही है । जब तक पूरी छानबीन न हो जाये और उसका नतीजा न आ जाये, पूरी बात बताना कठिन है ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---आर्डिनेन्स के तहत अगर में कोई वर्कर को उकसाये हड़ताल करने के लिये, तो उन नेतागण के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की और उनको गिरफ्तार किया या नहीं किया ? अगर नहीं किया, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---"नेता" शब्द से माननीय प्रश्नकर्त्ता का क्या तात्पर्य है, मैं नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों ने उकसाने का प्रयत्न किया होगा उनके खिलाफ मुकदमें चलाये गये होंगे और वे गिरफ्तार भी किये गये होंगे ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि जो १,०८२ आदमी गिरफ्तार हुये और उनमें कुछ लोग छोड़े गये हैं तो कितने ऐसे आदमी हैं जिनको बिना किसी पर्सनल बांड या और कोई शर्त लिखाये बिना छोड़ दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त यह भी कहना मुश्किल है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार जो ६८३ आदमी अब जेलों में रह गये हैं उन्हें छोड़ देने की कृपा करेगी, यह सोच करके कि अपने प्रान्त में हड़ताल शान्तिपूर्वक समाप्त हो गई और कोई विशेष घटना नहीं हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यदि माननीय प्रश्नकर्त्ता का यह मतलब हो कि उन सब ६८३ को छोड़ दिया जाय तो इस सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री मदन पान्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आज सवेरे के अखबारों में केन्द्रीय सरकार ने भी जो पूर्व घोषित नीति थी हड़तालियों के प्रति उसको काफी नर्म किया है, उसको देखते हुये अब तक की जो सरकारी नीति है उसमें कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केन्द्रीय सरकार जो कर रही है वह मुझे मालूम है और उसको ध्यान में रखते हुये जो मैंने उत्तर दिया वह बिलकुल ठीक है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में जो हड़ताली कर्मचारी हैं, हमारे प्रदेश के संसद सदस्य जैसे श्री बनर्जी और अन्य लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर इस बात की शिकायत की थी कि जेल में बन्दियों को अपने संबंधियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है और उनसे बड़ी हैवी सिक्योरिटीज ली जा रही हैं, तो सरकार इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करके उचित आदेश देगी ?

श्री अध्यक्ष---वैसे इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन अगर मुख्य मन्त्री जी जवाब देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझसे मिले थे । मैंने कहा था कि मैं देखूंगा कि अगर कोई गैर-कानूनी तरीके से किसी को तकलीफ दी जा रही है तो ऐसा न हो और मेरा विश्वास है कि किसी के खिलाफ ऐसी कोई गैर-कानूनी कार्यवाही हो नहीं रही है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १,०८२ जो व्यक्ति पकड़े गये हैं इनमें कितने रेलवे कर्मचारी हैं और कितने बाहर के लोग हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ये सारे लोग सारे प्रदेश में फैले हुये हैं, इसलिये इस वक्त ब्योरे के साथ सूचना देना सम्भव नहीं है ।

बरोर ग्राम में हरिजनों की झोपड़ियां जलाने के संबंध में जांच

**३.—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बरोर, तहसील मोंठ, जिला झांसी, में डी० एफ० ओ० झांसी द्वारा हरिजनों की झोपड़ियों में आग लगाने की शिकायत की जांच माननीय महमूद अली खां, सभा सचिव ने २ अप्रैल, १९६० को मौके पर जाकर की थी ? क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां। लेकिन इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

४.—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस रिपोर्ट पर जो उचित कार्यवाही थी वह की गई है और बाकी आइन्दा की जायगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी सही है कि उक्त रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना उक्त प्राधिकारी के हित में भी नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष—उस रिपोर्ट का यहां पर रखा जाना जनहित में नहीं होगा, यह तो आपने कह ही दिया लेकिन वह यह जानना चाहते हैं कि क्या वह उस अफसर के भी हित में नहीं होगा जिसने इन्क्वायरी की है।

श्री सैयद अली जहीर—मैंने उनको इसलिये भेजा था कि वह खुद जाकर वाकयात को मालूम करें और सरकार को बतलावें कि सर असल वहां के वाकयात क्या हैं। वह उन्होंने किया और एक प्राइवेट रिपोर्ट दी जोकि पब्लिश करने के लिये नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—उन्होंने जो प्राइवेट रिपोर्ट दी है उसको बताने में अगर सरकार कोई खतरा समझती है तो इतना तो बता ही सकती है कि झोपड़ियों में आग लगी थी या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—आग तो लगी थी, यह जवाब भी दिया था और रिपोर्ट भी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मन्त्री जी ने अभी कहा कि फैक्ट्स जानने के लिये यह इन्क्वायरी हुई थी तो क्या उस रिपोर्ट में यह भी आया है कि वन विभाग के अधिकारियों ने उन झोपड़ियों में आग लगाई थी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो पहले भी तसलीम किया गया था और रिपोर्ट में भी यह है कि वन अधिकारियों ने आग लगाई थी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब रिपोर्ट में यह आया है कि वन अधिकारियों ने आग लगाई तो रिपोर्ट के आने के बाद क्या सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की अथवा नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—उस रिपोर्ट में अभी और भी बहुत सी बातें हैं जो साफ नहीं हुई हैं और जिनकी मालूमात की जा रही है। इसलिये जब मुकम्मिल रिपोर्ट हो जायगी और उसके बाद किसी अधिकारी पर कोई जुर्म आयेगा तो उसके लिये उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस रिपोर्ट के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और आगे क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

श्री सैयद अली जहीर—उस रिपोर्ट में बाज बातों के लिये लिखा था कि यह कुछ अफसरों से पूछी जायें और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी साहब की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी तो वह बातें उनसे दरयाफ्त की गई हैं। अभी जवाब नहीं आया है, जब जवाब आ जायगा और सब बातें साफ हो जायेंगी तो उस पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार महमूद अली खां साहब की रिपोर्ट को नाकाफी समझते हुये किसी दूसरे सज्जन से फिर इंक्वायरी कराने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल काफी है।

श्री मदन पान्डेय—क्या माननीय वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जो झोपड़ियों में आग लगी थी उससे कितना नुकसान हुआ और उसके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—उसमें नुकसान का कोई सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जबरदस्ती जंगल की जमीन पर जंगल का ही सामान लेकर वह लोग टेम्पोरेरिली रहने के लिये झोपड़ी बनाकर वहां पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहे थे। इसलिये अगर उसे जला दिया गया तो उससे किसी को कोई नुकसान के मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—मन्त्री जी ने कहा कि बाज-बाज लोगों के सिलसिले में अभी जानकारी करनी है और उनसे पूछा भी गया है, इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट के अनुसार कौन-कौन से जंगल विभाग के अधिकारी जिम्मेदार पाये गये हैं जिनके खिलाफ अब फिर से कोई और जानकारी नहीं करनी है, यानी जिनको निश्चित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसमें खाली जंगल विभाग के ही अधिकारी नहीं हैं बल्कि कुछ रेवेन्यू विभाग के भी हैं और कुछ अदालत में भी कार्यवाही हो रही है। दरियाफ्त किया गया है कि अलग-अलग क्या जिम्मेदारियां हैं और वाकयात मालूम होने पर कुछ किया जायगा।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार आफीशली जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—अगर माननीय सदस्य का मंशा ओपेन इन्क्वायरी से है तो ऐसा इरादा नहीं है।

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर, बस्ती, देवरिया तथा आजमगढ़ जिलों में हरिजनों को सहायता

*१—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसील में हरिजन सहायक विभाग ने कितने रुपये अलग-अलग कामों के लिये वित्तीय वर्ष १९५८–५९ व १९५९–६० ई० में हरिजनों को दिये ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—सूची 'क' संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७१–३७३ पर)

*२—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों को वित्तीय वर्ष १९५८–५९ व १९५९–६० में हरिजनों को अनुदान देने के लिये अलग-अलग कामों में क्या सहायता सरकार की ओर से दी गई ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—सूची "ख" संलग्न है।

*३---श्री अमरनाथ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों को जो सहायता वित्तीय वर्ष १९५८-५९ व १९५९-६० में हरिजन सहायक कार्य के लिये सरकार से दी गई वह खर्च के बाद इस समय कितनी बची है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अमरनाथ---क्या मन्त्री जी बतलावेंगे कि यह रुपया किस आधार पर और किस अनुपात से अलग अलग तहसीलों में बांटा गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---कुछ रुपया तो जिले की हरिजन सहायक समिति बांटती है और बांटने का आधार वही बता सकती है । जो रकम यहां से दी जाती है वह आवश्यकतानुसार दी जाती है ।

श्री मदन पान्डेय---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस हिसाब से तहसीलों में बांटना चाहिये था उस हिसाब से नहीं बांटा गया और महाराजगंज तहसील में बांसगांव और सदर तहसीलों की अपेक्षा कम बांटा है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---हो सकता है कि किसी तहसील में कुछ कम दिया गया हो ।

श्री रामायणराय---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सहायता दी गई उसमें कितने रुपये उत्पादक कार्यों के लिये और कितने अनुत्पादक कार्यों के लिये दिये गये ?

श्री अध्यक्ष---इसमें साफ लिखा है कि किस-किस काम के लिये दिया गया, गृह उद्योग, कूप निर्माण आदि । उससे आप समझ सकते हैं कि क्या यह उत्पादक कार्य हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, मैं मदन पांडेय जी के सवाल को दुहराना चाहता हूँ । क्या यह सही है कि महाराजगंज तहसील में सबसे कम रुपया दिया गया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---ऐसा नहीं है, क्योंकि बांस गांव और महाराजगंज को बराबर रुपया दिया गया है ।

बांदा-इलाहाबाद सड़क पर बस दुर्घटना

*४---श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह फरवरी सन् १९६० के अन्तिम सप्ताह में बांदा-इलाहाबाद रोड पर कोई बस दुर्घटना हुई है ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति जख्मी हुये हैं और कितनों की मृत्यु हो गयी है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---जी हां । दिनांक २८-२-६० को एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें १४ व्यक्ति घायल हुये । घायलों में से एक की बाद में मृत्यु हो गई ।

*५---श्री रामसनेही भारतीय (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि उक्त बस का ड्राइवर शराब पी कर बस चला रहा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी पर व्यय

*६---श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, पर सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तथा १९५९-६० में अब तक कितना-कितना रुपया किस-किस मद में व्यय हुआ है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---सूचना संलग्न तालिका में दी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७४ पर ।)

'श्री मोती लाल बनाम श्री मंगला प्रसाद आदि, अपील से संबंधित सब-इंस्पेक्टर को चेतावनी

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—जस्टिस एम० एल० चतुर्वेदी और जस्टिस डी० एन० राय द्वारा १६ मई, १९५८ को किये गये निर्णय के विषय में १२ फरवरी, १९६० को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६९–१७० के उत्तर के क्रम में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किस थानेदार को चेतावनी दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं और कब ?

गृह उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—सब-इंस्पेक्टर श्री बिहारी लाल को चेतावनी दिये जाने के आदेश ११ फरवरी, १९६० को जारी किये गये थे।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जिस थानेदार के विरुद्ध न्यायालयों ने आरोप लगाये थे उसको पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलावेंगे कि जब हाई कोर्ट का फैसला १६ मई, १९५८ को हो गया था तो २ वर्ष तक उसे चेतावनी क्यों नहीं दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—वैभागिक कार्यवाही में कुछ समय लगता है। पहले कमिश्नर की रिपोर्ट यह थी कि सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो सजा दी जाय। इसलिये इन्क्वायरी खत्म कर दी गई थी लेकिन बाद में निर्वाचन विभाग के कहने पर जांच होकर उनको चेतावनी दी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया तो सरकार को हाई कोर्ट का फैसला देखने की जरूरत पड़ी और तब उसने चेतावनी दी ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा नहीं है। ११ फरवरी, १९६० को आदेश जारी कर दिये गये हैं। उससे कई महीने पहले से कार्यवाही हो रही थी।

श्री अध्यक्ष—वह आपको क्रेडिट देने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहारीलाल थानेदार को सबसे बड़े थाने पर जो कि परामुफ्ती है इलाहाबाद में, उस पर तैनात किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—बड़ा और छोटा कहना तो सम्भव नहीं है लेकिन सब-इंस्पेक्टर थे और सब-इंस्पेक्टर ही रहे। पहले भी थाने में इन्चार्ज थे और अब भी थाने के इन्चार्ज हैं।

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा लगाये गये लांछनों से संबंधित कार्यवाही

*९—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या १ जनवरी, १९५८ से २९ फरवरी, १९६० तक कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जो लांछन (strictures) जिला तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय में लिख दिये जाते हैं उन पर एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त अवधि में ऐसी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१०—श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने इस वर्ष कोई ऐसे कदम उठाये हैं जिनके द्वारा पुलिस अधिकारियों पर कोर्टों द्वारा लगने वाले लांछनों (strictures) में कमी हो ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—कोई नए कदम तो नहीं उठाये गये हैं किन्तु पुलिस रेगुलेशन्स के प्रस्तर ५०० में इस आशय के आदेश पहले से ही निहित हैं कि न्यायालयों द्वारा लगाये गये लांछनों की पूर्ण जांच की जाय और रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाय। जांच से यदि लांछन सही पाये जाते हैं तो सम्बन्धित कर्मचारी को समुचित दण्ड दिया जाता है। ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार की कार्यवाही का असर कर्मचारियों पर काफी पड़ता है और वे यह प्रयत्न करते हैं कि उन पर लांछन न लगें।

श्री देवनारायण भारतीय—मन्त्री जी बतायेंगे कि १ जनवरी, १९५८ से फरवरी, १९६० के समय के आस-पास कोई ऐसी शिकायत की गई, जो सरकार के नोटिस में आई हो ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो अवधि उत्तर में बतायी गई है उसी में यह अवधि भी आ जाती है जिसमें कोई शिकायत सरकार को नहीं मिली।

श्री देवनारायण भारतीय—पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो स्ट्रिक्चर पास हुआ है वह सरकार को दृष्टिगोचर हुआ है या नहीं और उसपर सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह किस प्रश्न से सम्बन्धित है ?

श्री देवनारायण भारतीय—प्रश्न संख्या ९ से।

श्री अध्यक्ष—वह तो कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं मिली।

श्री देवनारायण भारतीय—शिकायत तो नहीं आयी यह मैंने मान लिया, लेकिन स्ट्रिक्चर तो सरकार की नोटिस में आया होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो माना जा सकता है कि स्ट्रिक्चर्स होने के बाद समय जरूर कुछ ज्यादा लग जाता है यह निर्णय करने में कि स्ट्रिक्चर सही था या नहीं...

श्री अध्यक्ष—वह तो यह जानना चाहते हैं कि ऐसे स्ट्रिक्चर्स आपके नोटिस में आये या नहीं।

श्री रामस्वरूप यादव—कोई विशेष मुकदमा उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन जिसमें स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं उसमें कार्यवाही पुलिस रेगुलेशन्स के पैरा ५०० के अनुसार होती है और अगर अधिकारी समझते हैं कि सजा ज्यादा मिलनी चाहिये तो पुलिस ऐक्ट ७ के अनुसार कार्यवाही की जाती है और निर्दोष साबित होते हैं तो वहीं समाप्त कर दिया जाता है।

आजमगढ़ कलेक्टरी में दुकानदार को पीटने की शिकायत

*११—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४ फरवरी, १९६० की १० बजे रात को कलेक्टरी कचहरी, आजमगढ़ के किसी दूकानदार को स्थानीय पुलिस के आदमियों द्वारा पीटने की शिकायत जिलाधीश, पुलिस कप्तान, आजमगढ़, पुलिस मन्त्री को तार द्वारा उसी दिन की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी और पुलिस ने

नोट—तारांकित प्रश्न ९–१० तथा ११ श्री भजनलाल ने पूछे।

अनुसन्धान आरम्भ किया परन्तु वादी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के कारण अनुसन्धान रोक दिया गया। यह वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

राज्य के विदेशी कर्मचारी

*१२--श्री झारखंडे राय--दिनांक १२-२-६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४-१६ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या राज्य सरकार की सेवा में कार्य कर रहे विदेशी कर्मचारियों की तनख्वाह तथा भत्ते का स्केल समान पद पर कार्य करने वाले भारतीयों से ऊंचा है? यदि हां, तो कितना और क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव--राज्य सरकार की सेवा में कार्य कर रहे विदेशी कर्मचारियों की तनख्वाह तथा भत्ते का स्केल समान पद पर काम करने वाले भारतीयों के स्केल से ऊंचा नहीं है।

बरूवार जूनियर हाई स्कूल, बनगाई, को दिये गये धन का व्यय

*१३--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि बरुवार जूनियर हाई स्कूल, बनगाई बरुवार धानेपुर, जिला गोंडा, का उद्घाटन २१-४-५५ को तत्कालीन उप-मंत्री, शिक्षा विभाग, ने किया था और उसे उसके बाद ५,००० रुपया फर्नीचर तथा ५०० उपस्कर आदि के लिये भी दिया गया था तथा उक्त रुपये से न तो कोई इमारत ही बनाई गई और न फर्नीचर ही खरीदा गया? अगर हां, तो सरकार इस रुपये के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां। ५०० रुपये फर्नीचर आदि के हेतु तथा ५,००० रुपये भवन निर्माणार्थ स्वीकृत किये गये थे। उपर्युक्त धनराशि में से अब तक ५०० रुपये का फर्नीचर क्रय कर लिया गया है और ४,२६८ रुपये की लागत का भवन निर्माण हो चुका है। शेष रुपये को शीघ्र व्यय करने तथा स्कूल के भवन को पूर्ण बनाने के आदेश स्कूल के मैनेजर को दे दिये गये हैं और यह भी कह दिया गया है कि यदि एक निश्चित तिथि के अन्दर उपर्युक्त शर्तें पूरी न होंगी तो रुपये वापस ले लिये जावेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मंत्रीजी बतावेंगे कि ये मैनेजर साहेब कौन हैं जिनको रुपया दे दिया गया था और क्या यह सही है कि इस प्रश्न के लगाने तक कोई भवन निर्माण नहीं हो रहा था?

श्री दीनदयालु शास्त्री--भगवत प्रसाद मैनेजर का नाम है लेकिन यह कहना कठिन है कि प्रश्न होने पर ही मकान बना है। मकान पहले बना।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जब यह रुपया २१ अप्रैल, १९५५ को दे दिया गया था तो मकान बनना कब से शुरू हुआ और क्या यह सही है कि रुपया १ वर्ष के भीतर लैप्स हो जाना चाहिये था?

श्री दीनदयालु शास्त्री--रुपया हरिजन कार्यों के लिये पेशगी कुछ न कुछ दिया जाता है। इसी मद में वह दे दिया गया था। यह गलती जरूर है कि वह मकान तब तक नहीं बना पाये और अब भी पूरा नहीं बना पाये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया नियमतः १ वर्ष में नहीं लगता तो वह लैप्स हो जाता है और क्या उस नियम का यहां पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दीनदयालु शास्त्री--हरिजन विभाग में रकमें लैप्स नहीं होती हैं; कन्टीन्यू करती हैं।

लखनऊ में रौशनुद्दौला कचेहरी के सामने कत्ल

*१४---श्री मदन पाण्डेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ११ मई को लखनऊ शहर में कहां-कहां पर कितनी हत्याओं की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--११ मई, १९६० को लखनऊ शहर में केवल एक हत्या की सूचना मिली।

*१५---श्री मदन पाण्डेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रौशनुद्दौला कचहरी के सामने भी कोई हत्या गत ११ मई को हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां हुयीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। हत्या करने वाले अभियुक्त ने न्यायालय में समर्पण कर दिया है।

डाकुओं द्वारा आत्म-समर्पण

*१६---श्री मदन पाण्डेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मई मास में आगरा जिले में आचार्य विनोबा भावे के दौरे के समय कितने डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डाकू-समस्या के हल के निमित आचार्य विनोबा तथा सरकार के बीच कोई पत्र-व्यवहार भी हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--किसी भी डाकू ने आत्म-समर्पण नहीं किया। जी नहीं, इस प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ।

श्री मदन पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन डाकुओं ने मध्य प्रदेश में विनोबा जी के सामने आत्म-समर्पण किया है उनमें से कितने लोग एसे हैं जिनके ऊपर यू० पी० में डकैती आदि के चार्जेज हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसे १५ आदमी हैं जिनके खिलाफ यू० पी० के मुकदमें हैं।

श्री मदन पाण्डेय--क्या यह सही है कि डाक्टर सुशीला नायर एम० पी० इस सम्बन्ध में लखनऊ आयी थी और उन्होंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, बात की थी।

श्री मदन पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी उन बातों के सारांश से सदन को अवगत करायेंगे कि उस बात चीत का क्या परिणाम निकला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--परिणाम तो कुछ नहीं निकला। उन्होंने बातचीत का इरादा जाहिर किया था और बताया था कि हम इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि डाकू लोग आत्म-समर्पण कर दें।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन १५ डकैतों ने आत्म-समर्पण किया है क्या उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में केसेज रजिस्टर्ड हैं और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को यह लिखा है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उनके खिलाफ केसेज हैं, इसलिये उनको उत्तर प्रदेश को दे दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह तो कानून ही है कि जब उनके मुकदमे चल चुकेंगे तब वे हमारे यहां उनको भेज देंगे और आवश्यक कार्यवाही अधिकारी कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आगरे की पुलिस ने डकैतों के आत्म-समर्पण करने में रोड़े अटकाये इसलिये उन्होंने मध्य प्रदेश में आत्म-समर्पण किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह आरोप बिल्कुल गलत है।

श्री झारखण्डे राय--क्या सरकार बतायेगी कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो डाक्टर सुशीला नायर से बातचीत की उसमें क्या ऐसी चर्चा भी हुई थी कि जो डाकू इस प्रकार से गिरफ्तार किये जायं उनके साथ अच्छा बरताव किया जाय ताकि और डकैतों को भी आत्म-समर्पण के लिये प्रोत्साहन मिले ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझसे जिस किसी से भी इस सम्बन्ध में बातचीत हुई उनसे मैंने यह बात स्पष्ट कर दी कि जो डाकू आत्म-समर्पण करेंगे उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जायगी।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इटावा जिले के कितने डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया ?

श्री रामस्वरूप यादव--फेहरिस्त तो मेरे पास है लेकिन उसमें से यह छांटना पड़ेगा कि उनमें से इटावा का कोई है या नहीं।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि विनोबा जी के प्रयास से हमारे प्रदेश के कितने डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब मिल चुका है।

*१७--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

*१८--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--[४ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

मैनपुरी जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*१९--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ में राजनीतिक पीड़ितों की पेन्शनों के लिये जिलाधीश, मैनपुरी के पास कितने लोगों के कागजात भेजे गये हैं और जो कागजात भेजे गये हैं उनमें कितनों में जिलाधीश ने अपनी रिपोर्टें लगाकर भेज दी हैं और कितनों के कागजात अभी वहां पड़े हुए हैं ? जिन लोगों के कागजात सरकार के पास आ गये हैं उन सबका फैसला हो गया है या नहीं ?

गृह मंत्री के सभा-सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)--१४ राजनैतिक पीड़ितों के पेंशन के मामलों में जिलाधीश से आख्या मांगी गई थी। उनमें से १३ मामलों में रिपोर्ट आ गई हैं। केवल १ मामले में रिपोर्ट आनी बाकी है। उक्त १३ मामलों में से १० में निर्णय हो चुका है। केवल ३ मामले शासन के विचाराधीन हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन के मामले में जो जिलाधीश की राय मांगी जाती है जिसमें करीब ६ महीने लग जाते हैं और आखिर में घूम फिर कर वह लेखपाल की राय बन जाती है, तो इन सब बातों को देखते हुए जिस तरह से पहले विधायकों की राय मान ली जाती थी उसी तरह से विधायकों की राय मान लेने में क्या-क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन के लिये दरख्वास्त देने की जो तारीख थी वह एक बार, दो बार, तीन बार बढ़ाई गयी और वह तारीख खत्म हो चुकी है; इसलिये कायदे के अन्दर तो अब किसी की दरख्वास्त नहीं लेनी चाहिये। लेकिन अब भी अगर कोई दरख्वास्त देता है और उसमें कुछ ऐसा मालूम होता है कि इसको देखना बहुत जरूरी है तो उसके लिये विशेष छान-बीन की जाती है। ऐसे, तारीख उसकी बीत चुकी है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह मालूम है कि बहुत से ऐसे लोगों को पेंशन मिलती है जिन्होंने बहुत बाद में दरख्वास्त दी और कम से कम जेल काटी और जिन लोगों ने अधिक से अधिक जेल काटी, अधिक मर्तबा जेल गये उन्हें तीन चार साल दरख्वास्त दिये हो गये जिनका पता ही नहीं लगता है दफ्तर में कि वे कहां हैं? अगर ऐसी जानकारी है, तो वे इसकी कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--यह तो आपने एक शर्त रखी है कि अगर अमुक जानकारी हो तो उसे कह दें। तो क्या आप जानकारी लेना चाहते हैं?

श्री गौरीशंकर राय--जी हां।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो और उसकी हमें जानकारी करायी जाय तो हम जरूर इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि जो डिजर्विंग केस हैं उनके साथ देर न हो।

पी० ई० सी० योजनान्तर्गत अध्यापक-शिक्षक

*२०--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक सेना छात्र दल (पी० ई० सी०) योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों की संख्या वित्तीय वर्ष १९५९-६० में क्या थी?

श्री दीनदयालु शास्त्री--१९५९-६० में पी० ई० सी० योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापक-शिक्षकों की संख्या २९३ थी।

*२१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या यह सत्य है कि सहायक सेना छात्र दल-योजना के अन्तर्गत कुछ अध्यापकों को ही प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी नहीं। पी० ई० सी० योजना के अन्तर्गत सभी अध्यापक शिक्षकों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

*२२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि हां, तो क्या गृह मंत्री उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों के प्रति इस प्रकार भिन्न व्यवहार किये जाने का कारण बताने की कृपा करेंगे?

श्री दीनदयालु शास्त्री--प्रश्न नहीं उठता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--श्रीमन्, मैंने तो प्रश्न बिलकुल अलग-अलग किया है, जवाब में ही कुछ मिश्रण कर दिया गया है। यदि मेरे प्रश्न का जवाब ठीक से न दिया जाय तो आज उसे रोक दिया जाय, अगले समय दे दिया जाय। २० नं० का जवाब बिलकुल ठीक है, लेकिन २१ नं० का जवाब गलत है। २१ नं० में मैंने पूछा है--क्या यह सत्य है कि सहायक सेना छात्र दल योजना के अन्तर्गत कुछ अध्यापकों को ही प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका जवाब गलत है।

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब उन्होंने दिया है "जी नहीं"।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मेरा प्रश्न पी० ई० सी० के लिये नहीं था, मेरा प्रश्न है कि सहायक सेना छात्र दल के अन्तर्गत कुछ अध्यापकों को ही प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—तो आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा उत्तर दे दिया है। लेकिन यह नहीं कह सकते कि वह गलत है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहायक सेना छात्र दल के अन्तर्गत कितने प्रकार की योजनायें चालू हैं और क्या इस योजना का समस्त खर्च भारत सरकार ही देती है?

श्री दीनदयालु शास्त्री—पी० ई० सी० को दृष्टि में रख कर ही इसका जवाब दिया गया है। यदि प्रश्नकर्त्ता और कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिये सूचना की जरूरत है।

लालगंज टाउन एरिया के चेयरमैन का कथित अपहरण

*२३—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लालगंज (रायबरेली) टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष को ११ जनवरी, १९६० की रात्रि को साढ़े सात बजे आम रास्ते से कुछ लोग कम्बल में लपेट कर अपहरण कर के ल गये थे और उनको चार मील दूरी पर जंगल में रातभर विभिन्न प्रकार की यातनायें देकर व उनसे एक सौ इक्कीस रुपया छीन कर दूसरे दिन छोड़ा था? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी एक लिखित रिपोर्ट लालगंज टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन ने दिनांक १२-१-६० को थाना लालगंज में भेजी थी जिसकी जांच की गई। जांच से मालूम हुआ कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच किसने की थी तथा उक्त चेयरमैन की रिपोर्ट को गलत मानने के क्या आधार हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—वह जांच थाना अध्यक्ष ने की थी, उससे मालूम हुआ कि वह रिपोर्ट गलत थी और यही बात सही है और वहां के थाने के अधिकारियों ने रिपोर्ट करने के कारणों का भी पता लगा लिया है।

श्री मदन पाण्डेय—जिस व्यक्ति के मारे जाने और सताये जाने की बात है क्या उसके बयान जांचकर्त्ता महोदय ने लिये थे? यदि हां, तो उसने क्या कहा?

श्री रामस्वरूप यादव—सब के बयान लिये गये जिनके कि लेना आवश्यक था।

श्री मदन पाण्डेय—मैं यह जानना चाहता था कि क्या चेयरमैन साहब के भी बयान लिये गये और उन्होंने अपने बयान में क्या बताया था?

श्री रामस्वरूप यादव—चेयरमैन साहब ने लिखित रिपोर्ट की थी और पुलिस वालों ने उनसे और गवाहों से सब ही से बात की जिन के कि उन्होंने नाम लिये थे।

न्यायाधीश श्री ए० एन० मुल्ला द्वारा श्री नजीर हुसैन, थाना इन्चार्ज लहरपुर, के विरुद्ध लांछन

*२४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को यह पता है कि जस्टिस ए० एन० मुल्ला, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, ने हाल ही में सीतापुर के श्री बलवन्तसिंह व पुत्तन सिंह के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा ३९५ व ४११ व ४१२ के अन्तर्गत मामले में strictures पास करते हुए श्री नजीर हुसैन, थाना इंचार्ज लहरपुर, के विरुद्ध इस आशय का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है कि उनके विरुद्ध शपथ पूर्वक दो झूठे बयानात देने के सम्बन्ध में आई० पी० सी० की धारा १९३ के अन्तर्गत क्यों न कार्यवाही की जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त माननीय जस्टिस महोदय ने मामले की जांच करने वाले मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध भी स्ट्रिक्चर्स पास किये थे ? यदि हां, तो उन तीनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--वैभागिक कार्यवाही चल रही है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सही है कि हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स के बाद भी जो पुलिस महकमे के थानेदार के खिलाफ होते हैं तो उस पर भी उनसे बड़े पुलिस अधिकारी जांच करते हैं कि वह स्ट्रिक्चर ठीक है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, ऐसा ही नियम है। अदालत से स्ट्रिक्चर पास होने के बाद पुलिस रेगुलेशन्स के पैरा ५०० के अनुसार पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के पास जाता है, वह जांच कर के उच्च अधिकारी के पास भेजते हैं और फिर वह जिलाधीश के द्वारा गवर्नमेंट के पास निर्णय के लिये आता है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सही है कि थानेदार के खिलाफ सर्किल इंस्पेक्टर से रिपोर्ट मांगी जाती है और वही रिपोर्ट अन्तिम रूप से हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स का फैसला करती है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट फैसला करती है।

लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायतार्थ राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*२५--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८-५९ व १९५९-६० में लड़कियों की शादियों के लिये आर्थिक सहायतार्थ कितने-कितने पोलीटिकल सफररों के प्रार्थना-पत्र आये थे और उनमें से किस-किस वर्ष में कितने-कितने स्वीकृत हुए तथा कितने-कितने विचाराधीन हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--प्रश्न के उत्तर के लिये अपेक्षित सूचना संकलन करने में जो समय लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुए उचित न होगा। यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के विषय में जानना चाहते हों तो मेरे कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वर्षों में झांसी से कितने प्रार्थना पत्र आये और उनमें से कितने स्वीकार और कितने अस्वीकृत हुए ?

श्री इस्तफा हुसैन--यह इस समय बताना कठिन है पर हर रोज १ बजे से २ तक और ४ से ५ तक माननीय सदस्य आ सकते हैं। उसी दिन या दूसरे दिन उनको सूचना मिल जायगी।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सत्य है कि जिस विभाग से राजनीतिक पीड़ितों की लड़कियों की शादियों के लिये रुपया दिया जाता है वह रुपया इस साल लिपिकों के अभाव के कारण शादी के मौसम में अधिकांश लोगों को नहीं दिया जा सका ?

श्री इस्तफा हुसैन--ऐसा तो नहीं है कि अधिकांश को नहीं दिया जा सका लेकिन कुछ केसेज़ में उम्र की बात जांचनी होती है । यह नियम है कि १५ साल से कम की लड़कियों की शादी के लिये रुपया नहीं दिया जाता ; इसके लिये निर्णय के लिये जिलाधीश के द्वारा पूछा जाता है। इसमें देर लग जाती है ।

*२६--**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--[१२ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में कथित हत्यारा

*२७--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले में कोई ऐसा हत्यारा है जो मुख्यतः साधुओं की हत्या करता है तथा उसने इधर एक मास के भीतर ही ७ से ऊपर व्यक्तियों की हत्या की है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं ।

*२८--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त हत्यारे के कारण साधारण जनता तथा विशेषकर साधुओं में बहुत आतंक छाया हुआ है और पुलिस उसे पकड़ने में अब तक सफल नहीं हो पाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ क्षेत्र में बसों से आय

*२९--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ रीजन में सन् १९५९ में बसों से कितनी आय हुई है ?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)--४१,७९,६२९.६० रुपये ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--इस धनराशि में से, जो आय हुई है उसमें से, सरकार का कितना इस वर्ष में व्यय हुआ है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--आय जो हुई है उसके संबंध में यह बताना कठिन है कि कितना लाभ उसका हुआ है । औसतन लगभग जो आय होती है, सारा खर्चा निकाल कर १/५ लाभ होता है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--जो ४१ लाख ७९ हजार रुपये की आमदनी हुई है क्या वह आमदनी जिस प्रकार से है उस प्रकार से रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनके बस-स्टेशन पर ठहरने और दैनिक भत्ते आदि देने का भी प्रबन्ध है ?

श्री अध्यक्ष--भत्ता वगैरह काटकर आमदनी है, यह आप पूछना चाहते हैं ।

श्री धर्मदत्त वैद्य--जी हां, प्रत्येक वर्ष सरकार इस बात का प्रयास करती है कि रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनको बस-स्टेशनों पर रहने की और अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायं और आजमगढ़ रीजन में गत वर्ष १९५८-५९ में बहुत से बस-स्टेशनों पर इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

*३०--**कुंवर श्रीपालसिंह**--[१२ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

इन्टरमीडिएट कालेजों में आर्ट्स टीचरों का वेतन

*३१—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इंटरमीडियेट कालेज के आर्ट्स टीचरों का वेतन भी उसी ग्रेड के अनुसार दिया जायेगा जिस नये ग्रेड के अनुसार इंटरमीडिएट कालेजेज के अन्य टीचरों का ग्रेड दिया गया है ? यदि हां, तो यह ग्रेड कब से लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—(१) जी हां, पुराना वेतन-क्रम १२०–२०० था जो नवीन वेतन-क्रम में १२०–३०० हो गया है।

(२) १ जुलाई, १९५९ से लागू है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

*३२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[तीसरे बुधवार के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

मेरठ कालेज के प्रोफेसर, श्री महादेवप्रकाश, की हत्या

*३३—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १३ अप्रैल, सन् १९६० को मेरठ कालेज के प्रोफेसर श्री महादेव प्रकाश की हत्या किसी ने गोली मार कर कर दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

*३४—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त घटना की जांच किसके द्वारा कराई गई और जांच का परिणाम क्या हुआ ? क्या इस घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा भी कराई जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है। अभी परिणाम ज्ञात नहीं हुआ है। अनुसन्धान जारी है।

श्री ऊदल—सी० आई० डी० को जांच करने के लिये यह मामला कब सुपुर्द किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह जो वाकया है वह १३ अप्रैल का है और प्रारम्भ से ही यह सी० आई० डी० को दिया गया है।

अल्मोड़ा जिले में सैनिकों द्वारा स्त्रियों के साथ कथित बलात्कार

*३५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या जिला अल्मोड़ा में मार्च, १९६० में वहां की स्त्रियों के साथ में फौज के सिपाहियों ने जो कि वहां के हवलबाग में ठहरे थे, बलात्कार किया था ? यदि हां, तो कितनी स्त्रियों के साथ तथा उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

*३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि उपरोक्त बलात्कार के कारण एक स्त्री की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो उस स्त्री का नाम तथा पता क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार में नागा साधुओं की गिरफ्तारी

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हरिद्वार में १ जून, १९६० से २२ जून, १९६० तक नागा साधुओं की गिरफ्तारी हुई है ? यदि हां, तो कितनों की और क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। ३५ नागा साधुओं की गिरफ्तारी हुई। इसका कारण यह है कि नागाओं ने नगरपालिका हरिद्वार की उस भूमि पर कब्जा करना चाहा जो नगरपालिका को लीज (पट्टे) द्वारा नगरपालिका के स्कूल भवन के लिये दी गई थी और शांति भंग का अन्देशा होने के कारण गिरफ्तारी की गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि नगरपालिका में और इन साधुओं में मुकदमेंबाजी हुई थी और उस मुकदमें का फैसला हुआ था कि नागाओं के नाम उस जमीन की लीज कर दी गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—पहले मुकदमा कोई चला था, उसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन अब मुकदमेंबाजी हो रही है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस जमीन पर प्रत्येक वर्ष कुम्भ का मेला लगता है और वहां साधू लोग इकट्ठा होते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसमें हाई कोर्ट में भी रिट दायर हो गई है, १४५ की भी कार्यवाही चल रही है। अब इस संबंध में क्या-क्या सबूत किस-किस पक्ष का है, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि मुझे कहना उचित नहीं होगा।

उन्नाव जिला परिषद् द्वारा जे० टी० सी० अध्यापकों के वेतन के लिए सहायता की मांग

*३८—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले की अन्तरिम परिषद् ने अपने जे० टी० सी० के अध्यापकों के नये वेतन क्रम देने के हेतु कोई अनुदान की मांग करते हुए एक प्रार्थना-पत्र अनुसचिव स्वायत्त शासन विभाग (ख) को दिनांक १६-४-५९ व २०-७-५९ व २५-१०-५९ तथा ३ जनवरी, १९६० को भेजा था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या आवश्यक कार्यवाही की ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—प्रश्नगत पत्र स्वायत्त शासन विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं, किन्तु इस विषय पर कुछ पत्र शिक्षा विभाग में प्राप्त हुए हैं और मामला शासन के विचाराधीन है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतायेगी कि इस विषय का पत्र उन्नाव जिला अन्तरिम परिषद् से सरकार को कब प्राप्त हुआ ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इसी मई में प्राप्त हुआ है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—सरकार इस पर विचार करके अपना निर्णय जल्दी देगी और कब तक देगी, इसकी सूचना सरकार देगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—उन्नाव जिला परिषद् को जो यहां से आदेश गये थे उसके अनुसार ४३ की संख्या उन्होंने भेजी थी जिनको ग्रेड दे दिया था। लेकिन उन्होंने १ जुलाई, १९५५ में जो नियुक्ति की थी उसके लिये सरकार ने लिखा था कि उनके खर्चे की जिम्मेदारी जिला परिषद् को लेनी चाहिये। अब जिला परिषद् ने उसकी मांग की है, उसका फैसला जल्दी हो जायेगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---सरकार का यह नियम है कि स्कूलों में अनट्रेन्ड अध्यापक न रखे जायं। तो जब जिला परिषद् ने जे० टी० सी० अध्यापक रखे हैं फिर उनको वह ग्रेड देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---यहां से गये आदेशानुसार पहली जुलाई, १९५५ के बाद जो जे० टी० सी० टीचर रखे गये थे जिला परिषद् के स्कूलों में उनकी जिम्मेदारी परिषद् को दी गई थी। सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी।

अतारांकित प्रश्न

पुलिस विभाग में अनुसूचित तथा बैकवर्ड क्लास के लोग

१---**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पुलिस विभाग के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६० को कितने कर्मचारी तथा अधिकारी किस-किस पद पर कार्य कर रहे थे और उनमें कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने बैकवर्ड क्लास के थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है कि २१ और २२ नंबर के प्रश्न सरकार की तरफ से गलत दिये गये हैं। सरकार की तरफ से सही करके दिये जाने चाहिये। यह सन् ५९ से चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---अगर आपको कोई शिकायत है तो मेरे दफ्तर में आप बात कहिये।

छोटी छतरमंजिल के भवन के ध्वस्त होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार श्री नारायण दत्त तिवारी जी का जो विषय है उसके लिये मैंने स्वीकृति दे दी है। उसे मैं पढ़कर सुनाये देता हूं।

"मैं नियम ५२ के अनुसार छोटे छत्तरमंजिल के ऐतिहासिक भवन के अकस्मात ध्वस्त हो जाने के कारणों की ओर, जिससे कि उक्त भवन में अवस्थित राज्य सरकार के कृषि संचालक उत्तर प्रदेश, संचालक, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश, कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन, सहायक कम्पेनसेशन कमिश्नर, लखनऊ, बोर्ड आफ रेवेन्यू का डिवीजनल लेखा कार्यालय, जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय की सभी फाइलें, रिकार्ड, फर्नीचर तथा अन्य सामग्री विनष्ट हो कर इतनी भारी हानि हुई है कि जिसका सही अन्दाजा लगाना अभी अत्यन्त कठिन है और उक्त कार्यालय कार्य-समर्थ नहीं रह गये हैं। तथा जिससे उसी क्षेत्र मे अवस्थित मुख्य छत्तरमंजिल तथा संग्रहालय, हाई कोर्ट, बोर्ड आफ रेवेन्यू के अन्य कार्यालयों के भवनों को भी खतरा प्रतीत होता है, संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

इस पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री वक्तव्य देंगे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---इसका सम्बन्ध कई महकमों से है। कई बातों की जानकारी करनी जरूरी है। तो मैं इत्तला प्राप्त करके किसी दूसरे समय इस पर वक्तव्य दे सकूंगा। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी किया गया था। उसमें भी समय मांगा था। तो उस प्रश्न को आप ले लें या इसको ले लें।

श्री अध्यक्ष---इसे तो स्वीकार कर लिया। इस पर आप को वक्तव्य देना है।

श्री गिरधारी लाल---मंगल को रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, मंगल को आप वक्तव्य दे दें।

श्री जगवीर सिंह द्वारा प्रजा समाजवादी पार्टी तथा बिजनेस ऐडवायजरी कमेटी से त्याग-पत्र देने की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक सूचना श्री जगवीर सिंह जी ने भेजी है जो यह है---"मैंने आज प्रजा समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है और मैं विधान सभा में एक स्वतंत्र सदस्य की हैसियत से कार्य करूंगा। मैं बिजनेस ऐडवायजरी कमेटी से त्याग पत्र देता हूं।" अगर कल तक कोई भिन्न सूचना मेरे पास नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि यह सही है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---यह इत्तला सही है।

श्री अध्यक्ष---क्या पता आपने उनसे पुनर्विचार करने को कहा हो। कल तक अगर कोई दूसरी सूचना नहीं आई तो उनका इस्तीफा मंजूर माना जायगा बिजनेस ऐडवायजरी कमेटी से और वे स्वतंत्र सदस्य समझे जायंगे।

१८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष---अब श्री अमरनाथ मिश्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न के उत्तर का शोधन उपमंत्री शिक्षा प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा उप-मंत्री (श्री दीन दयालु शास्त्री)---श्री अमरनाथ मिश्र ने अपने प्रश्न में सन् १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ तीन सालों के आंकड़े चाहे थे। इस पर राम स्वरूप वर्मा जी ने जो अनुपूरक प्रश्न किया उसमें मैंने जल्दी में पहले दो साल का जवाब पढ़ दिया, तीसरे साल का नहीं पढ़ा। इसलिये अब मैं उसे संशोधित रूप में पढ़ता हूं।

"अंक ५,४९,३१० के स्थान में ५,९१,५१० तथा ५,९१,५१० के स्थान में ६,४८,६४० पढ़ा जाय। यह भी विदित रहे कि यह धनराशि निर्धारित मिनिमा की है न कि शासकीय अनुदान की। इस्लामियां स्कूलों या मकतबों को शासन द्वारा सीधे कोई अनुदान नहीं दिया जाता वरन् सम्बन्धित जिला परिषदों को एक मुश्त अनुदान उनके समस्त शिक्षा व्यय के लिये दिया जाता है।"

(मूल प्रश्नोत्तर तथा अनुपूरक प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ३७६ पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा (आरोपण) विधेयक, १९५९ के लिये समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी २८ जुलाई, १९६० की बैठक में यह निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम

[श्री अध्यक्ष]

जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ के विभिन्न प्रकरणों के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :

सामान्य विवाद--एक दिन ।

खंडशः विवाद--साढ़े छः दिन ।

पारण--आधा दिन ।

इस तरह से आठ दिन का समय निर्धारित किया गया है ।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय के बंटवारे को स्वीकार करता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, मुझे कुछ इसके विरोध में कहने दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--विरोध में तो नहीं कह सकते । अगर आप कहना चाहते हैं तो यह संशोधन ला सकते हैं कि यह उक्त समिति को पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, जो श्री नरेन्द्र सिंह जी का प्रस्ताव है उसे पुनः इस कमेटी के विचारार्थ भेजा जाय । इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि यहां कुछ ऐसी पद्धति-सी पड़ती जा रही है कि चाहे जो बिल हो उसके बारे में समय निर्धारित कर दिया जाय । छोटे-मोटे बिलों के सम्बन्ध में ऐसा हो तो कोई मुझे खास एतराज नहीं होगा, लेकिन जो खास महत्व के बिल हैं उनके टाइम को लिमिट करने के माने यह हैं कि अगर वह बिल तब तक पारित न हो तो उसके बाद वह गिलोटिन करके पास कर दिया जाय और उस पर विचार न हो सके . . . .

श्री अध्यक्ष--आपका संशोधन क्या है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं कह रहा हूं कि यह फिर उनके पास विचारार्थ भेज दिया जाय या तो इसकी अवधि बढ़ा दी जाय या यह शर्त उठा ली जाय कि इतने समय के अन्दर पारित कर दिया जाय । यह समस्या सारे भारतवर्ष की है । एक खास सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के बाद हमारी जो शासकीय पार्टी है, जिसका इस देश के अधिकांश प्रान्तों पर राज्य है, उसने यह तय किया कि दिसम्बर, १९५९ तक यह हो जाना चाहिये थे । लेकिन अपनी-अपनी सुविधानुसार हर एक प्रान्त ने अलग-अलग रखा । अब इसकी नापतौल क्या हो, किस विधि से हम इसको देखें . . .

श्री अध्यक्ष--आप अवधि बढ़ाना चाहते हैं या उसके अधिकार को खत्म कर देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जो ऐबनार्मल परिस्थिति ला कर लिमिट कर रहे हैं कि इतने दिन के अन्दर पास हो जाय, मैं यह अर्ज करता हूं कि इससे कम में हो जाय, तो ठीक है । लेकिन अगर ज्यादा में हो तो छूट दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैं आपके संशोधन को अवैध करार देता हूं । आप कृपा करके बैठें ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि इसको पुनः कार्यमंत्रणा समिति को भेजा जाय ताकि वह इसकी अवधि को बढ़ाये और इस संशोधन के पक्ष में मैं आपको गवाह रखना चाहता हूं क्योंकि नयी बिजनेस कमेटी में नये मेम्बर आये हैं, मगर पुरानी बिजनेस कमेटी में इस पर विचार करते समय सरकार १० दिन के लिये तैयार

थी और मैंने अधिक समय के लिये कहा था; अब १० दिन से भी कम समय दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी स्मृति को टटोलें कि जब पहले सरकार १० दिन के लिये तैयार थी तो अब उससे भी कम समय क्यों दिया जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाय ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, मैं गौरी शंकर राय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह प्रश्न पुनर्विचार के लिये कार्य मंत्रणा समिति के पास भेजा जाय । इस कार्य मंत्रणा समिति में सोशलिस्ट पार्टी का कोई सदस्य नहीं बुलाया गया और न मंत्रणा समिति में किसी अन्य दल को शरीक किया गया । इससे मालूम होता है कि किसी को सूचना नहीं दी गई । अब जब कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग बुलाई जाय तो उसकी सूचना सब दलों के सचेतकों को नियमानुसार मिलनी चाहिये । फिलहाल इसका समय बढ़ाया जाय ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मैं भी गौरी शंकर राय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि हमें भी सूचना नहीं दी गई और न हमारी पार्टी की तरफ से किसी को बुलाया गया, इसलिये यह वापस जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---यह बात नहीं है । जो सदस्य हैं इस समिति के उन सभी को सूचना दी गई और जितने आये उन्होंने तय किया और सर्व सम्मति से तय हुआ ।

राजा वीरेन्द्रशाह---जी नहीं, हमें सूचना नहीं मिली ।

श्री अध्यक्ष---आप सदस्य नहीं होंगे ।

श्री मदन पान्डेय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, वह दस दिन के लिये तैयार थे और हम १२ दिन मांग रहे थे । मैं समझता हूं कि कम से कम ५ रोज साधारण विवाद के लिये और ७ रोज का समय खंडशः विवाद के लिये दिया जाय ।

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)---मान्यवर, यह विधेयक एक बार इस आदरणीय सदन के सामने आ चुका है जब कि इसको संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था और इसके साधारण विवाद में पर्याप्त समय दिया जा चुका है । इसलिये अब कोई आवश्यकता नहीं है और जो समय निर्धारित किया गया है वह काफी है । कुछ न कुछ समय तो निर्धारित करना आवश्यक होगा नहीं तो काम समाप्त नहीं हो सकता है अगर छूट दे दी जाय माननीय सदस्यों को कि जितना समय चाहें लें तो कोई कार्य समाप्त नहीं हो सकता । इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्थापित समय के बंटवारे को स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई ।)

श्री गौरीशंकर राय---माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा एक चीज का स्पष्टीकरण मैं चाहता था कि एक संशोधन था इधर से, तो यह राय संशोधन पर ली जा रही है या मूल प्रस्ताव पर ?

श्री अध्यक्ष---मूल प्रस्ताव पर, और मैं कोई भी ले सकता हूं पहले । अगर मूल प्रस्ताव पास हो जाता है तो संशोधन अपने आप गिर जायेंगे ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया तथा हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१२३,

विपक्ष में---२४ ।)

अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक पर विचार करने हेतु तिथि की जानकारी की मांग

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक और जानकारी आपके जरिये चाहता हूं । पिछले सत्र में यह कहा गया था कि जिला अन्तरिम परिषद् विधेयक अब की आयेगा। लेकिन उसकी तिथि अब तक निश्चित नहीं हो सकी है। अगर वह देर से आयेगा तो फिर इस सत्र में भी पास नहीं हो सकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिला अन्तरिम परिषद् विधेयक की क्या तिथि रखी गई है । हमारी सरकार कहती तो यह है कि इसे इसलिये जल्दी पास कराना चाहते हैं कि जिला अन्तरिम परिषद् विधेयक आने वाला है । लेकिन वह विधेयक अब तक हमारे सामने नहीं आया और आपसे भी हमने निवेदन किया था कि जो विधेयक आने वाले हैं वह पहले से ही हमारे सामने आ जायं, लेकिन कोई विधेयक नहीं आ रहा है । तो ऐसी स्थिति में हम कैसे काम कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---यह मैं पूछ के बता दूंगा । अभी अगर कोई उत्तर दे सकते हों, कि कब यह जिला परिषद् वाला बिल आने वाला है तो दे दें । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बता सकेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर संपूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक इस सत्र में आयेगा । एक बात है कि अक्सर लोगों का यह आग्रह है कि पंचायतों का चुनाव भी हो जाना चाहिए । तो पंचायतों के संबंध में एक बहुत छोटा सा विधेयक है । हमारा ऐसा विचार है कि इस सीलिंग वाले विधेयक के बाद उस छोटे से विधेयक को पेश कर दें और उसके बाद हम आशा करते हैं कि जिला परिषद् वाला विधेयक भी हम सदन के सामने रख देंगे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव तो हुए थे अभी पांच छः साल पहले, लेकिन जिला परिषदों के चुनाव तो सन् १९४७-४८ से हर साल रुकते जा रहे हैं तो पंचायतों के चुनाव की तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इतनी फिक्र है लेकिन इतने सालों से रुके हुए जिला परिषदों के चुनाव की फिक्र उन्हें नहीं है । हम तो चाहते हैं कि वह पंचायतों का चुनाव भी करायें और जिला परिषदों का भी करायें । जिला परिषदों का चुनाव तो हर हालत में इस साल हो ही जाना चाहिए। तो वह केवल पंचायतों का ही चुनाव क्यों करा रहे हैं, दोनों का ही क्यों नहीं कराते ? वह विधेयक हमारे सामने जल्दी से आ जाय, ताकि हम उसे पढ़ तो लें क्योंकि हेल्थी लेजिस्लेशन आयेगा तो हम उसे पढ़ नहीं पायेंगे । लेकिन इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि सरकार विधेयक पारित नहीं कराना चाहती है और हमारा आरोप अपनी जगह पर है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती ।

श्री अध्यक्ष---मैंने सरकार से यह बात कह दी है कि इस संबंध में जो विधेयक हों वह शीघ्र सदन के सामने आ जाने चाहिए और वह जैसे ही छप के आयेंगे सदन के सामने आ जायेंगे ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष---मैं सिर्फ यह जानना चाहता था आज की कार्यवाही के संबंध में, क्योंकि आज श्री राज्यपाल के सम्बोधन के संबंध में प्रस्ताव पर जो वादविवाद हो रहा है उसका अन्तिम दिवस है, इसमें कई संशोधन हैं । पारसाल मैंने यह कहा था कि नये नियमों के अनुसार जो संशोधन पेश करता है उसको उत्तर देने का अधिकार होगा । अब संशोधन लगभग ८ होंगे । तो उनके लिये मैं चाहता हूं कि कुछ समय निर्धारित कर दूं, यदि वह उत्तर देना चाहें, नहीं तो एक मुख्य संशोधन के ऊपर, पारसाल जैसा कि विरोधीदल के नेता ने उत्तर, दे दिया था, वही होगा ।

---

*२८ जुलाई, १९६०, की कार्यवाही से ।

लेकिन अब नये नियमों के अनुसार सब के सब को उत्तर देने का समय दिया जा सकता है । पारसाल विरोधीदल के नेता ने कहा था कि सबको मौका मिलना चाहिये । पारसाल मैंने समय नहीं दिया था क्योंकि समय निकल चुका था । अब इस साल अभी से आप निर्णय कर लें तो मैं सबको मौका दे दूं और हर संशोधन के लिये ५, ५ मिनट का समय दे दूं यानी विरोधी दल के नेता को उत्तर देने के लिये १५ मिनट मिलेंगे और बाकी जितने संशोधन अन्य सदस्यों के आये हैं वह ५ मिनट में अपना-अपना उत्तर दे दें तो अनुचित न होगा । तो क्या राय है ?

(कुछ रुक कर)

इसमें किसी को आपत्ति नहीं है । तो अब तरीका यह रहेगा कि विरोधीदल के नेता को अपने संशोधन के ऊपर उत्तर देने का १५ मिनट का समय रहेगा और बाकी लोगों को ५ मिनट का समय उत्तर देने के लिये दिया जायगा । और प्रस्तावक जो हैं उनको अधिक से अधिक समय आखिर में १५ मिनट तक उत्तर देने का रहेगा ।

श्री धनुषधारी पान्डेय (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं कल यह कह रहा था कि जो मेरे जिले के अन्दर विकास का कार्य हुआ है उसमें खासतौर से धान की फसल मार्च के महीने में नाथ नगर ब्लाक के अन्दर किसानों ने बोई उसकी पैदावार जून जुलाई में की, वह एक बिल्कुल नवीन चीज है । उसकी पैदावार १० से १७ मन फी एकड़ हुई है ।

सिंचाई के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि नहरों की सिंचाई पर फी एकड़ १२ रुपये उन किसानों को देना पड़ता है जो नहरों से पानी लेते हैं । उसके बरअक्स जो ट्यूबवेल से पानी लेते हैं उनको ६४ रुपये देना पड़ता है, यानी ५।। गुना नहरों के बरअक्स ट्यूबवेल की सिंचाई का लगान किसानों को देना पड़ता है । इस दशा में मुझे यह निवेदन करना है विशेष-रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जिन काश्तकारों ने ट्यूबवेल से सिंचाई करके धान की फसल को मार्च के महीने में बोया और जून-जुलाई में पैदा किया और एक नवीन फसल पैदा की और इस तरह से पैदावार को बढ़ाया और यही नहीं उन्होंने पैदावार बढ़ाकर खाद्य समस्या को हल करने का प्रयत्न किया,उनके लिये कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई । मैं यह भी कहूंगा कि जितने लेट वैराइटी के खेत हैं जिनको हम जड़हन के खेत कहते हैं और हमारे बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ आदि जिलों के अन्दर हजारों एकड़ जमीन पड़ी रहती है । एक फसल काटकर वे छोड़ दिया करते हैं । उनमें यदि ट्यूबवेल और नहरों के द्वारा पानी दिया जाय, उनको कुछ विशेष सुविधा दी जाय तो काफी पैदावार इस तरह से करके हम अपनी खाद्य समस्या को गोरखपुर डिवीजन में या बनारस डिवीजन में या पिछड़े हुये उत्तर प्रदेश के जिलों में हल कर सकते हैं । यदि वहां के लोगों को कुछ विशेष सुविधा दी जाय तो इन पिछड़े हुये जिलों में काफी पैदावार बढ़ सकती है । मैंने देखा है कि नाथनगर ब्लाक के अन्दर वहां के अधिकारियों ने काफी प्रबन्ध किया और विशेष ध्यान दिया । यदि विशेष ध्यान बस्ती और गोरखपुर में इस ओर दिया जाय तो बहुत अधिक मात्रा में वहां की पैदावार बढ़ सकती है । हमारे यहां जो खाद्य की समस्या जटिल हो गई है वह इस प्रकार से हल की जा सकती है ।

साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि मई और जून के महीने में जब कई तरफ से सिंचाई की मांग होती है और पानी की मांग बहुत बढ़ जाती है तो उस समय ट्यूबवेल बन्द रहते हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार का सिंचाई विभाग इस ओर ध्यान दे । इस ओर विभाग का ध्यान दिलाया जाता है लेकिन विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगता है और इससे काफी नुकसान होता रहा । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि देश की आवश्यकता को देखते हुए सिंचाई विभाग को सतर्कता से काम लेना चाहिये ।

साथ ही साथ मैं कोआपरेटिव विभाग के संबंध में आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे काम लेने के लिये केवल प्रान्तीय सरकार ही नहीं, केन्द्रीय सरकार भी बड़ी लालायित रहती है । इस बारे में मैं अपने जिले की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । हमारे यहां कोआपरेटिव फेडरेशन ने २५ भट्टे चलाये हैं, लेकिन उनमें पचासों

[श्री धनुधारी पाण्डेय]

हजार का नुकसान हुआ है। उस फेडरेशन ने आनरेरी सेक्रेटरी की मोटर पर ही हजारों रुपया खर्च हुआ और उन्हीं भट्टों के मुकाबले में जो प्राइवेट भट्टे चल रहे हैं उनमें १०, १५ और २० हजार रुपये तक फायदा हुआ है। पता नहीं यह कोआपरेटिव फेडरेशन के कर्मचारी किस तरह से काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर उस फेडरेशन की कार्यकारिणी भंग कर दी गयी है, लेकिन उसके आनरेरी सेक्रेटरी को गवर्नमेंट ने आज तक नहीं हटाया और वह अपनी हुकूमत वहां चला रहा है और वहां के कर्मचारी गलत काम कर रहे हैं। सरकार का कोई मंशा नहीं है कि इस तरह की गड़बड़ी वहां हो, लेकिन उसको चेक नहीं किया गया और अगर चेक नहीं किया गया तो हम वहां की जनता को इसका क्या जवाब देंगे। ऐसा लोगों का कहना है कि सरकार के सामने काफी बातें रखी गयीं लेकिन पता नहीं उनकी उस आनरेरी सेक्रेटरी से क्या दोस्ती है कि वे उसको हटा नहीं रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि बस्ती में जो कोआपरेटिव फेडरेशन में तमाम गड़बड़ी है उसको तत्काल दूर करे क्योंकि लोगों को उसमें काफी शंका पैदा हो गयी है, ऐसा कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त मैं उद्योग के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमने देखा है कि उद्योग केवल इनेगिने लोगों तक सीमित किया जा रहा है और जब विभाग के इंसपेक्टरों के सामने ग्रांट और लोन की एप्लीकेशन्स जाती हैं तो वे उसका १०, १५ या २० परसेंट रिशवत लिये बिना रेकमेंड नहीं करते। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार के आदेश निकालें कि जिनके पास जायदाद हो और जो सिक्योरिटी दे सकते हों, उसे रेवेन्यू या अन्य विभाग तस्दीक कर दें और इंसपेक्टरों को कोई अधिकार न रहे कि वे उनकी एप्लीकेशन्स को डिटेन कर सकें। मेरे जिले में यह उद्योग विभाग के लोगों ने बतलाया कि केवल बड़े आदमियों तक ही सीमित है। गोरखपुर डिवीजन में किसान काफी गरीब हैं, मोहताज हैं और परेशान हैं। यदि उनके लिये उद्योग की व्यवस्था न की गयी तो म नहीं समझ पाता कि उनका यह बेकारी का जीवन किस प्रकार कटेगा।

पंजाब में, जालंधर के संबंध में मुझे यह कहना है कि वहां ३,००० कारखाने एक शहर में चल रहे हैं, जितने शायद इस पूरे प्रांत भर में भी न हों। वहां हर एक घर एक कारखाना है, कहीं साइकिल के पुरजे बनते हैं, कहीं घंटी बनती है, और कोई घर ऐसा नहीं है जहां कोई उद्योग न चलता हो। हमारे प्रांत में जिले के जिले साफ हैं और आपने केवल बुनकरों के लिये करघे और पावर लूम्स की व्यवस्था कर दी है। इनसे हम कितने लोगों को उद्योग दे सकते हैं? हमारे प्रदेश में काफी संख्या हरिजन और पिछड़े हुये लोगों की है। हमें उनकी ओर भी देखना होगा। हमें उनकी बेकारी को दूर करना होगा, उनके लिये कोई काम खोजना होगा जिसे कि अपने खाली समय में वे कर सकें। छोटे छोटे कामों को, जैसे कि कम्बल बनाना है, साइकिल के पुर्जे बनाना है, और तरह-तरह के काम हैं जो अगर वहां शुरू किये जायं तो उससे उनको फायदा पहुंच सकता है। मेरे यहां गोरखपुर डिवीजन में करीब १ लाख आदमी साइकिल चलाने वाले हैं। अगर एक साइकिल का कारखाना गोरखपुर में खोल दिया जाता है तो उससे वहां की जनता का बड़ा फायदा हो सकता है। इससे मेरे यहां की बेकारी भी दूर होगी, काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, और प्रदेश की हालत भी अच्छी होगी।

साथ ही साथ मैं गोरखपुर डिवीजन में शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे साथी सभी जानते हैं कि गोरखपुर डिवीजन में काफी लोग अशिक्षित हैं, वहां काफी बेकारी है, वहां के लोगों की नाना प्रकार की समस्यायें हैं, और हाल में जो गोरखपुर में यूनीवर्सिटी खोली गयी है तथा उसमें जो विषय रखे गये हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। वहां यूनिवर्सिटी जरूर खोली गयी है लेकिन मैं पूछता हूं कि वहां से जागरफी, संस्कृत और अन्य साहित्यक भाषा सीख कर लोग निकलेंगे उनका उसके बाद क्या होगा, वे कहां जायेंगे, इसको क्या सरकार जानती है? मेरा इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस तरफ ध्यान दें और वहां ऐसे विषय पढ़ाये जायें जिनसे वहां की जनता की गरीबी दूर हो, बेकारी दूर हो। वहां आप कोई इंजी-

निर्यारिंग कालेज उसके अधीन खोलिये, कोई मेडिकल कालेज खोलिये, और यदि आप यह नहीं कर सकते, तो उससे अच्छा यही होगा कि आप उसको बन्द कर दें । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चय ही बेकारी बढ़ती जायेगी और जब बेकार लोग मेरे पास आकर काम के लिये मांग करेंगे तो मैं क्या करूंगा ?

जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी खुलने का सवाल उठा तो उस समय यह कहा गया था कि वहां पर कृषि की शिक्षा दी जायेगी । अगर आप कृषि की शिक्षा देते तो उससे कुछ लाभ होता । मुझे विश्वास है कि इलाहाबाद में जो यूनिवर्सिटी है उसमें आप पहले मेडिकल कालेज देंगे । लेकिन मुझ गरीब की आवाज कौन सुनने वाला है ? मुझे आशा है माननीय मुख्य मंत्री जी मुझ गरीब की आवाज को सुनेंगे और इस तरफ ध्यान देंगे क्योंकि उन्होंने अभी पार्लियामेंट के मेम्बरों के सामने यह मांग रखी कि जन संख्या के आधार पर, यहां की बेकारी की संख्या के आधार पर, रुपये का बटवारा होना चाहिये । मैं भी इसी उचित मांग को उनके सामने रखता हूं कि मेरे यहां की जन संख्या को देखते हुए मेरे यहां की गरीबी को देखते हुये और बेकारी को देखते, हुये आप लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें । अगर उन्होंने इसी आधार को सामने रख कर केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी मांग को रखा तो वह उसी आधार पर हमारे यहां के गरीब लोगों की मांग को भी पूरा करें और वहां के लिये धन दें ।

सड़कों की हालत के बारे में क्या कहूं । वहां की सड़कों की हालत यह है कि अगर कोई अच्छी मोटरकार वहां पर पहुंच जाये तो वह एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच नहीं पायेगी । इस लिये आप वहां की सड़कों को ठीक कराने की ओर भी ध्यान दें ।

छोटे-छोटे कर्मचारियों के बारे में भी मेरा आपसे निवेदन है कि जो १०० रुपये के नीचे के कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करें । प्रान्त की दशा को देखते हुए तथा उन लोगों की समस्याओं को देखते हुये, चीजों की बढ़ती हुयी कीमतों को देखते हुये, मेरी आपसे यह मांग है कि उनका वेतन भी बढ़ाया जाय जिससे कि वे अपना तथा अपने बच्चों का अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर सकें ।

प्रदेश की आर्थिक समस्याओं को देखते हुये उसको हल करने के लिये हमारी सरकार कदम उठाती है किन्तु उसमें सबसे बड़ी गल्ले की समस्या है । जिस प्रकार हमारे यहां नये ढंग से धान की पैदा करने की योजना चलाई गयी, उसी प्रकार की योजना सब जगह चलाई जानी चाहिये । इन शब्दों के साथ म धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

***श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, जिस प्रकार मई और जून की प्रचंड गर्मी के बाद प्यासे धरती पुत्र सुदूर दक्षिण से आने वाले श्यामवर्ण मेघराज की ओर पुलकायमान दृष्टि से निहारा करते हैं कि उनके गम्भीर गर्जन में कितना वर्षण है, उसी प्रकार आशा भरी दृष्टि से हम सभी केरल से आने वाले अपने महामहिम राज्यपाल के भाषण की ओर टकटकी लगाये थे । संभाषण हुआ और मैं समझता हूं इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्य इस राष्ट्र भाषा हिन्दी पर जो अधिकार उनका है और जिस शैली में उन्होंने डेढ़ घंटे तक तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसके हेतु उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उससे यह भी स्पष्ट होता है कि हमारी हिन्दी राष्ट्र भाषा जो है वह वास्तव में इस देश की राष्ट्र भाषा होने के हेतु कितनी सबल और परिपुष्ट भाषा है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार तैलगू भाषा भाषी भी बनारस के पंडितों की भांति हिन्दी बोल सकते हैं ।

यह सब तो ठीक है, लेकिन जो माननीय धन्यवाद देने वाले सदस्य हैं और समर्थक हैं उन्होंने भी बड़ी प्रौढ़ भाषा में उसका समर्थन किया । जो प्रस्तावक महोदय हैं, पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार तो यह होना चाहिये था कि जो पीछे बैठने वाले सदस्य हैं--बैक बेंचर्स--उन्हीं में से किसी को होना चाहिये था लेकिन जहांतक मेरी सूचना है हमारे आदरणीय प्रस्तावक महोदय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। मैं यह गुस्ताखी नहीं कर सकता हूं कि उन्हें बैक बेंचर कहूं। साथ ही पार्लियामेंटरी पद्धति में यह भी प्रक्रिया है कि प्रस्तावक और समर्थक महोदय जो हैं उनके भाषण कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद नहीं होने चाहिये और दूसरे, उन्हें अपने क्षेत्रों का वर्णन करना चाहिये और उसको भाषण से जोड़ना चाहिये। मुझे खेद के साथ कहना है कि इस प्रक्रिया का अनुकरण नहीं किया गया, प्रस्तावक और समर्थक महोदय ने अपने भाषण में विवाद की बातें रख दीं जबकि उनको केवल ऐसी बातें कहनी चाहिये थीं जो निर्विवाद हो और जिनको व्यक्त करने में सदन एक मत हो ऐसी बातों का ही उल्लेख करना चाहिये था। क्षेत्र का भी उल्लेख उन्होंने नहीं किया। आशा है कि भविष्य में किया जायगा।

माननीय विरोधी दल के नेता के बाद, यह भी परम्परा है कि माननीय नेता सदन धन्यवाद दिया करते हैं। मैं नहीं जानता कि अभी तक इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया है। खैर, यह भविष्य के लिये संकेत मात्र है जो कि मैं आपके विचार के लिये प्रस्तुत करूंगा।

हमारे संविधान में लिखा है कि जो गवर्नर का भाषण होगा उसमें सरकारी नीति की विशेषतायें बतलायी जानी चाहिये और इस बात को बतलाने के लिये ही यह एड्रेस होता है। इस भाषण में भी पेज २, पैराग्राफ ४ में लिखा है, "अतएव मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर सरकारी नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने तथा आपसे उन विधायनों का उल्लेख करने तक ही अपना भाषण सीमित रखना चाहूंगा जिन पर विचार करने और जिन्हें पारित करने की आपसे इस सत्र में अपेक्षा की जा सकती है"। चौथे पैराग्राफ में महामान्य राज्यपाल संविधान की मर्यादा को देखते हुये यह कहते हैं कि मैं केवल नीति की बातें कहूंगा। मुझे खेद है कि सारा भाषण माननीय राज्यपाल का जिस प्रकार से बनाया गया है उसमें नीति का उल्लेख नहीं है विधायनों का उल्लेख नहीं है, बल्कि एक ब्योरेवार उल्लेख है, एक कैटलाग है फैक्ट्स का। यह हो सकता है कि वह तथ्य सत्य हों, लेकिन वह नीति की कोई बात नहीं है। जैसा कि आप देखें कि आगे बतलाया गया है कि "शराब बनाने की तीन नयी भट्ठियां सिवहारा, मोदीनगर और पिलखानी में खोली जा चुकी हैं।" मैं इसे कोई नीति की बात नहीं समझता। नीति का कुछ उल्लेख जरूर है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कहा गया है कि ६०० करोड़ की योजना पेश की जा रही है और उसके तीन सिद्धांत बतलाये गये हैं इसमें कि एक तो कृषि क्षेत्र का तेजी से प्रसार हो, विद्युत्शक्ति के क्षेत्र की कमी को दूर किया जाय और औद्योगिक विकास का कार्य प्रारम्भ किया जाय। मैं इसमें यह नहीं पाता कि महामान्य राज्यपाल ने कोई एक नीति की उद्घोषणा की कि औद्योगिक प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाय। हमारे माननीय राज्यपाल कहते हैं कि इस प्रदेश में औद्योगिक विकास का प्रारंभ नहीं हुआ है। तो वह एक सीधी सादी बात उसमें आयी है और इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि १६–१७ तारीख को जो एम०पीज कनवेंशन में भाषण हुआ वह तो सही भाषण हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये इस प्रदेश को अवश्य धन मिलना चाहिये लेकिन एम०पीज० के सामने जो तृतीय योजना का ड्राफ्ट रखा गया उसमें ७३४ करोड़ ३६ लाख रुपये की मांग की गई और केवल एक सप्ताह के बाद हम देख रहे हैं कि ६०० करोड़ की योजना है। १३४ करोड़ रुपये इसी बीच में कम हो गये। हम देखें कि हमारा उद्देश्य यह है कि १९७६ तक अपनी पर कैपिटा इनकम को हमें दूना कर लेना है। उसके अनुसार थर्ड प्लान में ९०० करोड़ रुपये का प्राविजन होना चाहिये था। पापुलेशन के आधार पर भी जो हमारी मांग है उसके अनुसार भी साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की योजना होनी चाहिये थी। इसलिये हमारी जो मांग है उसके आधार पर, महामान्य राज्यपाल ने जो उल्लेख किया है उसको हम पर्याप्त नहीं समझते, उस पर पुनर्विचार होना चाहिये।

सहकारी खेती के बारे में यहां पर बहुत कहा जाता है। राज्यपाल के भाषण में सहकारी खेती का कहीं भी उल्लेख नहीं है। सहकारिता का उल्लेख तो है लेकिन सहकारी खेती का कोई

उल्लेख नहीं है। यह सोचने की बात है। सहकारी खेती का नारा हम बहुत लगाते हैं, कोई विरोध करता है और कोई समर्थन करता है, लेकिन उसका प्रारूप क्या है यह नहीं मालूम। डेनमार्क में व्यक्तिगत खेती को भी सहकारी खेती कहा जाता है क्योंकि वहां पर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य सहकारी आधार पर होता है। हम सहकारी खेती का समर्थन और विरोध तो बड़े जोरदार शब्दों में कर रहे हैं लेकिन उसका प्रारूप भी हमारे सामने नहीं है। अभी यह तय नहीं है कि यहां पर सहकारी खेती यूगोस्लाविया के ढंग की होगी, इजराइल के ढंग की होगी, हंगरी के ढंग की होगी या डेनमार्क के ढंग की होगी, केवल "सहकारी खेती" शब्द का ही विरोध नहीं हो सकता, उसको प्रारूप का समर्थन या विरोध किया जा सकता है।

यह कहा गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ा है। कृषि उत्पादन इसलिये बढ़ा है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ा है लेकिन पर एकड़ गेहूं, जौ या धान की पैदावार नहीं बढ़ी है। तो इसके कारणों पर हमें सोचना है कि आखिर क्या कारण है कि इतने रबी और खरीफ आन्दोलन के बाद भी हमारे यहां प्रति एकड़ उत्पादन नहीं बढ़ पाया।

इसी प्रकार सहकारिता में डिआफिशियलाइजेशन की बात होती है कि इसका असरकारीकरण कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आज हमारे यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन, कोआपरेटिव बैंक के अधिकारी और रजिस्टार कोआपरेटिव सोसाटीज सरकारी अधिकारी हैं, उसके चेयरमैन सरकारी आफिसर हैं, उसके सेक्रेटरी सरकारी आफिसर हैं। तो फिर किस प्रकार से असरकारीकरण हो रहा है। अन्य देशों में कोआपरेटिव विभाग ही नहीं है और न रजिस्ट्रार जैसा कोई पद है। मैं यह मानता हूं कि संक्रमण काल में इसकी आवश्यकता पड़ती है लेकिन अपक्स आर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रार को कम से कम चेयरमैन नहीं रहना चाहिये। इस ओर कुछ कदम हमें उठाना चाहिये। यह सारी बातें हैं जिन्हें नीति की घोषणा में स्पष्ट होना चाहिये था।

आगे चलकर तृतीय योजना के लिये साधन जुटाने की बात है। वह कैसे जुटाये जायं? क्या आपने कभी इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। सन् १९४९ में जो एकोनामी ऐन्ड रिसोर्सेज कमेटी बनी थी उसने केवल एकोनामी के ही सुझाव दिये, रिसोर्सेज के बहुत कम सुझाव दिये। हम कितने रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं, यह उसमें नहीं है। मेरी राय से इसके लिये एक पर्मानेंट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन कमेटी बननी चाहिये। आपके पास स्माल सेविंग स्कीम है। सभी लोग इसका समर्थन करते हैं लेकिन क्या आज तक आपने कोई ऐसा संघटन बनाया जिसमें सभी दल के लोग शामिल हों। तो इससे स्पष्ट है हम ठीक प्रकार से अंकन नहीं कर पाते हैं। केन्द्र के स्तर पर तो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन बना, लेकिन हमारे स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह सब चीजें होनी चाहिये थीं और तभी हम कह सकते कि हमें धन दिया जाय। अभी हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, हमारे पास टेक्निकल परसोनेल नहीं हैं जिनसे कि सही मानों में हम अपनी स्कीमों को पूरा कर सकें। तो इस सम्बन्ध में हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना आवश्यक है। यह भी एक नीति का प्रश्न था।

इस प्रकार से हमारा जो परकैपिटा प्रोडक्शन और कंजम्पशन है उनमें संतुलन होना चाहिये। जहां राज्यों की आय से हमारे प्रान्त की आय घटी है वहां यह भी हुआ कि प्रति व्यक्ति जो खर्चा है वह बढ़ा है। यह एक बहुत खतरनाक ट्रेन्ड है। इसको रोकना पड़ेगा। यह एक नीति का प्रश्न था लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल के भाषण में इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। हां, एक बात कही गयी है जिसके लिये महामान्य राज्यपाल और उनके द्वारा प्रदेशीय सरकार बधाई के पात्र हैं।

इसमें चेष्टा की गयी है मंहगाई बढ़ाने की। मैं समझता हूं कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के लोगों को मिला कर सरकार को साढ़े तीन करोड़ रुपया खर्च करना होगा। मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार से हमको कितनी मदद मिलेगी। यह कदम अच्छा है लेकिन पूरा नहीं है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जो आज हमारे मुख्य मंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में सन् १९४७ में एक पे कमीशन बैठा था, उसके टर्म्स आफ रेफ्रेन्स में १० साल की बात थी अर्थात् वह १९५७ तक के लिये था। अब तीन वर्ष और व्यतीत हो चुके हैं। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन में बताया गया है, इस बात की जरूरत है कि द्वितीय पे कमीशन बैठाया जाय जो इस बात का वैज्ञानिक विश्लेषण करे कि आवश्यकता क्या है और उसमें से कितना केन्द्र दे सकता है और कितना राज्य सरकार अपने साधनों के हिसाब से दे सकती है।

द्वितीय पे कमीशन की रिपोर्ट को मैंने देखा। उन्होंने एक नया सुझाव दिया है कि राज्य सरकार के जो क्लर्क हैं या चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं उनमें से रेलवे में भर्ती की जाय। मैं नहीं जानता कि इसको प्रदेशीय सरकार कहां तक मानेगी। मैं भी इससे संतुष्ट नहीं हूं। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में सरकार विचार करके कोई उचित कदम उठायेगी।

यह केवल तनख्वाह क मामला ही नहीं है। जो योजना को सफल बनाने वाले हैं उनको संतुष्ट रखना सरकार का कर्त्तव्य है। यह कोई आन्दोलन नहीं है और न कोई हिंसात्मक आंदोलन ही है लेकिन अगर इस आन्दोलन में नैतिक बल है तो कम से कम हम अपनी योजना को सफल बनाने के लिये उसकी व्यवस्था करें।

कल खाद्य मंत्रीजी ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने बताया कि वे बड़ी चेष्टा करते हैं कीमतों को घटाने की। उसके बारे में उन्होंने आंकड़े भी दिये। आंकड़ों का जवाब तो आंकड़ों से ही दिया जा सकता है। माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय पालीवाल जी ने बहुत से आंकड़े पेश किये। मैं खाद्य मंत्री महोदय की क्षमता को जानता हूं लेकिन जो आज हालत है उसमें कितना ही योग्य खाद्य मंत्री आप क्यों न बैठा दें, जब तक आप दामों का सही सन्तुलन नहीं कर पायेंगे, तब तक आप सफलता और असफलता के झूले में झूलते रहेंगे। यदि योजना को सफल बनाने के लिये जनतांत्रिक ढंग से उसको चलाना है तो आपको प्राइस लाइन को कंट्रोल करना होगा नहीं तो मुद्रा स्फीत का दबाव बढ़ेगा। इसलिये प्राइसेज के स्टेब्लाइजेशन के लिये एक प्राइस स्टेब्लाइजेशन बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता है। जो प्रति दिन हर जिले और नगरों के भावों को देखे और सरकार को भावों के बारे में सलाह दे। यह नहीं कि केवल गेहूं के भावों को ही देखा जाय बल्कि कपड़ा, लोहा आदि जो चीजें हैं उनके भावों को भी देखना आवश्यक है। इस बोर्ड की जितनी जरूरत है उतनी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नहीं है। वह रहे लेकिन इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अशोक मेहता कमेटी ने इस बारे में स्पष्ट सुझाव दिये हैं। उन पर अमल करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, नीति के प्रश्न बहुत से हैं और सारी नीतियों के प्रश्नों का हल १५ मिनट के माननीय राज्यपाल के भाषण में, जैसा कि उसको होना चाहिये, नहीं हो सकता; लेकिन जो जलते हुये प्रश्न हैं, जो प्रजातंत्र की पद्धति के लिये चुनौती हैं, उन प्रश्नों के सम्बन्ध में नीति का निर्देशन तो अवश्य ही होना चाहिये। और इसी की अपेक्षा हम महामान्य राज्यपाल से करते थे। तो श्रीमन्, एक बार पुनः उनकी विद्वत्ता के लिये, योग्यता के लिये और जो केरल में कार्यकुशलता उन्होंने दिखलायी उससे हमें पूरी आशा है कि यहां पर भी उसका सफल प्रयोग होगा और उसके लिये मैं महामान्य राज्यपाल को बधाई देता हूं। जहां मैं उनको विरोधी दल की ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, वहां दूसरी ओर मैं उनसे यह भी आशा करता हूं कि इस प्रकार का एक नीति निर्देशन होना चाहिये और जो त्रुटियां कि आज इस अभिभाषण में रह गयी हैं इन त्रुटियों को दूर करने का भारी और गम्भीर प्रयत्न होना चाहिये तभी हम समझेंगे और यह आशा कर सकेंगे कि हम अपनी योजनाओं का संचालन करने के लिये और सही माने में इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिये जो खतरे की बात महामहिम राज्यपाल ने नुक्लियर वार अफेयर की, अपने अभिभाषण में बतलायी है, एक मान वोचित भूमि का वातावरण पैदा कर सकेंगे और तभी हमारा वह सिद्धांत सफल और साकार हो सकेगा।

(इस अवसर पर १२ बज कर ४६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

श्री सूरत चन्द्र रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)—अधिष्ठात्री महोदया, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री मदन मोहन ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कुछ नीतियों की चर्चा की और उन्होंने आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि हमारी नीतियों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। मैं तो अर्ज करूंगा कि यदि हम ४ और ४ को दो दफा जोड़ें तो वह ८ ही बनेगा। इस भाषण में उन्होंने अपनी नीतियों का स्पष्टीकरण ब्योरेवार किया है। यदि हम उस भाषण को आदि से लेकर अन्त तक पढ़ें तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीतियों का पूर्ण ब्योरा उसमें है और सरकार यहां के नागरिकों की उन्नति के लिये क्या करने जा रही है इसका पता इस भाषण से अच्छी तरह से चल सकता है। मैं इस समय अधिक न कह कर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज की वस्तु स्थिति को देखते हुये महामहिम राज्यपाल ने इस आदरणीय सदन में जो भाषण पढ़ा, इससे अच्छा कोई भाषण नहीं हो सकता था।

अब जहां तक उन्होंने और परिस्थितियों का ब्योरेवार जिक्र किया है, उसके सम्बन्ध में मैं अभी कुछ न कुछ कह कर जो मेरे पहाड़ी जिलों कुमायूं और उत्तराखंड डिवीजन में आज बन्दोबस्त चल रहा है उस सम्बन्ध में पहले कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है क्योंकि मैं जानता हूं कि शायद बाद में समय खत्म हो जायगा और मैं वहां की बातों का उल्लेख नहीं कर सकूंगा। आजकल कुमायूं और उत्तराखंड डिवीजन में जो रेकार्ड अपरेशन चल रहा है, उस सम्बन्ध में मुझे यह अर्ज करना है कि हमारे जिले टेहरी में इंसिडेंस आफ रेवेन्यू पुराने बन्दोबस्त के हिसाब से करीब १ रु० ५ आने पड़ता है और हमारे पड़ोसी जिले जो अल्मोड़ा तथा गढ़वाल के हैं वहां करीब १० आने और १२ आने के पड़ता है। जहां पहले चेन सर्वे किया गया था वहां अब प्लान्टेशन सर्वे किया जा रहा है जिससे ४० प्रतिशत लैन्ड की मिकदार बढ़ जायगी और उसकी वजह से मैं समझता हूं कि वहां रेवेन्यू में तिगुना अन्तर आ जायगा। पहले जब कि सामन्तवादी व्यवस्था थी तब विलेज रेट आरबिट्रेरी तय किया जाता था, कोई उसके लिये नियम नहीं था। लेकिन आज जब कि हम आजादी के युग में चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि हर चीज नियम के मुताबिक होनी चाहिये। पहले जहां आरबिट्रेरी ढंग से village rate तय किया गया था उससे आज की मौजूदा आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा फर्क आ जायगा।

दूसरे, अधिष्ठात्री महोदया, मैं अर्ज करूं कि हमारे यहां एक किस्म की और भूमि है जिसको कि आलूचक के नाम से पुकारते हैं। उसमें साल भर में एक फसल होती है और वहां पर रेवेन्यू जो है वह ६ प्रतिशत पर बेसी के हिसाब से है। वहां की ऊंचाई ७-८ हजार फुट है और वहां केवल एक फसल होती है, इस लिये इतना अधिक रेट लगाना किसानों के लिये अन्याय की बात है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि पहाड़ों में बगीचे लगाने से लाभ होता है और खेती में वहां अधिक लाभ नहीं होता। वहां की आर्थिक स्थिति बगीचे लगाने से सुधर सकती है लेकिन रिकार्ड आपरेशंस में जो काफी ऊंचे पर बगीचे हैं वे तालाब दर्ज किये जा रहे हैं जो कि पहले अव्वल व दोयम दर्ज थे। इस तरह से बगीचों की रेवेन्यू तिगुनी और चौगुनी होती जा रही है। इसलिये जो नियम सरकार ने बनाये हैं उन में परिवर्तन करना जरूरी है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह उन नियमों को देखें तो मालूम होगा कि ऐसा पहाड़ों के केवल एक जिले के साथ नहीं हो रहा है बल्कि सब के साथ अन्याय हो रहा है। इसका फल यह होगा कि जहां बागों का २ रुपया लगान पड़ता वहां अब ६ रुपया पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करने की कृपा करेगी ताकि सब जिलों में एक से रेट्स अप्लाई हो जायं।

दूसरी बात यह है कि टिहरी-गढ़वाल में सम्वत् २००२ के बन्दोबस्त के दरम्यान जो लोगों ने ग्राउन्ट्स की दरख्वास्तें दी थीं वह मंजूर नहीं कराई जा सकीं, ऐसी दरख्वास्तें अधिकतर पिछड़े वर्ग के लोगों की थी जो कि अचानक भू-बन्दोबस्त बन्द होने के कारण मंजूर न हो सकीं और अब सिर्फ एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जिन्होंने कन्टीगुअस आबादी कर ली है उनको जमीन

[श्री सूर चन्द्र रमोला]

दी जा रही है लेकिन पहले की दरख्वास्तों का पता नहीं है। इस में इस तरह की तरमीम होना चाहिये कि जिन की पहले की आबादी है और जिन के नयाबाद के मुकदमे चल चुके हैं वह लीगेलाइज हो जायं। यही दो तीन बातें हैं जिन पर सरकार की ओर से ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।

तीसरी बात यह है कि माननीय वन मंत्री जी मौजूद हैं, वह जानते हैं और इसी माननीय राज्यपाल के भाषण में भी है कि हमारे प्रदेश में इस समय केवल १३.५ प्रतिशत जमीन पर वन है। वह चाहते हैं कि पहाड़ों में ६० प्रतिशत जमीन पर और मैदानों में २० प्रतिशत जमीन पर फारेस्ट हो जायं। हमारा जिला ऐसा है कि जहां पर ८० प्रतिशत जमीन पर जंगल है और वे वन विभाग के अन्डर में हैं लेकिन जहांतक उनके मैनेजमेंट का प्रश्न है उस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि यदि हम वहां से लकड़ी लेना चाहें तो वह हमें हरिद्वार में सस्ती मिल जाती है और १२′ × १०″ × ५″ की सलीपर १५ रुपये में हरिद्वार में और १५ में ही हमारे यहां मिलता है जबकि यह कीमत हमारे यहां कम होनी चाहिये। अगर वन विभाग का इसमें अधिक खर्च हो तबभी उसे इसको बरदाश्त करना चाहिये।

इसके अलावा हमारे यहां कोयला और जलाने की लकड़ी भी उपलब्ध नहीं होती। इस साल जाड़ों में लोगों ने कोयले की बराबर मांग की लेकिन वन विभाग ने वहां पर १ बोरा कोयला भी नहीं दिया और वहां के लोगों ने भी लकड़ी की कीमतें तिगुनी व चौगुनी कर दीं कि अगर लोग परेशान होंगे तो अपने आप ज्यादा दाम देंगे। इससे वहां के लोगों को बड़ी परेशानी हुई। हमने इस सम्बन्ध में लिखापढ़ी भी की लेकिन वन विभाग वालों ने जवाब दिया कि चूंकि बरफ गिर गई है और कोयला आना बन्द हो गया है इसलिये सप्लाई नहीं हो सकती। बरफ तो हर साल गिरती है और हमेशा वहां काफी जाड़ा पड़ता है इसलिये इस का प्रबन्ध तो अक्तूबर-नवम्बर में होना चाहिये ताकि लोगों को दिक्कत न हो। अभी अभी मैं वहां से आ रहा हूं। मैंने देखा फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के डिपो में एक भी स्लीपर नहीं है, जिससे कि वहां के लोगों को बिल्डिंग वगैरह बनाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ लोगों की धारणा दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मंत्री जी इस बात की जांच करायें और देखें कि वहां जो एपैथी एक प्रकार की बढ़ रही है उसको न बढ़ने दें।

मैं अब सिंचाई योजनाओं के बारे में कुछ कहूंगा। वह दो प्रकार की चल रही हैं। एक सिंचाई विभाग की बड़ी-बड़ी योजनायें और दूसरे कुछ ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स। जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं वे पहाड़ पर बिल्कुल सफल नहीं होती हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके में जब बरसात होती है तो नदियों की डैनडेशन पावर से नहरों में छोटे कंकड़ चले जाते हैं और पत्थर से सीमेंट उखड़ जाती है और सीमेंट एक साल से ज्यादा नहीं रुक सकती। बड़ी स्कीम जो है उनमें सारी चैनल सीमेंट की नहीं होनी चाहिये बल्कि कुछ में सीमेंट लगाई जाय और बाकी नहर अगर कच्ची रहे तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है। जो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स सिंचाई विभाग दे रहा है उसमें मैं यह अर्ज करूंगा कि वहां इस साल जितना रुपया सैंक्शन किया है, हमारे जिले में पूरा रुपया लैप्स हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। कारण यह दिया गया कि टेक्नीकल हैन्ड्स नहीं थे इसलिये नहीं कर सके। मैंने सिंचाई मंत्री महोदय और चीफ इंजीनियर महोदय को आश्वासन दिया था कि श्रमदान जितना लगेगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, आप ४-५ लाख की स्कीम मंजूर कर दीजिये। वह स्कीम मंजूर हुई, लेकिन कागज पर ही रही।

बहुत दिनों से हमारी यह मांग रही है कि टेहरी प्रापर जिले का हेडक्वार्टर बनाया जाय। सरकार ने इसका डिक्लेयरेशन भी किया कि टेहरी को जिला हेडक्वार्टर बनायेंगे, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। उसके सिर्फ दो कारण रहे। एक तो वहां की उन्नति के लिये कोई विशेष ध्यान एल०एस०जी० सिंचाई और फारेस्ट विभाग की ओर से नहीं दिया गया। दूसरे वहां का जो अस्पताल है, उसके सम्बन्ध में हमने मांग की थी कि उसके डेवलपमेन्ट के लिये कुछ रुपया रखा जाय। वहां सबसे ज्यादा पेसेन्ट आया करते हैं और वहां सिर्फ एक डाक्टर है, वह

सब पेसेन्ट्स को अटेन्ड नहीं कर पाता, न उसमें दवाइयां मिलती हैं। उसको माडरनाइज कराया जाय। नरेन्द्रनगर में ९०० आदमियों के पीछे ९ डाक्टर हैं, उनका ट्रांसफर अगर टेहरी किया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, महामान्य, राज्यपाल के अभिभाषण की हमारे राज्य की ७ करोड़ जनता बड़ी आशा के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। वह प्रतिक्षा इसलिये थी कि पिछले १० वर्षों में लगभग दो पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद भी हमारे प्रदेश की जनता की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। शासन के हर क्षेत्र में अराजकता सी फैली हुई है और आज हमारे प्रदेश के नागरिकों के जनवादी अधिकारों के ऊपर हमला हो रहा है। नौकरशाही इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि यह सरकार उसके मजबूत पंजे के अन्दर सिसकती हुई ही नजर आ रही है। इसलिये प्रदेश की जनता यह आशा करती थी कि पिछले १० वर्षों के अनुभव के बाद हमारी सरकार अपनी पिछली नीतियों की गलती से सबक लेगी और उसके बाद प्रगतिशील नीतियों की तरफ कदम बढ़ायेगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने ऐसा नहीं किया। और निराशा इसलिये भी हुई है कि जो कुछ भी पहले प्रगति शील कदम उठाये गये थे आज इस सरकार ने उनको छोड़ दिया है। आप जानते हैं कि पहले अभिभाषणों में एक समाजवादी समाज की रचना की बात या और इसी प्रकार के नारे दिये जाते थे लेकिन इस अभिभाषण के अन्दर जानबूझकर एक नीति के मातहत इन सारी बातों को छोड़ दिया गया है। सरकार भी इस बात को जानती है कि उसके तमाम परिश्रमों के बावजूद उसकी नीतियों की असफलता के कारण जनता की हालत गिरती जा रही है लेकिन सरकार उन जिम्मेदारियों को दूसरे के मत्थे थोप कर बचना चाहती है। इसलिये कभी कभी गल्ले की उपज कम होती है तो दैवी आपदा का नाम लेकर मुक्त होती है, उद्योगों का विकास नहीं होता है तो केन्द्रीय सरकार के मत्थे जिम्मेदारी थोपती है। अगर जनता के जीवन स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है तो सरकार यह कह कर कि प्रदेश की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है अपने ऊपर से जिम्मेदारी को टाल देती है। लेकिन कारण कुछ और हैं जिनकी गहराई में हमें जाना होगा।

मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज प्लानिंग के सम्बन्ध में सरकार की गलत नीतियों का ही यह नतीजा है। आज प्लानिंग के ऊपर नौकर शाही का छाया हुआ रोब आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, रुपया ठीक समय पर नहीं खर्च किया जाता है जिससे हालत गिरती जा रही है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जिनके ऊपर प्रदेशिक सरकार सोच समझ कर तृतीय योजना की रूप रेखा तैयार करे, नियोजन के नीतियों के अन्दर महत्वपूर्ण परिवर्तन करने चाहिये वरना प्रदेश की हालत नहीं सुधर सकती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहिले २५३·१ करोड़ रुपये की निश्चित की गई बाद में बढ़ाकर २८७ करोड़ कर दी गई। उद्योग के लिये १६४३.३७ लाख रुपया निश्चत किया गया था लेकिन तीन सालों के अन्दर सरकार ने उद्योग के लिये निश्चित की हुई रकम में से ६७३.८२ लाख रुपया खर्च किया। ९६९.५५ लाख रुपया आज भी खर्च करने को बाकी है। क्या यह रुपया डेढ़ साल के अन्दर खर्च हो जायगा। समाज सेवा के लिये ६८६३.८४ लाख रुपया निश्चित किया गया था लेकिन २५२४.२१ लाख रुपये ही तीन साल के अन्दर खर्च किया गया, ४३३९.६३ लाख रुपया खर्च करने को बाकी है। समाज सेवा के अन्दर प्रदेश की शिक्षा है, श्रम कल्याण है, पिछड़े हुये हरिजनों के कल्याण की बात है। स्वास्थ्य की बात है। अगर इन बातों के लिये रुपया मांगा जाता है तो कहा जाता है कि रुपया नहीं है लेकिन जो रुपया स्वीकृत किया गया, जिसे खर्च करने का अधिकार सदन ने सरकार को दिया था वह भी खर्च नहीं हो पाया।

२९६.५१ लाख रुपया दूसरी बातों के लिये स्वीकार किया गया था जिसमें केवल ९७.४३ लाख रुपया ही खर्च किया गया। १९९.०८ लाख रुपया बैलेंस में है। इसी तरह से सोशल वेलफेयर के लिये ६३ लाख रुपया स्वीकार किया जिसमें केवल १४ लाख ही खर्च किया गया, ४९ लाख रुपया अब भी खर्च करने को शेष है जब कि दूसरी योजना के अब डेढ़ साल रह गये हैं। सब से गम्भीर बात यह है कि प्रदेश में बड़े उद्योग लगाने चाहिये लेकिन जो रुपया

[श्री चन्द्रजीत यादव]

इस काम के लिये स्वीकृत किया उसकी क्या दशा है उसे भी देखा जाय। ४९५.९५ लाख रुपये स्वीकृत किये गये खर्च करने के लिये, चार साल के अन्दर केवल २६६.७५ लाख रुपये खर्च किये गये और २२९.२० लाख रुपये अभी खर्च करने को बाकी हैं, एक साल के अन्दर यानी ५२ परसेन्ट रुपया खर्च किया गया और ४८ पर सेन्ट खर्च करने को बाकी है। इस प्रकार तीन वर्षों के अन्दर कुल निश्चित धन में से १३१.१४ करोड़ खर्च किया गया और १५६ करोड़ खर्च करने को शेष है। अब आप केन्द्रीय सरकार के ऊपर दोष डालकर इन जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने स्पष्ट इस बात को कर दिया था कि केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता की पिछड़ी हुई हालत को देखते हुये अधिक से अधिक नियोजन के सहयोग में देना चाहिये लेकिन यह मैं कह देना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती क्योंकि उद्योग के लिये, कृषि के लिये तथा दूसरे कामों के लिये जो रुपया इसे खर्च करने को दिया गया है आज उसे खर्च करने में वह अपने को असमर्थ पाती है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सब से अधिक खर्च करने की बात कही गयी लेकिन सरकार ने क्या काम किया इसपर एक नजर डालना जरूरी है। सन् १९५६–५७ में १६०.४५ लाख रुपये प्रोडक्शन के मामले में खर्च करने थे जिसमें से केवल ८२.७० लाख रुपये खर्च किये सन् १९५७–५८ में २९९.५१ लाख रुपये रक्खे गये थे जिसमें से १८०.५५ लाख रुपये खर्च किये गये। यह हालत है जिसकी वजह से हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। इस कारण प्लानिंग के ऊपर प्रतिक्रियावादी शक्तियों को हमले करने का मौका मिलता है। और उनका नारा है कि सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़ कर एक वर्ष की योजना बनाये।

एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार प्रगतिशील योजनाओं तथा नीतियों के मातहत जनता की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिये अगर सहयोग चाहती है तो विरोधी दल ने, खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टी ने, हमेशा ऐसी योजनाओं में सहयोग देने के लिये अपनी नीति की घोषणा की है। लेकिन उस सहयोग का एक अवसर होता है। योजनाओं के लिये प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से रुपया मांगती है तथा अपनी योजनायें केन्द्रीय सरकार को भेजती है लेकिन उनका कोई ज्ञान हमें नहीं होता। बावजूद आश्वासनों के सरकार ने इस बात की जहमत गवारा नहीं की कि विरोधी दलों से इस सम्बन्ध में राय लेती। सब से बड़ी खतरनाक बात यह है कि कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह साबित होता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजाना जो बन रही है उसके लिये यह कहा गया है कि मौजूदा प्रति व्यक्ति आय कायम रखने के लिये प्रदेश की कुल आय २.२२२ करोड़ रुपया तक बढ़ाना होगा और मौजूदा जीवन स्तर बनाने के लिये हमको इतना काम करना पड़ेगा। वर्किंग ग्रुप्स ने यह रिकमेन्ड किया है कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना ९५२.८३ करोड़ रुपये की होगी लेकिन कट कर वह केवल ६०० करोड़ रुपये की होने जा रही है। इस प्रकार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसके ५० प्रतिशत का खात्मा हो जायगा। इस खामी को दूर करने के लिये हमें सोचना होगा कि कौन से तरीके हैं। इसका कारण यही है कि सरकार अपनी योजनाओं को जनवादी तरीके से लागू नहीं करती। सरकार जनता पर विश्वास नहीं करती। अगर आसाम की जनता आयल रिफाइनरी के लिये केन्द्रीय सरकार को मजबूर कर सकती है और केरल की जनता कोचीन हार्बर के लिये मजबूर कर सकती है तो कोई वजह नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रदेश की जनता का सहयोग तथा विश्वास प्राप्त हो तो उसे अपनी योजनाओं में सफलता प्राप्त न हो। तो सरकार की नीतियों तथा उसके काम करने के तरीके इस बात के लिये जिम्मेदार हैं जिससे जनता में असन्तोष बढ़ता जाता है।

सरकार ने जम्हूरी संस्थाओं पर हमले करने भी शुरू कर दिये हैं। ग्राम पंचायतों के अन्दर प्रधान चुने जाते हैं लेकिन परगनाधीश तथा जिलाधीश आदि अफसर उनके रास्ते में रोड़ा बन कर खड़े हो जाते हैं। जितने टाउन एरियाज विरोधी पार्टियों के हाथ में हैं वहां परगनाधीश तथा जिलाधीश उनके निर्माण कार्यों में बाधक बन कर खड़े हो जाते हैं, उनके हर काम

में वह अड़ंगा लगाते हैं। शामली नगरपालिका की चर्चा इस सदन में कई दिनों से हो रही है। शामली नगरपालिका को इसी तरह से वहां के अधिकारियों ने अपने चंगुल में फंसा रखा है और एक उपमन्त्री वहां के अधिकारियों की सहायता करके उस नगरपालिका पर आज हमला करा रहे हैं। वहां बार बार इस बारे में प्रस्ताव पास किया गया लेकिन सरकार कान बन्द करके बैठी है।

आजमगढ़ के चार कम्यूनिस्ट टाउन एरियाज मुबारकपुर, कोपागन्ज, दोहरीघाट तथा अमिला हैं। सरकार की तरफ से मुतवातिर उनके काम में रोड़ा अटकाया जाता है। उनके चुने हुये प्रतिनिधियों के साथ जिलाधीश अपने मातहतों सा व्यवहार करते हैं लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं करती।

सबसे गम्भीर बात यह है कि इस सदन की बनाई हुई कमेटियों को वह सरकार नजरन्दाज करती है। यह सदन इस बात के लिये जिम्मेदार है कि जिन कमेटियों को इसने बनाया है उनको इसलिये बनाया है कि कमेटियां अपने अधिकारों को जनवादी तरीके इस्तेमाल कर सकें। प्राक्कलन समिति के बारे में लोक सभा के अध्यक्ष श्री आयंगर साहब ने कहा था कि कैबनेट के बाद यही एक महत्वपूर्ण कमेटी है जो सरकार की नीति के सम्बन्ध में वैकल्पिक सुझाव दे सकती है, लेकिन उसके सुझावों की क्या हालत होती है। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि राजकीय आस्थान विभाग को खत्म कर दिया जाय। उल्टे सरकार ने इस विभाग को स्थाई कर दिया। उस कमेटी ने सुझाव दिया कि अफसरों से गाड़ियां वापस लेली जायं, सरकार ने वापस लीं लेकिन फिर अफसरों को दे दीं। कमेटी ने सिफारिश की कि कालोनाइजेशन स्कीम पर १ करोड़ रुपया खर्च करने की जो स्कीम है वह बेकार है लेकिन उस सुझाव पर सरकार विचार कर रही है और दूसरी तरफ पीलीभीत योजना पर सरकार लाखों रुपया खर्च करने जा रही है।

आज विरोधी पार्टी पर जिले–जिले में तेजी के साथ हमले होना शुरू हो गये हैं। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण विरोधी दल के कार्यकर्ताओं की जान व माल का खतरा हो गया है। आजमगढ़ में "आज" के संवाददाता श्री मुखराम सिंह पर अधिकारियों की ओर से हमले की साजिश की गई, मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा गया। कलेक्टर ने बुलाकर कहा कि खत को वापस लो नहीं तो केस चलाया जायगा। इसी तरह से भारत के संवाददाता श्री वीरभद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट पर हमला हुआ परगनाधीश तथा जिलाधीश की साजिश से। मुख्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी तथा होम मिनिस्टर से मिलने के बाद कार्यवाही यह हुई कि उसकी जांच के लिये एक मामूली दरोगा को नियुक्त कर दिया गया। इसी से समझा जा सकता है कि जांच कैसे होगी? सरकार की असफल नीतियों के परिणामस्वरूप जनता में जो असन्तोष बढ़ रहा है उसे वह अपनी दमन नीति से दबाना चाहती है और आज जनता को एक होकर इस दमन नीति का मुकाबला करना चाहिये।

दूसरी बात यह कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जनवादी हमले तेजी के साथ हो रहे हैं। आज सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि विद्यार्थियों के प्रवेश के ऊपर प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं, उनकी यूनियनों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं, सरकार कहती है कि यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है, हमें उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर किसी विशेष व्यक्ति को किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाना हो या यूनिवर्सिटी स्टैटयूट्स में सरकार कोई परिवर्तन लाना चाहती हो तो सारी यूनिवर्सिटी आटोनामी ताक पर रख दी जाती है। यह दुरंगी नीति नहीं चल सकती।

दूसरे, आज हमारे प्रदेश की शिक्षा का स्तर तेजी के साथ गिर रहा है। आज हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के अन्दर छात्रों के सफल होने की संख्या ३८ और ४३ फी सदी है। यह परिस्थिति पिछले पांच सालों से चली आ रही है। इंगलैण्ड में एक साल ९० फी सदी से नीचे रिजल्ट गया तो वहां के शिक्षाविदों की एक कमेटी बैठी कि किन तरीकों से ९० फी सदी से ऊपर रिजल्ट हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है और इसलिये

[श्री चन्द्रजीत यादव]

नहीं देती है कि अगर ज्यादा लड़के पास होकर आयेंगे तो सरकार को उन्हें रोजगार देना पड़ेगा और उनको भरती करने के लिये ज्यादा कालेज और यूनिवर्सिटी खोलने पड़ेंगे। क्या इस जिम्मेदारी से सरकार बच सकती है? मुझे तो यह पढ़ कर अफसोस हुआ कि कल माननीय शिक्षा मंत्री ने कौंसिल में भाषण देते हुये कहा कि आप इस बात को नजरअन्दाज नहीं कर सकते कि जब हम इस समय ६० लाख विद्यार्थियों को प्राइमरी शिक्षा दे रहे हैं और हमारे राज्य के अन्दर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है तो ऐसी दशा में शिक्षा का स्तर गिरे तो कोई ताज्जुब नहीं है। इसका मतलब क्या मैं यह समझूं कि जब हमारे प्रदेश में शिक्षा सौ फ़ीसदी हो जायगी तो उस समय शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं रह जायगा? ऐसी हालत में हमारे प्रदेश की जनता का क्या भाग्य होगा। मैं इस मौके के ऊपर इस बात की मांग करता हूं कि शिक्षा मंत्री को इस बात की घोषणा करनी चाहिये कि जैसे विश्वविद्यालयों के लिये एक हाई पावर कमीशन बन रहा है उसी प्रकार एक हाई पावर कमेटी इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और प्राइमरी शिक्षा की पद्धति की जांच के लिये बैठायी जाय कि क्यों शिक्षा का स्तर गिर रहा है, क्यों आज छात्रों को अनुशासनहीनता के नाम पर दंडित करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये बातें होती हैं तो प्रदेश की सरकार उससे बच नहीं सकती, उसकी जिम्मेदारी है उसके कारणों को ढूंढ़ने की।

इस मौके पर मैं दूसरी बात पुलिस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आज हमारे राज्य के अन्दर शान्ति और व्यवस्था के ऊपर एक गहरा आघात है और इसका कारण है हमारे प्रदेश की नौकरशाही का बढ़ता हुआ रोब और प्रभाव। मैं तो कभी-कभी सोचता हूं कि हमारे राज्य के अन्दर मुख्य मंत्री और उनके मंत्रिमंडल का शासन है या चीफ़ सेक्रेटरी और उनके विश्वासपात्र सेक्रेटरीज का शासन है। एक अफसर के खिलाफ गम्भीर आरोप थे। वह अफसर रिटायर हो चुका था। सरकार ने जानबूझ कर दो बार उसको एक्सटेंशन दिया उसके खिलाफ होम मिनिस्टर, मुख्य मंत्री, सब से शिकायत की गयी और उनकी तरफ़ से यह आश्वासन दिया गया कि उसकी जांच की जायगी लेकिन मुख्य सचिव ने एक प्रतिष्ठा का सवाल उसे बनाया। हमारे प्रदेश के आई० जी० पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना कर उसको दो बार एक्सटेंशन देकर आजमगढ़ जिले में रखा। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। माननीय मुख्य मंत्री ने एक अपने बड़े विश्वासपात्र व्यक्ति से कहा कि मैं इस सवाल को कैबिनेट क्राइसिस का सवाल नहीं बनाना चाहता। ठीक है, केबिनेट क्राइसिस का सवाल न बनाइये लेकिन प्रदेश की जनता का जो दमन हो रहा है उसकी तरफ़ से आंख मीच कर आप नहीं रह सकते। तो आज इन सारी बातों को सोचने की जरूरत है और सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिये।

दूसरी बात एक मिनट में मैं कह दूं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल की बात हुई। उसके औचित्य और अनौचित्य की बात मैं नहीं कहता। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से सरकार ने दमन किया है और जो रास्ता अपनाया गया है वह हमारे देश के लिये खतरनाक है। इसी लखनऊ में श्री टी० एन० वाजपेयी, जो स्ट्राइक होने से पहले से अस्पताल के अन्दर थे उनको बीमारी की हालत में पकड़ा गया और जेल के अस्पताल में रखा गया, उनके घरवालों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरे एक रेल के कर्मचारी श्री शिवदत्त को पकड़ा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद उसके घर की कुर्की की जाती है और स्त्री बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसका मकान दूसरे को दे दिया जाता है। इन सवालों को उठाने वालों को आज देशद्रोही कहा जाता। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मौके बे मौके कम्युनिस्ट पार्टी को देशद्रोही कहते आपको अच्छा लगता था। लेकिन आज जो पार्टियां इन कर्मचारियों की आवाज उठा रही हैं उनको भी देशद्रोही कहा जाता है। इसलिये सरकार को अपनी नीति में तब्दीली करनी चाहिये।

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—अधिष्ठात्री महोदया, माननीय वर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं। तीन दिनों से इस सम्बोधन पर बहस चल रही है, हमने उसको सुना और बहुत सी बातें कही भी गई हैं। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि हमारे देश में अथवा प्रदेश में गरीबी है, बीमारी है, बेकारी है और शिक्षा का अभाव है। इन तमाम बातों को अपने प्रदेश से दूर करने के लिये जो-जो साधन एकत्रित किये गये और जो-जो कार्यवाहियां की गईं उनका बहुत कुछ दिग्दर्शन महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में मिलता है। सही है, एक लम्बा चौड़ा सम्बोधन है और बहुत विस्तार से उसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है जो अपने देश की गरीबी, बीमारी और बेकारी को दूर करने में सहायक हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ कमियां हों, हो सकता है कि कुछ गलतियां हों, लेकिन जब हम आज नियोजन के युग से गुजर रहे हैं, पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और दूसरी भी समाप्त होने को है तो यह एक अच्छा अवसर मिला है कि हम पिछली गलतियों को, पिछली कमियों को देखें और उनका जिक्र इस सम्बोधन के धन्यवाद के प्रस्ताव के अवसर पर करें और किया भी गया।

कुछ बातें ऐसी भी कही गईं कि जिनका मतलब मेरी समझ से बाहर था। मेरे एक भाई ने फ़रमाया कि हजारों शब्दों के बीच में कहीं समाजवाद का शब्द नहीं आया। सही है कि यह शब्द कहीं नहीं आ सका। लेकिन अगर एक मेमार है, कारीगर है, वह तमाम साधनों को इकट्ठा करता है और बहुत सी चीजों को इकट्ठा करता है जो इमारत बनाने के लिये जरूरी होती हैं, बुनियाद खोदता है और उनको भरता है तो देखने वाले यह बता सकते हैं कि मकान बन रहा है या कुआं बन रहा है। तो जिन साधनों का जिक्र महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में किया यदि उनका अध्ययन किया जाय तो शायद जाहिर हो जायगा कि एक सामाजिक ढांचा तयार होना चाहिये जिसको हम समाजवादी ढंग के समाज की बात कह सकते हैं।

मुझे ताज्जुब हुआ जब हमारे साथी माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात कही कि आज प्रजातन्त्र को जो चुनौती दी गई है उसकी वह रक्षा करेंगे किसी भी कीमत पर और शायद उनका संकेत जो स्ट्राइक हुआ है, उस ओर था। मुझे ताज्जुब हुआ कि गेंदासिंह ऐसे विचारशील आदमी कैसे इस तरह का विचार रखते हैं। मुझे एक नादान दोस्त की कहानी याद आयी कि एक दोस्त ने अपने दोस्त से यह कहा कि जरा मैं सो जाऊं तो तुम देखना कि मक्खी न बैठने पाये। उस दोस्त ने मक्खी को हांकना शुरू किया। लेकिन एक मक्खी बराबर उनकी नाक पर बैठती रही। उस दोस्त ने एक बार हांक दिया, दूसरी बार हांक दिया लेकिन फिर भी जब तीसरी बार मक्खी बैठी तो उसने लाठी उठाकर उसकी नाक पर दे मारी और उसकी नाक टूट गई। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके, अगर वह प्रजातन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं, तो उस नादान दोस्त की तरह उसकी रक्षा न करें। आज इसमें दो राय नहीं कि हमारे देश में प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा इम्तहान हो रहा है और प्रजातंत्र की सफलता में बहुत बड़ा प्रयास इस देश की जनता को करना पड़ा। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सारे देश की जनता को दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक बनाया जाय। यह भी सही है कि प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा संघर्ष—मैं इस राय का हूं कि ब्यूरोक्रेसी से हो रहा है। मैं इस चीज को मानने वाला हूं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना सरकार ने तैयार की, वाकई वह ऐसी पंचवर्षीय योजनायें थीं कि यदि हम पूरे तौर से उसमें सफल हो जाते तो उन बातों को जिनको कि दूर करने के लिए हम चले थे, बहुत अंशों में दूर हम कर लेते। लेकिन मुझे इतना कह देने में जरा सी भी हिचक नहीं लगती कि इन पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता में और जनतंत्र को आगे बढ़ाने में यह हमारी ब्यूरोक्रेसी हायल हो रही है। एक बहुत बड़ा संघर्ष प्रजातंत्र और अफसरशाही में चल रहा है। अफसरी डामिनेशन इतना बढ़ा हुआ है कि जनता का इनिशियेटिव पनप नहीं रहा है और यह जरूरी है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम इस बात पर ध्यान रखें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

कि जो योजना है वह एक तरफ होती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी तरफ होता है। तो जितना खूबसूरत नक्शा आप तैयार करें जितने अच्छे मनसूबे आप बनायें, उसके साथ साथ दूसरा कर्त्तव्य आपका यह भी हो जाता है कि आप यह देखें कि आपके मनसूबे अच्छी तरह सफलता-पूर्वक चल रहे हैं या नहीं।

अभी हमारे यादव जी ने कुछ ऐसी बातें बतलायीं कि कुछ रुपया किन्हीं मदों में रखा गया जो कि खर्च न हो सका। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के एक मेम्बर होने के नाते मुझे भी उसका ज्ञान है। लेकिन हमारे यहाँ उसके लिये एक पब्लिक एकान्ट्स कमेटी भी बनी हुई है जिसके माननीय नारायणदत्त जी अध्यक्ष हैं, वहां पर वह सभी व्योरे आते हैं जिसमें सेविंग्स होती हैं या सरेंडर किया जाता है। उसके ऊपर वह कमेटी बैठ करके विचार करती है, उसके कारण पूछती है और फिर अपना प्रस्ताव करके गवर्नमेंट के पास उसको भेजती है। तो उसमें हमको यह जानने का मौका मिला कि बहुत सी दिक्कतें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से जो धनराशि नियत की जाती है वह उतनी व्यय नहीं हो पाती। कभी तो फारन एक्सचेंज की डिफिकल्टीज पड़ जाती हैं, कभी आर्डर किसी फारेन कन्ट्री में दिये हुए होते हैं, वहां से प्लान्ट या मशीनरी के मंगाने में दिक्कत पड़ जाती है या कभी किन्हीं कारणों से कोई स्कीम में तब्दीली हो जाती है। इनसे भी सेविंग हो जाती है या कुछ धनराशि सरेंडर की जाती है। तो यादव जी ने जो यह फरमाया कि रुपया व्यय नहीं होता, उसके कुछ मोटे से कारण मैंने बतलाये।

इसके अतिरिक्त, माननीया, मैं कुछ और बातें प्लान से सम्बन्धित रखना चाहता हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना बनने जा रही है और हम दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल एक माननीय सदस्य हमारे सामने सोशलिस्ट पार्टी के हैं उन्होंने कहा कि मैं तो तब जानूं जब अपने प्रदेश में एक भी बेरोजगार न रहने पाये। वह ऐसी बात कहते हैं कि जिसको अगर मैं केवल कल्पनामात्र कहूं तो गलत न होगा। आज उन मुल्कों में भी, जिनको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, बहुत आगे बढ़े हुये हैं, वहां पर भी बेकारी फैली हुई है, चाहे वह किसी अंश में कम हो या ज्यादा हो, लेकिन बेकारी है। तो यह कह देना कि एकबारगी हम अपने प्रदेश से बेकारी को समाप्त कर दें, यह नामुमकिन है। लेकिन हां, जो साधन चलाये जा रहे हैं, या जो तरीके अपनाये जा रहे हैं क्या वे उस ओर नहीं हैं जिससे हम अपने प्रदेश से बेकारी को खत्म करें? यह सही है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये हमारी कल्पना है और वह एक लक्ष्य देश के लिये निर्धारित किया गया है लेकिन यह नहीं हो सकता है कि एक दिन के ही अन्दर सारी काया पलट जाय या एक दिन के अन्दर ही गरीबी दूर हो जाय या एक दिन के अन्दर हमारे प्रदेश से बीमारी दूर हो जाय।

जहां तक गरीबी का प्रश्न है, वह है और उसके ऊपर परदा नहीं डाला जा सकता, लेकिन वह गरीबी केवल देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने से ही दूर हो सकती है। अब आप देखें कि सरकार की तरफ से कुछ न कुछ साधन उसके लिये अपनाये गये हैं जिससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं या उत्पादन अपने प्रदेश में बढ़ा सकते हैं। आप देखें कि कितने कुयें बने, कितनी सिंचाई के लिये व्यवस्था की गई और कितने साधन इसके लिये एकत्रित किये गये जो उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।

इसके साथ-साथ अभी एक भाई ने बतलाया कि हम देखते हैं कि २, ४ जिलों के अन्दर उद्योग-धंधे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर यह छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे बढ़ने की मजबूरी है। मुझे ताज्जुब है कि इस तरह की बात कही गई। उनको मालूम होगा कि हमारे यहां एक लोन्स एण्ड ग्रान्ट्स कमेटी बनी हुई है जिसके जरिये से लोगों को लाखों और करोड़ों रुपया उन छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के लिये दिया जाता है। उस कमेटी की बराबर बैठकें होती रहती हैं और शायद हमारे इस सदन के कितने ही सदस्य उसके सदस्य हैं। जहां-जहां से उसकी मांग आती है उसके लिये बराबर रुपया दिया जाता है। आज भी यह सर्व-

विदित है कि जितने भी प्रार्थना-पत्र उन उद्योग-धन्धों के लिये आते हैं उन पर विचार होता है और उनको सहायता दी जाती है और यहां तक भी होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको ग्रान्ट्स दी जाती है। तो यह तरीका है जिससे हम अपने यहां उद्योग-धन्धों को बढ़ा रहे हैं।

इसके साथ-साथ अब दूसरा सवाल रहा बीमारी का। आप यह देखें कि पहले के जमाने से आज के जमाने का मुकाबला करें तो यह मालूम होगा कि कितने अस्पताल बढ़े। कोशिश यह की जाती है कि कम से कम वह संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, चेचक और फाइलेरिया हैं इनको दूर किया जाय। इनके लिये काफी रुपया हमारी सरकार की तरफ से सर्फ किया जाता है। नालियों में छिड़काव करके घूमघूम कर छिड़काव करके मच्छरों को समाप्त किया जाता है जिसके द्वारा ये बीमारी बढ़ रही है। आज अस्पताल भी काफी मात्रा में छोटे और बड़े खोले जा रहे हैं। अस्पतालों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और यह कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा दवाई लोगों को उपलब्ध हो।

इसके अलावा शिक्षा की ओर भी आप देखें कि हमारे यहां पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी और आज कितनी हैं। कितने प्राइमरी स्कूल पहले थे और कितने आज हैं। अब से १० वर्ष पहले हमारे यहां विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी और इन १० वर्षों के अन्दर कितनी अधिक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई। इस तरह से शिक्षा के अभाव को काफी मिटाया जा रहा है। तो मैं यह कहूंगा कि कम से कम इन सब चीजों के लिये यह आवश्यक है कि जब तक हम और आप दृढ़ कर्तव्यपरायण होकर न निकल पड़ें कि देश को आगे बढ़ाना है और देश को समृद्धशाली बनाना है, चाहे वह विरोधी दल के सदस्य हों या इधर के बैठने वाले सदस्य हों और सभी कन्धे से कन्धा मिला कर आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं इस चीज को मानता हूं कि यदि आप हृदय से यह चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, हमारा देश समृद्धशाली हो तो इन तमाम आलोचनाओं को छोड़कर, भले ही यहां पर आलोचना करें, लेकिन बाहर जाकर लोगों को इस बात की प्रेरणा दें कि लोग आगे बढ़ें और कन्धे से कन्धा मिला कर हर व्यक्ति इस बात का तहैया करे कि जो मनसूबे हमारी पंचवर्षीय योजना के बनें, उनको हम तुरन्त कार्यान्वित करें तो हमारा कल्याण जल्दी हो सकता है।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठात्री महोदया, १३ वर्ष के अकंटक, निरंकुश राज्य के उपरान्त, जब कि एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी हो और दूसरी का अन्तिम वर्ष हो, जब कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये ६०० करोड़ की मांग की जा रही हो, तो देखने में यह आता है कि अगर मैं माननीय राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी की बात मान लूं तो ७५ नये पैसे की परकैपिटा इन्कम में वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ अगर आंकड़ों के द्वारा देखूं तो कह सकता हूं कि १९५३ में जो पर कैपिटा इन्कम थी वही १९५९ में भी थी।

कल मैं बड़े ध्यान से माननीय खाद्य मंत्री महोदय का भाषण सुनता रहा। उसे सुनकर आशा के स्थान पर निराशा हुई। दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि उन्होंने जो संतुलित भाषण करने का उपदेश दिया, वह उनके अनुरूप नहीं था। वह शंकराचार्य और मंडन मिश्र का हवाला देकर गुरू भी बनना चाहते थे, लेकिन मैं आपके द्वारा उनको यह बताना चाहता हूं कि यह गुरुदक्षिणा उनको बड़ी महंगी पड़ेगी। मंत्री महोदय के भाषण में स्वयं कोई संतुलन नहीं था। उनका यह कहना कि विरोधी पक्ष के लोग उन्हीं आंकड़ों को दिया करते हैं जिनसे वे लाभ उठा सकते हैं, सही नहीं है। मैं दावे के साथ यह कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने आँकड़ों को छिपाया है। यह मेरा उनके खिलाफ चार्ज है और मैं चाहूंगा कि वे अपने जवाब में इस बात का जवाब दें।

हमसे भाषण में संतुलन रखने के लिये कहा जाता है, हमसे कहा जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी सम्हालें, लेकिन वह मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे पूरे प्रदेश को सही आंकड़े दें? मैं समझना चाहता था, लेकिन भाषण क्या था एक क्रोध का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

प्रादुर्भाव था। केवल क्रोध ही क्रोध दिखायी देता था। जैसा शैक्सपियर ने मैकबेथ में कहा है, उनमें गुस्सा भी था, हाथ हिलाना भी था, धमकी भी थी। कल भी उन्होंने इस सदन में फरमाया था कि १९५७-५८ में २७ लाख ६ हजार टन गेहूं का उत्पादन था, १९५८-५९ में ३० लाख ३६ हजार टन था, और १९५९-६० में ३२ लाख ३९ हजार टन था। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि १९५६-५७ में क्या पैदावार थी? उसे वह क्यों भूल गये? मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि उस समय ३१ लाख १५ हजार टन पैदावार थी और यह आंकड़े "उत्तर प्रदेश थ्रू फीगर्स" नामक पुस्तिका में दिये हुए हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आइन्दा से इस प्रकार की गलतियां न किया करें। इसके बाद आपने जो मुकाबला किया वह किया बिहार से। दूसरे सूबों से मुकाबला करने में उनको क्या घबराहट है? बंगाल में चावल किस कीमत पर बिकता रहा, पंजाब में गेहूं किस भाव पर बिका, इसे वह बतलाते। यह कहना कि शक्कर १ रुपये ४ आने में बिक रही है और लोग चाहते हैं कि कंट्रोल हटा दिया जाय, शक्कर काफी है, मैं समझता हूं कि सही नहीं है। महोदया, सोते आदमी को जगाया जा सकता है मगर जो जाग रहा है उसे जगाया नहीं जा सकता। नेत्र रहते हुये भी अगर कोई देखना नहीं चाहता तो उसे कोई विवश नहीं कर सकता कि वह देखे। मंत्री महोदय को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिये और उसको पूरा करना चाहिये।

२६ जुलाई, १९५९ को उनका यह कहना था कि गेहूं उस समय जो बिक रहा था वह २० रुपये मन बिक रहा था और आज २६ जुलाई, १९६० को वे कहते हैं कि १८ रुपये ८२ नये पैसे मन बिक रहा है। मैं आपसे यह कहूंगा कि आप अशोक मेहता की रिपोर्ट को उठा कर देखें उसमें ९२ पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरे भारतवर्ष में गेहूं १३ और १५ रुपये मन के हिसाब से बिकना चाहिये और चावल १५ और १७ रुपये के हिसाब से। तो मैं यह कहता हूं कि अगर ४० रुपये साल के हिसाब से बिक रहा है साल भर तक और अगर वह ३९ रुपये ३ आने भाव रह गया तो यह कोई कमी नहीं कही जा सकती। माननीय मंत्री जी इन आंकड़ों से हो सकता है कि हमको भुलावे में डाल दें, अपने को भुलावे में रखें, लेकिन उससे जो दशा इस प्रदेश की है वह नहीं सुधर सकती। इस तरह से वे देश को रसातल में ले जायेंगे। माननीया, मुझे तो सन्देह यह है कि मेरी आवाज उन तक पहुंच भी पायेगी या नहीं?

माननीया, आप देखें कि कपड़े में महंगायी है, तरह-तरह की चीजों में महंगायी है। कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सीमेन्ट और लोहे पर आप कंट्रोल कर रहे हैं। उनको आपत्ति यह है कि जो विरोधी दल के सदस्य इधर बैठे हुये हैं वे उनके रास्ते में बाधक हैं। माननीया महोदया, मेरा यह कहना है कि हम लोग उनके रास्ते में बाधक नहीं हैं, बल्कि उनके जो पूंजीपति लोग हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनको एलेक्शन के लिये पैसा देते हैं, जिनके धन पर वे आधारित हैं, वे लोग ही उनके रास्ते में बाधक हैं और उनको सही रास्ते पर नहीं लाने देते हैं। माननीय प्रस्तावक महोदय का जहां तक संबंध है, उन्होंने बड़ी ही सुन्दरता के साथ अपने प्रस्ताव को पेश किया, उनका तो कार्य ही यही है अदालत में सबेरे से शाम तक अपनी दलीलों द्वारा अपने केस को बनाना। किन्तु मैं जानता हूं इसमें उनका कसूर नहीं है। उनकी मजबूरी है और उस मजबूरी के कारण उनको यह प्रस्ताव रखना पड़ा।

मैं अब प्राइस लाइन पर आता हूं। माननीया, यह कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल करने में भी ये लोग सफल रहे। किन्तु यह बात बिलकुल गलत है। यह उसको कंट्रोल नहीं कर पाये। चीजों की कीमतें काफी बढ़ गयी हैं।

जहां तक बेरोजगारी की हालत है, आप जानती हैं, वह भी बढ़ी है। आज १६ फीसदी स्किल्ड लेबर मारी मारी घूम रही है। अगर पिछली फरवरी से इस फरवरी तक के आंकड़े देखे जायं, तो पता चलेगा कि पचासों हजार लोग बेकार हो गये। इसका दुखद परिणाम जो हुआ है वह माननीय राज्यपाल महोदय स्वयं केरल में देख कर आये हैं। केरल वाला दृश्य वे

अगर यहां भी देखना चाहते हैं तो उनको इख्तियार है वे जो चाहें कहें, किन्तु अगर आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, उसको रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा, तो वह भूल जायेगा कि उसको क्या करना चाहिये और वह फिर गलत काम करने के लिये मजबूर हो उठेगा ।

माननीय बेचनराम गुप्त जी ने, माननीय उपमंत्री जी के कुछ सिखाने पर, पुलिस कमीशन में जिन आंकड़ों को इकट्ठा किया था उनको सदन में पेश किया । अच्छा होता कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में भी वह दिया गया होता जिससे हम देख सकते । हमने कोशिश की कि आज प्रेस की रिपोर्ट में भी देखें कि आखिर वह है क्या, लेकिन जहां "यू० पी० थ्रू फिगर्स" है उस जगह मंत्री महोदय खुद कहते हैं कि क्राइम्स में वृद्धि है और उसकी वजह यह बताते हैं कि पुलिस ईमानदार हो गयी है, उसमें बहुत वजेदारी और वफादारी आयी है और सच्चाई से उन्होंने बहुत सी वारदातों को लिख देना शुरू कर दिया है । यह न भूलें कि, गृह मंत्री नहीं हैं, अपराध सदैव छिपाये गये और आज भी छिपाये जा रहे हैं । इन आंकड़ों पर अगर कोई भी माननीय सदस्य यह कहना चाहे कि उत्तर प्रदेश में यह संख्या है तो मैं समझता हूं कि उनका कथन निरर्थक है । हर माननीय सदस्य, इधर के या उधर के अपने क्षेत्र में जाकर देखें तो पता चलेगा कि दो-चार वारदातें ऐसी होती हैं जो नहीं लिखी जाती हैं । आज भी घूसखोरी है । बगैर रुपया दिये हुए पुलिस के हवलदार और मुंशी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं । यही नहीं, यह जो तमाशा हर जिले में बन गया है, जो ऐंटी करप्शन कमेटीज बना दी गयी हैं, वह अपने को असहाय पाती हैं, वह महज एक डाकखाने की तरह बैठे रहें, तीसरे महीने या प्रति मास मिल कर जो एक कागज उसके पास आवे उसको दूसरी जगह चलता कर दें, उनके पास और कोई काम नहीं है । अगर प्रस्तावक महोदय को मेरा कहना अप्रासंगिक प्रतीत हो रहा हो तो मैं अपना रवैया बदल दूं, लेकिन वह तो भागने जा रहे हैं, तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है ।

मैं यह जरूर चाहूंगा कि कुछ समय के उपरान्त पुलिस कमीशन के सामने जो आंकड़े आये हैं वह हमको बतलाये जायं ।

(लाल बत्ती होने पर)

महोदया, थोड़ा-सा वक्त और दे दिया जाय । कोई चीज ऐसी नहीं कह रहा हूं जिसमें किसी को कोई शिकायत हो ।

श्री अधिष्ठाता—दो मिनट हैं आपके ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—अब मैं थोड़ा सा अपनी उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । उत्तराखंड डिवीजन बना देने से तीन जिलों का या जिलाधीशों को भगवान बना देने से, उनके अधिकारों में वृद्धि कर देने से वह मसला जो हमारा है वह हल नहीं होता है । लेनिन और मार्क्स के नाम पर हमारे इस देश में बहुत से लोग हैं जो कि पाप को सत्य-कर्म समझते हैं और हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे लगाते हैं । आज मैं यह नहीं जानना चाहता हूं कि हमारी फौज कितनी है और क्या इन्तजाम किया जा रहा है, लेकिन "हिन्दी-चीनी भाई-भाई" कहते वक्त यह न भूलें कि खतरा किसी वक्त भी आ सकता है । यह ठीक है कि कहा यह जायगा कि यह प्रतिक्रियावादी लोग हल्ला उठा रहे हैं, फाल्स स्लोगन दे रहे हैं । मैं तो छोटा आदमी हूं, लेकिन १९३०–४० तक चर्चिल को भी यही कहा जाता था कि वह सबसे बड़ा घृणित राजनीतिज्ञ था यूनाइटेड किंगडम में । लेकिन क्या इस भय से कि वह मुझे प्रतिक्रियावादी कहें मैं असलियत से पीछे हट जाऊं ? प्रतिक्रियावाद और प्रगतिशीलवाद की व्याख्या कहां हो पायेगी, चाहे हमको वह कह दें या यह कह दें ।

असलियत यह है कि मंत्री महोदय यह फरमाते हैं कि दूसरे हाउस में कि कोई यह नहीं बताता कि आखिर शिक्षा का स्तर कैसे उठाया जाय, शिक्षा में सुधार कैसे किया जाय । लेकिन क्या वह मेरी जिम्मेदारी है ? जब मैं कहता हूं कि किस तरह से सुधारा जाय तो सुनने की क्षमता

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

नहीं। यह पुलिस कमीशन बना सकते हैं, ला कमीशन बनने जा रहा है, क्या आज एजूकेशन के लिए कोई हाई पावर कमेटी नहीं बनायी जा सकती? मैंने माना कि राधाकृष्णन की रिपोर्ट पसन्द नहीं आयी, आचार्य नरेन्द्र देव की रिपोर्ट पसन्द नहीं आयी तो वर्तमान परिस्थिति में अगर कोई प्रणाली हो तो उसके अनुसार बनावें।

महोदया, आपने मुझको सुनने की कृपा की, इसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। इस सरकार से हमारी शिकायत यही है कि हम जो कुछ कहते हैं उसका जवाब आना चाहिये। उनके केवल यह कह देने से कि हम गैर-जिम्मेदार हैं इससे मसला हल नहीं होगा और न विवाद का स्तर कभी ऊपर उठ सकता है।

श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)—मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे माननीय मदनमोहन वर्मा जी के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पिछले कुछ सालों में, परिस्थितियों के अनुकूल न होते हुए भी, सरकार ने कुछ बड़े काम किये हैं। आपने देखा कि हजारों मील लम्बी सड़कें बनीं, स्कूल और अस्पताल खोले गये। मैं समझता हूं कि जितने साधन उपलब्ध थे उसके अनुसार ही सरकार ने काम किया।

मैं एक ऐसे कार्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्व रखता है, लेकिन उधर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वह है सामुदायिक विकास कार्य। मैं समझता हूं कि स्टेट लेवल पर जो गलतियां होती हैं उनकी ओर तो पत्र प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों का ध्यान जाता है, लेकिन देहातों में जो विकास कार्य होता है जिसमें बहुत सी गड़बड़ियां भी हो जाती हैं वहां पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे यह पता नहीं चल पाता कि वहां पर जो कार्य हो रहा है वह सही हो रहा है या गलत। अक्सर देखा जाता है कि ब्लाकों में बी० एल० डब्ल्यू०, ए० डी० ओ० को खुश करने के लिये लिख देता है और ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० को लिख देता है। वहां पर इसी तरह से होता रहता है। तो हमें इस सम्बन्ध में नीचे से ही सतर्क रहना है। इस सम्बन्ध में अगर सरकार को कुछ अतिरिक्त खर्चा भी करना पड़े तो वह भी अनुचित नहीं होगा। मेरा सुझाव यह भी है कि पी० टी० आई० या अन्य अखबारों वाले अपने प्रतिनिधि यदि वहां समय-समय पर ब्लाकों पर सही स्थिति की जानकारी के लिये भेजा करें तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से सही स्थिति की हमें जानकारी होती जायगी और ब्लाक वालों को गलत आंकड़े भेजने में डर रहेगा, वह केवल सही आंकड़े ही हमारे पास भेजा करेंगे। इस तरह से हमें इतमीनान रहेगा कि हमारे पास जो रिपोर्टें आ रही हैं वह सही हैं।

इस समय जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा द्वारा सदन के सामने डे साहब की "लेटर्स टू कमिश्नर्स" से कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं:

"The paper decision often taken on the illusion of action" . . .

"Thus while I groan under the weight of an increasing allergy to brilliance on paper, I find that a talk with the village people or those who work in intimate touch with them is a sharp contract"

अक्सर बहुत से कार्य कागजों पर ही रह जाते हैं, कार्य रूप में वह परिणत नहीं होते। कागज में तो बड़े अच्छे ड्राफ्ट लिखे जाते हैं, लेकिन जब गांवों में देखा जाता है तो मालूम होता है कि कुछ नहीं हुआ। इस सिलसिले में मैं मिसाल के तौर बताना चाहता हूं कि स्टडी कैम्स के तौर पर यहां के कुछ लेजिस्लेटर्स बख्शी के तालाब गये थे। स्टडी कैम्प कुछ परिस्थितियों की वजह से पोस्पोन हो गया लेकिन मैंने वहां चार्ट लगा हुआ देखा कि उस क्षेत्र में पशुधन का बहुत विकास हुआ है। मगर वहां चाय के लिये जो दूध आया वह कन्डेन्स्ड मिल्क था। यह बात समझ में नहीं आती कि फिर कैसे पशुधन का विकास हुआ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें हमें सतर्क होने की जरूरत है।

मैं इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के लिये भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अक्सर यह देखने में आता है कि जब हम कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जिससे सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी की ओर देश जावे तो उसका ठीक से पूरा प्रचार नहीं होता है। मैं जान नहीं पाया कि क्यों इतना कम धन सरकार सूचना विभाग के लिये रखती है। मैं यह चाहता हूं कि यह प्रचार का कार्य एक कोआर्डिनेटेड तरीके से होना चाहिये। मैंने देखा कि एग्रीकल्चर का अपना सूचना ब्यूरो है। वे अपना अखबार "कृषि और पशुपालन" निकालते हैं। अगर आप पिछले ३ साल की उसकी प्रतियां को लेकर देखें तो आप पावेंगे कि लगभग एक ही मैटर आता है। जुलाई के महीने में मंत्री महोदय किसानों को समझाते हैं कि कब निराई और गुड़ाई हो। वही भाषा और भाव हर साल रहते हैं। इसमें बहुत सा रुपया बरबाद होता है। कोआपरेटिव में दो अखबार निकलते हैं। इन्हें इनफार्मेशन विभाग के द्वारा चलाना चाहिये और जो धन इसके लिये होता है वह इनफार्मेशन को मिलना चाहिये। इनफार्मेशन वाले ज्यादा अच्छी तरह से इस काम को चला सकते हैं। इससे स्तर नहीं गिरेगा और पब्लिसिटी का ढांचा भी ठीक बन जायगा। मैं नहीं जानता कि इन विभागों के पबलिकेशन्स कहां खपते हैं। शायद ही कोई कापीज बिकती हों। वे जिलों में पंचायतों में भेजे जाते हैं और पैसा भी कट जाता है लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिये मैं समझाता हूं कि इनफार्मेशन विभाग को यह सब कार्य अपने ऊपर ले लेना चाहिये। जैसे अभी उन्होंने एक पत्रिका 'ग्राम्या' निकाली है, वह बहुत मानों में बहुत अच्छी है और उसका प्रचार अधिक होना चाहिये। इससे सरकार की नीतियां और बहुत से कार्य क्रम जनता तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के लिये चकबन्दी अगर कहीं होने जा रही है तो पहले से ही हव्वा के रूप में दिखाई देती है। अगर पहले से ही किसानों को समझा दिया जाय तो मैं दावा करता हूं कि कम से कम ८ आदमी, १० में से, कहेंगे कि हमारे यहां चकबन्दी कर दी जाय। मैंने अपने यहां भी देखा कि जो समझ जाते हैं वे बहुत पसन्द करते हैं। अगर आप चेचक का टीका भी लगावें तो उसके लिये भी लोग एतराज करते हैं क्योंकि उनमें उसके फायदों का प्रचार नहीं होता है। यह हमारी कमजोरी है कि हम लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं और ये सब बातें समझाने की जरूरत है। इसलिये ये सब बातें इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के जरिये ही समझाई जा सकती हैं।

महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में सहकारिता की विशेष चर्चा की है। यह सही भी है कि सहकारिता के द्वारा बहुत अच्छे कार्य होने लगे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिये उन्होंने तरह-तरह की अच्छी-अच्छी स्कीमें चलाई हैं। किसानों को क्रेडिट की जरूरत पड़ती थी, वह भी मिलने लगा है। लेकिन केवल इन्हीं बातों से काम नहीं चल सकता है।

कनज्यूमर्स कोआपरेटिव्ज की बात ही लीजिये। उसके बिना स्टेट ट्रेडिंग नहीं चल सकती है। पता नहीं, कि कैसे लोग यह समझते हैं कि जब तक हम कोआपरेटिव के अंगों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लेते हैं तो भी हमारा काम आगे चल सकेगा। मुझे भी इसका कुछ तजुर्बा है। अक्सर यह होता है कि लोग रुपया ले तो गये परन्तु देते समय उनको दिक्कत होती है। फिर उससे सामुदायिक विकास में कोई खास अन्तर नहीं पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सर्विस कोआपरेटिव्ज बनाईं तो एक तस्वीर सामने आई थी। यह कहा गया था कि गांवों में ढांचा बिलकुल ही बदल जायगा। कुछ बन गई हैं और ५,००० और बनने जा रही हैं। उनमें स्टैगनेशन शुरू हो गया है। कहा गया था कि वह ग्रामीण जीवन में सुधार लावेंगी मगर ऐसी कोई सम्भावना हमें दिखाई नहीं देती है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस ओर सचेत रहना चाहिये और सर्विस कोआपरेटिव्ज के चलाने पर विशेष ध्यान देना चाहिये। ऐसा न हो कि कागज पर ही सब कुछ रह जावे, और असलियत में कुछ भी न होने पावे।

जैसा अभी हमारे उपनेता विरोधी दल ने कहा, कोआपरेटिव्ज के चलाने का काम बहुत कुछ अभी अफसरों के ही हाथों में है। यह भी कहा गया कि डिसेंट्रलाइज किया जाय, परन्तु घूम फिर

[श्री महेशसिंह

कर कोआपरेटिव विभाग के अधिकारी अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनके कार्य करने का तरीका ऐसा एंटी सोशल है कि जनता को उसमें विश्वास ही नहीं होता है। इसका भी ध्यान रखना चाहिये।

(इस समय २ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

जैसा माननीय उपनेता, विरोधी दल ने कहा कि अपने क्षेत्र की बात भी कुछ अवश्य होनी चाहिये, इसलिये मैं भी अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं। हरदोई जिले में वाटर लागिंग की उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी कि अलीगढ़ जिले में है। लेकिन हरदोई में केवल ९ हजार रुपया वाटर--लागिंग के लिये दिया गया जब कि अलीगढ़ में ९ लाख दिया गया। हिसाब तो लगाइये कि यह क्या रेश्यो है। इसी तरह से और भी बहुत सी बातों में मैंने देखा कि हरदोई, लखीमपुर और सीतापुर इत्यादि जिलों में रुपया कम दिया जाता है। पूर्वी जिले भले ही मिनिस्ट्री ले जावें और सरकार चलावें लेकिन जितना धन हमारे हिस्से में आता है उतना धन तो हमें जरूर मिलना चाहिये जिससे हमारी भी तरक्की पूर्वी और पश्चिमी जिलों के साथ हो सके।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत तीन दिन से महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर जो चर्चा सदन में चल रही है, उस प्रसंग में विरोधी दल के नेता द्वारा प्रस्तुत किये हुये संशोधन का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मैंने बहुत ध्यान से राज्यपाल महोदय के संबोधन को पढ़ा और उसके पश्चात् जो उस पर चर्चा हुई उसको यथासाध्य समझने का प्रयत्न किया। बार बार शासक दल के सदस्यों की ओर से कहा गया कि विरोधी पक्ष के सुझाव इस सम्बन्ध में अथवा अन्य अवसरों पर उपयोगी और समाधानकारक नहीं होते और न कुछ मार्गदर्शक ही होते हैं। मैं इस सम्बन्ध में संक्षेप में निवेदन करूंगा कि जहां तक विरोधी दल का कर्तव्य है, उसका काम समालोचना करना है। मैं यह मानता हूं कि वह समालोचना रोचक होनी चाहिये, शब्दावली सभ्य और सरस होनी चाहिये, उदाहरण के लिये कह देना कि 'ऐसे विषयों की चर्चा नहीं की गई, उसको भी हम सौभाग्य समझते हैं'। लेकिन ऐसा करने में विरोधी पक्ष सर्वदा असमर्थ रहेगा। मैं यह भी जानता हूं कि सदन की जो नियमावली है उसके अनुसार संशोधन उपस्थित करते समय लिखना पड़ता है 'खेद है कि अमुक विषय का . . . ., इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यह तो हमारे प्रांत के मंत्रियों का कर्त्तव्य है कि उनके जो भाषण हैं वे रोचक, सुस्वादु, और कर्णप्रिय हों। लेकिन विरोधीदल का कार्य ही दूसरा है। सत्य सदैव ही वेधक होता है, कटु और असह्य होता है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जिनके हाथ में शासन सूत्र है, हमारे प्रदेश के कल्याण का भार जिनके कंधों पर है उनको इस तरह की आलोचना से रोष न होगा।

कल खाद्य मंत्री का भाषण हुआ। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने बहुत सी बातें अपने पक्ष की सिद्धि के लिये कहीं लेकिन वे भी इस विषय में बहुत उदार नहीं रहे और विपक्ष की समालोचना को सहन करने की कितनी शक्ति उनमें थी, उसका उदाहरण उन्होंने उपस्थित नहीं किया।

इस अवसर पर जब कि हमारा सत्र आरम्भ होता है, जब हम सफलता और विफलता की चर्चा करते हैं तो हम आशा करते हैं कि सभी मंत्रिगण यहां उपस्थित रहें। श्रद्धेय टंडन जी के सभापतित्व काल में प्रायः ऐसा नियम था कि जब कोई अनिवार्य कार्य होता था तभी मंत्रिगण यहां से जाते थे, वरना यहां उपस्थित रहते थे। लेकिन मैं तीन दिन से देख रहा हूं कि इच्छा अथवा अनिच्छा से केवल एक मंत्री ही यहां बैठे रहते हैं। जब कि चर्चा का क्षेत्र सीमित नहीं है, सभी विभागों के मंत्रियों का यहां उपस्थित रहना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इस

अवसर पर शासन की सभी नीतियों के सम्बन्ध में चर्चा होती है। मैं आशा करता हूं कि शासन द्वारा भविष्य में, जब कभी इस प्रकार की चर्चा होगी तो पुनः उसी परम्परा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया जायगा जो टंडन जी के समय में थी।

जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आभार प्रदर्शित करने का सम्बन्ध है, इस दृष्टि से तो मैं आभार प्रकट करता हूं कि वे यहां पधारे और उन्होंने यहां अपना भाषण दिया लेकिन उनकी प्रत्येक बात के लिये उनका कृतज्ञ होने की बात मेरे मन में नहीं है। हां, माननीय सूचना मंत्री जी को अवश्य उनका कृतज्ञ होना चाहिये कि क्योंकि उनका काम उन्होंने बहुत सरल कर दिया। जो भी उनकी कल्पना है उसकी विषद् चर्चा महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में कर दी। यह भी उस भाषण की एक विशेषता है कि वह भाषण हिन्दी में दिया गया। श्रीमन्, हमारे प्रांत के प्रधान के रूप में, यदि उन्होंने हमारे प्रांत की और राज्य की भाषा में भाषण दिया तो यह बात हमारे लिये गौरव की अवश्य है और मैं इस बात को उदारता के साथ स्मरण करता हूं।

जहां तक नीतियों की चर्चा की बात है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारे प्रांत का शासन सफलता के साथ चल रहा है। सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है प्लानिंग का। हमारे प्रदेश और राष्ट्र में इस समय एक नियोजित अर्थ व्यवस्था का प्रयोग हो रहा है जिसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि हम इस कसौटी पर उन योजनाओं की सफलता को कसें कि उससे जनता को किस सीमा तक लाभ पहुंचा है तथा हम अपना विकास किस सीमा तक कर सके हैं। जहां तक अन्न की बात कही जाती है, यह मानी हुई बात है कि मानव मात्र के लिये वह सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। सभी नर नारी, आबाल वृद्ध अपने लिये कम से कम भोजन अवश्य चाहते हैं। नियोजित अर्थ व्यवस्था के नाम पर हमारे बजट से करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है परन्तु उत्पादन हम किस सीमा तक बढ़ा पाये हैं, इस सम्बन्ध में जो आंकड़े प्रस्तुत किये जा सकते हैं, मैं उसके जाल में नहीं उलझना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि आंकड़े किसी विशिष्ट परिस्थिति के समय के हो सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में हम देखें तो मैं यह निवेदन करूं कि हमारे खाद्य मंत्री महोदय विशेषकर इसको और भी स्पष्ट कर सकते थे कि क्यों ऐसा है कि जब गवर्नमेंट ने १५ रु० कुछ आने अनाज का भाव नियत किया है तो फिर चोर बाजार में या खुले बाजार में वह १८, १९ और २० रु० मन तक बिकता है। क्यों उस नीति को कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह एक अजीब ही मजाक है कि जनता के पैसे पर, जनता के श्रम पर और साथ ही उस पर ऋण भार बढ़ाते हुए भी सरकार की नीति सफलता और असफलता के झूले में झूल रही है। यह स्थिति असह्य है।

कहा जाता है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से कार्य किये हैं। शासन जो राष्ट्र का हो या प्रदेश का हो, उस समस्त जीवन को देखना होता है। यह ठीक है कि प्लान बनाना चाहिये, हमारी सड़कें बढ़नी चाहिये, बांध बनने चाहिये, अन्न के उत्पादन के साथ और बहुत से औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ने चाहिये और उसके लिये सरकार की तरफ से एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिये। जिस सरकार को १३० करोड़ रु० प्रति वर्ष खर्च करने के लिये मिले उसको तो इन सब का इन्तजाम करना ही चाहिये और किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो वह तो इस काम को करेगी ही। यह निश्चित बात है कि इतना बजट होते हुए और इस तरह से ऋण का भार बढ़ाते हुए सरकार का कार्य निश्चित रूप से कुछ स्कूल, अस्पताल, कुछ सड़कें और औद्योगिक संस्थान का निर्माण करना अवश्य ही होगा, यह मानी हुई बात है लेकिन देखना तो यह है कि ये कार्य कितनी कुशलता से किये गये। हमें तो यह देखना है कि कम से कम कितनी धनराशि व्यय करने से ज्यादा से ज्यादा कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई तथा साथ ही हम को यह भी देखना है कि कितने समय के अन्दर किस सीमा तक हम उस कार्य को कर सके। इस सम्बन्ध में आपको मैं एक उदाहरण दूं कि हमारी कुछ प्रसिद्ध योजनायें ही ली जायं जिनका तखमीना शासक दल की ओर से पहले दो ढाई और तीन करोड़ का बना लेकिन अन्त में जाकर वह ११, १२ और १३ करोड़ तक पहुंचा। ऐसी सूरत में किस प्रकार से नियोजित अर्थ व्यवस्था हो सकती है? मुझे

[श्री रामकुमार वैद्य]

ज्ञात है कि अमेरिका में जहां स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के वेतन मान में हमसे सोलह सत्रह गुने का फर्क है वहां सिंचाई साधनों पर प्रति एकड़ २७२ रुपये लागत आती है जब कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रति एकड़ ५०० रुपये पड़ती है। तो यह हमारी स्थिति है जिस पर हमें सोचना होगा।

आज भी प्लानिंग के सम्बन्ध में कुछ और बातें कही जाती हैं। एक स्वर्ग की कल्पना हमको दी जाती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमने आज तक एक भी ग्राम अपने प्रदेश में ऐसा बनाया है जो जीवन के सभी साधनों से पूर्ण हो? मैं आपके द्वारा शासक दल का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज गांवों में भी शहरों की तरह से मुकदमेबाजी बढ़ने की सम्भावना बहुत बढ़ती जाती है। गांवों में खरंजे लग रहे हैं, कुछ पक्के मकान भी बन गये हैं, लेकिन उनके लिये कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। यह शहरों का दुर्भाग्य रहा है कि उसकी प्लानिंग ठीक से नहीं हुई और जिसने हमारे नागरिक जीवन की जड़ों को हिला दिया है, आज वही चीज प्लानिंग विभाग के द्वारा देहातों में भी पहुंच रही है। टाउन प्लानर आफिस, विलेज प्लानर आफिस खुले हैं और इन पर खर्च करने के लिये लाखों रुपये स्वीकृति के हेतु सदन के सामने आते हैं लेकिन मैं निराशा के साथ कहता हूं कि आज तक एक भी गांव नियोजित ढंग से हमारे प्रदेश में नहीं बस सका है।

जहां तक कामों के एफिशिएंट होने का सम्बन्ध है, हमारे यहां की कई महत्वपूर्ण कमेटीज की रिपोर्ट है जिनमें लिखा है कि लाखों रुपये और करोड़ों रुपये का गड़बड़ घुटाला है। राज्य के साधारण जीवन में हर प्रकार की भूल क्षम्य हैं लेकिन आज प्लानिंग के द्वारा जो हम आज अपना सर्वस्व दांव पर लगा रहे हैं यानी रहेंगे या फना हो जायेंगे यह स्थिति है। इसलिये मैं शासक दल से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले में किसी प्रकार की भूल, भ्रष्टाचार या अनैतिकता को सहन न करे और कोई अनियमितता न होने दे तभी शासन का कल्याण हो सकता है।

*श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—अध्यक्ष महोदय, निश्चय ही जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल ने यहां दिया उस के लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे प्रदेश के बहुत से लोग शक्ति के विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं। उनके लिये यह सुन्दर ऐलान है कि सन् ६१ के आरम्भ में ही यहां जिला परिषदें स्थापित हो जायेंगी और अपना काम करने लगेंगी। इसी प्रकार हमें इस बात से भी खुशी हुई कि उस भाषण में इस बात का भी एलान है कि शीघ्र ही प्रदेश में एक ला कमीशन की नियुक्ति होने वाली है। हमें इस ऐलान से भी खुशी हुई कि सन् ६१—६२ तक सारे सूबे में जूडीशियरी और एग्जिक्यूटिव अलग-अलग काम करना आरम्भ कर देंगी। हमें इस बात की भी खुशी है कि एक नया कोआपरेटिव विधेयक इस सेशन में लाया जायगा जिससे कोआपरेटिव मूवमेंट की तमाम त्रुटियां दूर हो जायंगी। इस के अलावा यह भी खुशी की बात है कि छोटे कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ते की भी वृद्धि हुई है। इस ऐलान से हमारे सारे सूबे में एक खुशी की लहर दौड़ गई है।

अच्छा होता कि आज देश के सामने जो अहम सवाल हैं, बढ़ती हुई आबादी और प्लान्ड इकोनामी में जो आज हमारी दशा है जिस का कि तजकिरा माननीय मुख्य मंत्री जी ने संसद सदस्यों की कांफरेंस में किया था, उन का भी तजकिरा यहां भी वह करते और इस सदन को मौका देते कि वह उन तमाम सवालात पर बहस करे और किसी एक माकूल नतीजे पर पहुंचे। चीन में एक मशहूर फिलासफर हुआ है जिसका नाम कनफ्यूशस था। एक बार उस से किसी राजनीतिज्ञ ने प्रश्न किया कि वह कौन सी सिफात हैं कि जो एक सरकार में होनी जरूरी हैं। उस ने उसका जवाब दिया कि अव्वल तो सरकार के पास एक मजबूत फौज होनी चाहिये, दूसरे उसके पास खाने के अच्छे रिजर्व होने चाहिये और तीसरे सरकार को जनता का विश्वास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राप्त होना चाहिये। उसके बाद उससे पूछा गया कि अगर आप से ३ के बजाय २ सिफात ही पूछी जायं तो आप इन ३ में से कौन सी जरूरी समझते हैं? इस पर फिर कनफ्यूशस ने जवाब दिया कि आप फौज को छोड़ सकते हैं लेकिन खाने का रिजर्व और जनता का विश्वास अवश्य प्राप्त होना चाहिये। इसके बाद फिर भी प्रश्नकर्त्ता ने अगला सवाल किया कि अगर मैं केवल एक ही जरूरी सिफत आप से पूछूं तो आप वह कौन सी बतायेंगे? इस पर कनफ्यूशस ने जवाब दिया कि वह प्रथम जरूरी चीज जनता का विश्वास है। इसलिये मैं अपनी इस तकरीर के जरिये से सरकार से निवेदन करूंगा कि उस को इस बात की पूरी कोशिश करना चाहिये कि आज जनतन्त्र के ढांचे में जनता का विश्वास है वह कहीं न उठ जाय, अगर वह देश से या प्रदेश से उठ गया तो हमारा पूरा ढांचा ही बदल सकता है।

अब जनता का विश्वास किस तरह से प्राप्त रह सकता है इसी पर हमें विचार करना है हमने अपने यहां डेमोक्रेटिक पद्धति को अपनाया है तो उसमें सबसे पहली आवश्यक बात यह है कि जनता को जो आश्वासन हमने दिये हैं उनको हमें थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता पूरा करना चाहिये। हमारी प्रथम प्लान के साथ क्या यह विश्वास नहीं दिया गया था कि हर पंचवर्षीय योजना के बाद पर-कैपिटा आय बढ़ जायगी? परन्तु आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है, लेकिन उसका क्या फल हमारे सामने आया? क्या यह सही नहीं है कि इनकम-पर कैपिटा गिरी है? सन् ५०–५१ में जब नियोजन का काम आरम्भ हुआ उस वक्त हमारी पर कैपिटा आय सारे भारत की पर कैपिटा आय से अधिक थी, हमारी पर कैपिटा आय थी २५८.२६ और आल इंडिया की थी २४६.३, और आज दस साल की प्लानिंग के बाद जबकि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली है उस की तसवीर यह है कि ५८–५९ में प्रदेश की आय पर-कैपिटा है २५९.०२ और आल इंडिया की पर-कैपिटा इन्कम है २९३.६ हो गई है। तस्वीर इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश की इनकम पर-कैपिटा नहीं बढ़ी है ....

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवराजसिंह यादव—मैं निवेदन यह कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद लोगों की पर-कैपिटा इनकम में जरूर इजाफा होगा? लेकिन इनकम पर-कैपिटा जहां की तहां है, चाहे कुछ भी वजूहात रही हों। जो उत्तर प्रदेश पर वजूहात लागू होती हैं वह सारे देश पर भी लागू होती हैं। जब सारे देश की बढ़ी है तो उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं बढ़ी? कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो दो पंचवर्षीय योजनायें गुजरी हैं उनमें डेमोक्रेटिक इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। कहते हैं कि सेन्ट्रल प्रोजेक्ट्स जो सारे प्रदेशों को दिये गये हैं वह उत्तर प्रदेश को बहुत कम दिये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों कम प्राप्त हुआ? जब ५०–५१ में इनकम पर-कैपिटा सारे हिन्दुस्तान की इनकम पर-कैपिटा से ज्यादा थी और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से यह ऐलान किया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम हर स्टेट के लिये सहायता देंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों ज्यादा रकम इट्ठा नहीं कर पाई और क्यों नहीं सारे देश की तस्वीर में उसको ज्यादा प्रोजेक्ट मिल पाये? आज जब हमारी इनकम पर-कैपिटा घट गई है तो कैसे हम उस कमी को पूरा कर पायेंगे, यह सवाल मुझे परेशान करता है।

जो हमने जनता को विश्वास दिलाया, वह था खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस तरह का विश्वास दिलाया था कि इन योजनाओं के बाद खाद्य स्थिति सुधर जायगी। आज किसी माने में मेरे लिये वह सुधरी हुई नहीं दीखती है। दूसरे मुल्कों से गल्ले का इन्तजाम करना कोई तारीफ की बात नहीं है, भले ही फूड मिनिस्टर को बाहर से आते हुए तस्वीर खींच कर खुशी मना लें कि इतना रिजर्व हमने बाहर से प्राप्त कर लिया है, यह कोई खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात है तब जब हम इतना गल्ला पैदा कर लें जितना कि हमारी आवश्यकता है।

[श्री शिवराजसिंह यादव]

आंकड़े जो इस प्रदेश की किताबों में दिये गये हैं उन्हें हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि इस प्रदेश के अन्दर बीज जो वितरित किया जाता है उसकी मात्रा हर वर्ष बढ़ती जाती है। सन् ५६--५७ में १,६०३ टन था और ५८--५९ में २,२११ टन। इसी तरह ५६--५७ में २८ हजार औजार बांटे गये और ५८--५९ में ५२ हजार। इसी तरह से जापानी मेथड से ज्यादा काश्त की गई। इसी तरह से हर साल हजारों एकड़ जमीन रिक्लेम की और हजारों मन फर्टीलाइजर हर साल ज्यादा बांटा गया। लेकिन गेहूं की पैदावार, जौ की पैदावार, गन्ने की पैदावार, मूंगफली की पैदावार, सब बराबर घट रही है। कौन इसका जवाब देह है? क्या यह फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से जनता का विश्वास डैमोक्रेटिक प्लानिंग और डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार के अन्दर कम होता जाता है? सरकार कड़ाई से कार्य करे। हम अखबारों में पढ़ते हैं, रूस के अन्दर उन फार्म मैनेजरों को जिन्होंने कि गलत आंकड़े दे दिये थे, तीन साल की सजा दी गयी। मैं नहीं समझता कि सरकार अपने उन कर्मचारियों को उन लैप्सेज के लिये क्यों कड़ी सजा देने में हिचक करती है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार जिन स्कीम्स का ऐलान करे उनको कड़ाई से पूरा करे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री शिवराज सिंह जी बोल रहे थे, पहले नवलकिशोर जी बोल चुके हैं उन्होंने विरोधी दल के काम को हल्का कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है किसी क्षेत्र में सरकार सफल नहीं रही है। जब माननीय मदन मोहन जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि यश हम लूटेंगे इसलिये कि हमारे साधन सीमित हैं और उनके अन्दर हमने जो कुछ किया वह करिश्मा है। सन् १९४६ में जब सरकार बनी तो २७ करोड़ का बजट था आज उसमें १०६ करोड़ का इजाफा हो गया है यानी १३३ करोड़ का बजट है। जनता से इतना रुपया टैक्स के रूप में लेने के बाद भी उसको कोई राहत नहीं दी जा रही है। थोड़े से स्कूल खोल दिये, बिना डाक्टर और दवाई के अस्पताल खोल दिये, खाने की चीजें खराब मिलें, क्वीन मेरी में एक डाक्टरनी ने आत्म हत्या करने के लिये अपने बदन में मारफिया के इंजक्शन लगाये लेकिन वह बेहोश तक नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि जहर तक में मिलावट चल रही है, अगर ऐसे ही कामों के लिये सरकार बधाई की पात्र है तब तो ठीक है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

हमसे कहा जाता है कि जातीयता, प्रान्तीयता और वर्गवाद को भुला दें। हमें ऐसा उपदेश देने वाले पहले अपने बीच में तो देखें। कांग्रेस में दो गुट हो गये हैं, गुप्ता गुट और सम्पूर्णानन्द गुट। पी० सी० सी० के लिये एक एक वोट ४० से ५० रुपये तक का बिक रहा है। इतना ही नहीं मिर्जापुर म्युनिसिपैलिटी का जिक्र आया, वहां पिछले कई सालों से जनसंघ का बोर्ड है लेकिन तीन बार वहां के चेयरमैन को अपदस्थ इसलिये किया गया कि वह विरोधी पार्टी का था। मामला हाई कोर्ट में गया और वहां से सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अब चौथी बार नगरपालिका ही भंग कर दी गयी। उसके ऊपर चार्जेज यह हैं कि विन्ध्याचल में तुमने यात्रियों पर टैक्स नहीं लगाया, नालियां और सड़कें नहीं बनायी। और साइकिल टैक्स घटा दिया। अब बताइये कि तीर्थ स्थान पर यात्रियों पर टैक्स लगाना कहां तक मुनासिब है? रही नालियों और सड़कों की बात तो जिसके आंखें हो वह जाकर देखे कि पिछले दो सालों में कितनी अच्छी सड़कें बनायी गईं। यह सब चीजें लखनऊ से तो नहीं देखी जा सकती। बहराइच में पी० एस० पी० के बोर्ड में बहुमत है, उसे भी तंग किया जा रहा है। अल्मोड़ा म्युनिसिपल बोर्ड को तंग किया जाता है, नैमिषारण्य नोटीफाइड एरिया व शामली को तो निगल गये, गरज यह कि जहां भी विरोधी दल का जोर है वहीं उनको दबाया गया, और उसके बाद भी सरकार हमको उपदेश देती है। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।" पहले अपने घर को देखो, वहां सहकारिता करो तब दूसरे को उपदेश दो तब तो ठीक भी लगे।

कहते हैं देश को बड़ा खतरा है उत्तरी सीमांत पर। हम बराबर कहते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऐसे भीषण समय में भी वहां के लोगों की सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है,

लोगों में अरक्षा की भावना है । अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी सीमान्त के पिठौरागढ़ जिले की तरफ गये थे, मैं भी संयोग से वहां उपस्थित था, जगह व जगह जहां कहीं उनको अभिनन्दन पत्र मिले उनमें से ९० फीसदी में यही जिक्र था कि आज हम अरक्षित हैं । हमें भूलना न चाहिये थोड़ी सी पी० ए० सी० लोगों की रक्षा नहीं कर सकती । बड़ी ढोल पीटी गयी वहां के विकास के लिये, लेकिन तमाशा यह है कि अभी हाल ही में कहा गया है कि २ करोड़ ९ लाख रुपया हमने इस साल के बजट में हमने वहां के लिये रखा है । फरवरी में यह नये जिले बनाये गये और कहा गया था कि बिजली की तरह से काम करेंगे । तो बिजली की तरह से ऐसा काम किया कि मई तक एक पाई भी बजट में वहां के लिये नहीं थी जब कि तुरन्त वहां सड़कों का बनाना बहुत ही आवश्यक है । ऐसी भयानक चट्टानें हैं वहां कि एक एक मील में सड़क बनाने में लाखों रुपया लग जायगा । तो इतने से रुपये से क्या समझें बनेगीं और क्या दूसरे काम होंगे । हालत तो यह है कि मई के महीने तक यहां के पी० डब्लू डी० के पास बोरिंग करने की मशीनें नहीं थीं, कम्प्रेसर्स नहीं थे और जो ड्रिविंग आखिरी टुकड़ा इस्पात का लगाया जाता है वह चीज तक उपलब्ध नहीं थी । अब बरसात आ गई है । इसके बाद वहां बरफ पड़ने लगेगी, काम हो नहीं सकेगा । अब वहां बर्किंग सीजन खत्म हो गया । इसके साथ साथ वहां कम्यूनिस्टों की कार्यवाहियां इस कदर बढ़ गयी हैं कि कहीं किसी संघ के नाम से कहीं लोक कल के नाम से वे अपना काम कर रहे हैं और सरकार उनको आगे बढ़ाती है ।

इसके अलावा, श्रीमन, यह सरकार शीघ्र बिल लाने की बात कहती है । २१ जुलाई, १९५८ के अभिभाषण में राज्यपाल, श्री वी० वी० गिरि साहब ने कहा था कि सरकार कोआपरेटिव का बिल शीघ्र ला रही है । तब से दो वर्ष के ऊपर हो गये । मगर उनका शीघ्र अभी तक पूरा नहीं हुआ । इस तरह से चुनाव कराने की बात कही जाती है लेकिन आज भी सरकार जिला परिषद् विधेयक को नहीं लाना चाहती । तो यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है ।

नियोजन के बारे में बहुत कुछ कहा गया । हम भी कहते हैं कि अच्छी चीज है । हमारे माननीय गोविन्द सहाय जी तो कांग्रेस विधायकों में आगे बैठने वालों में से हैं और कांग्रेस की नीतियों के बड़े समर्थक हैं । उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे प्लानिंग विभाग के अधिकारियों को ज्ञान नहीं है कि प्लानिंग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसके लक्ष्यों की पूर्ति कैसे हो सकती है ? यह मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ बल्कि माननीय गोविन्द सहाय जी का स्वयं कहना है । कि नियोजन के लक्ष्यों के प्रति सरकारी कर्मचारियों को आस्था नहीं है ।

हां, एक चीज के लिये मैं सरकार को जरूर मुबारकबाद दे सकता हूँ । जैसे इसमें कहा गया है कि अब दुःख किस बात का है, तीन नयी डिस्टिलरीज बन रही हैं, खूब मछलियां होंगी, खूब पियो और खाओ । तो इनकी गद्दी बरकरार रहनी चाहिये देश गर्त में जाय । ये सब सिंहासन पर डटे रहें और चाहे कुछ भी हो, इनसे कोई मतलब नहीं ।

टैक्स की बात कही जाती है । १०६ करोड़ का तो यों ही इजाफा कर दिया और फिर भी दरिद्रता के द्वार पर हमें लाकर खड़ा कर दिया । इसके अलावा प्रदेश पर ३७६ करोड़ रुपये के करीब ३१-५-६० को कर्जा हो चुका था । यानी पौने चार अरब रुपया जिस सरकार पर कर्ज हो और जो १०६ करोड़ का इजाफा टैक्स में कर चुकी है वह फिर भी यह कहे कि अभी तुम्हें और पेट कसने की नौबत आयेगी, तो उसके लिये क्या कहा जाय । श्री राज्यपाल के अभिभाषण में यह बातें हैं कि जनता को अभी और तकलीफ बरदाश्त करनी पड़ेगी । यहां की जनता, दो जून की कौन कहे, एक जून भी पूरा पेट खाने को नहीं पाती है । सारी चीजों के मूल्यों में वृद्धि आ गयी है । माननीय खाद्य मन्त्री यहां नहीं हैं । वे कहते हैं कि हमारे यहां किसी चीज का अभाव नहीं है । सदन में बहुमत के बल पर भले ही ऐसी बातें कह लें, लेकिन प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता से पूछिये कि क्या उसे भर पेट भोजन मिलता

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

है ? कागजों में भले ही अन्नोत्पादन बढ़ गया हो, जैसा कि मैं ने एक दिन अर्ज किया था कि कागज की जमीन पर कलम का ट्रैक्टर चला कर अन्नोत्पादन बढ़ गया हो तो बढ़ गया हो वैसे खेतों में तो बढ़ा नहीं । अगर बढ़ा है तो बाजार में जरूर आता । एक सूरत और हो सकती जिसको मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि अगर बढ़ा है तो मन्त्री जी ने रख लिया है लेकिन यह बात नहीं हो सकती है । श्रीमन, मैं चाहता हूँ कि इन शब्दों के साथ धन्यवाद का प्रस्ताव जाय ।

श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर तीन रोज से चर्चा चल रही है और जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसके सम्बन्ध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । एक बात स्पष्ट है कि जिस विषय पर चर्चा है और धन्यवाद देने की बात चल रही है तो मैं समझता हूँ कि यदि धन्यवाद न दूं तो क्या बिगड़ जायगा और महामान्य राज्यपाल की मर्यादा पर क्या असर पड़ेगा । ऐसा मेरा ख्याल नहीं है और मैं सच्ची बात श्रीमन, आपके द्वारा स्पष्ट तौर पर सदन के सामने रखना चाहता हूँ । आज धन्यवाद अगर इसलिये दिया जा रहा है कि सरकार ने अमुक-अमुक काम अच्छे किये हैं तो मैं भी इस बात को मानता हूं कि सरकार ने बहुत से अच्छे काम किये हैं । चाहे निर्माण के कामों को देखा जाय, चाहे अस्पतालों को देखा जाय, चाहे शिक्षा के काम को देखा जाय, चाहे नहरें तथा स्कूलों के खोलने के सवाल को देखा जाय तो इन सब में बढ़ोत्तरी हुई है । इन पर अगर राज्यपाल महोदय को या सरकार को धन्यवाद देना है तो मैं सबसे पहली पंक्ति में खड़ा होकर सारी सरकार को और राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा ।

श्रीमन, मैं एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं कि सारे काम सरकार करे, इसके अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर एक अकर्मण्यता की भावना घर कर गई है । मुझे अपने यहां गांवों में काम करने का मौका मिला है और मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति प्रत्येक काम के लिये सरकार पर ही निर्भर करने लगा । यदि यही स्थिति रही तो क्या यह डिक्टेटरशिप को जन्म नहीं देगी ? अगर इसी तरह से सरकार को प्रत्येक काम करने के लिये विवश किया गया तो मैं कहता हूँ कि दूसरा आल्टरनेटिव नहीं हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद इस देश में और प्रदेश में डिक्टेटरशिप का प्रादुर्भाव होगा । इसलिये, श्रीमन मैं इस पर धन्यवाद नहीं दे सकता हूं ।

सरकार ने बहुत से अच्छे काम भी किये हैं जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर संस्थान को जन्म दिया गया है । रोगों से लड़ने के लिये सरकार ने प्रयत्न किया है और आजकल मलेरिया जैसी चीज नहीं रह गई है । मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि इस युग में जो आणविक अस्त्रों का निर्माण किया गया उसके कारण अनेक व्याधियों ने घर कर लिया है और उनसे मानवता को बचाने के लिये यदि सरकार प्रयास करती है तो अवश्य धन्यवाद की पात्र है और मिलना चाहिये । जहां मैंने कैंसर संस्थान की बात कही वहीं टी० बी० की बात भी कहता हूँ । इसके निवारण के लिये तमाम प्रयत्न किये गये हैं और नये-नये अस्पताल कायम किये गये हैं । जहां तक निर्माण का प्रश्न है, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इसकी भावना गांवों में घुस रही है ब्लाकों के माध्यम से, गांव पंचायतों के माध्यम से आज गांवों में नई चेतना आ रही है । लेकिन जितना खर्चा कर रहे हैं वह चेतना उस माने में नहीं पहुंचती है । इस तरफ मैं अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इस ओर देखें कि जितना प्रयास और परिश्रम कर रहे हैं उसका लाभ ग्रामीण जनता को मिल रहा है या नहीं ? यदि नहीं तो इस गलती को दुरुस्त करने की कृपा करें ।

भ्रष्टाचार की बात कही गई, पुलिस विभाग में खास तरीके से । मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अब २७ फरवरी, सन् ६० को अपनी बजट की स्पीच के सिलसिले में माननीय गृहमन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार ही कर लिया कि प्रदेश में असुरक्षा की भावना है तब फिर इस पर अधिक बहस करने की गुन्जाइश नहीं । अब अगर बहस की जाय तो वह इसी प्वांइट पर की जानी चाहिये कि किस तरह से इस असुरक्षा की भावना से हमको छुटकारा मिले

और ग्रामीण क्षेत्र अपनी जगह पर फिर विश्वास प्राप्त करके इस प्रकार की भी मंगल-कामना करे और अपने भी जान माल की हिफाजत करे। इस सम्बन्ध में अपना थोड़ा सा अनुभव बताता हूं। ज्यादा तफसील में तो जाऊंगा नहीं। क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं। मगर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट इत्यादि न लिखने की बात कही जाती है, सम्भव है कि मेरा सुझाव बहुत अच्छे तरीके से मान्य न हो सके, कुछ उसमें प्रशासनिक कठिनाइयां भी हों, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि जहां पर आपने डी० वाई० एस० पी० कम्प्लेंट्स को आमतौर पर कुछ और मामलों की जांच के लिये रखा है, खास तरीके से चार किस्म के मामलेउस दिन मेरे प्रश्न के उत्तर में बतलाये गये थे, तो मैं नम्रता-पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि कंसीलमेंट के जो मामले हैं, उनको चाहे डी० वाई० एस० पी० कम्प्लेंट्स के सुपुर्द करें, या एस० डी० एम० के सुपुर्द करें या किसी और उच्च अधिकारी के सुपुर्द करें तो बहुत जल्दी समस्या हल हो सकती है। जो शिकायत आज पहुंचती है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती या घटा बढ़ाकर दर्ज की जाती है, यह दूर हो सकती है। लेकिन इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि अभी मामला हमारे यहां का कम से कम माननीय गृह मन्त्री के विचाराधीन है। उससे छुटकारा पाने पर अगर मौका मिला तो भविष्य में मैं फिर इसके ऊपर अपने कुछ सुझाव रखूंगा।

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा हुई हड़ताल पर भी मुझे कुछ शब्द कहने हैं। जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा असमय में, बेवक्त यह हड़ताल की गई और उसका सामना जिस प्रकार सभी प्रान्तीय सरकारों ने किया, उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र हैं और हमारे जिले में अधिकारी भी धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने बड़ी ही तत्परता से इस हड़ताल को सामाप्त ही कर दिया। उत्तर प्रदेश में हड़ताल का कोई विशेष जोर नहीं था। मैं यह नहीं कहता कि यह सारी नौकरशाही ने इस हड़ताल को असफल बनाने के लिये जो प्रयत्न किया उसके लिये मैं उसकी बड़ी प्रसंशा करता हूं लेकिन जिस समय में यह हड़ताल का इरादा किया गया वह बड़ा ही भयानक वक्त था। अगर इसको दबाया न जाता तो परिणाम भयंकर हो सकता था। एक तरफ जब हमारी सरहद पर चीन बैठा हो उस समय दूसरी तरफ सारे यातायात के साधनों को ठप करने की बात की जाय तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई मजदूरों का हित था। इसके भीतर तो अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करने की बात थी। इसलिये अगर वह असमय में ही दबा दी गई या समाप्त हो गई अपने आप तो उसके लिये सारे के सारे लोग प्रसंशा के पात्र हैं।

श्रीमन्, सहकारिता के सम्बन्ध में भी मुझे दो लफ्ज कहना है। सहकारिता का सिद्धांत बड़ा पवित्र है। एक व्यक्ति के लिये कोई काम न हो और दस व्यक्ति उस काम को करें तो यह सिद्धांत तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आज इस सहकारिता के सिद्धांत की हालत क्या है? बड़ा पवित्र ध्येय हो लेकिन अपवित्र साधनों से यह पवित्र ध्येय भी प्राप्त किया जाय तो उसमें उतना बल नहीं रहता, उतना लाभ उससे नहीं हो सकता। तो आज जिन अपवित्र हाथों द्वारा यह सहकारिता का सिद्धांत लागू किया जा रहा है, उससे उतना लाभ नहीं हो रहा है। इस पर आप सोचें।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र की बिजली की बात कह दूं। गवर्नर महोदय के सम्बोधन में सिधौली में बिजली ले जाने की कोई चर्चा नहीं की गई है और वह उतना महत्वपूर्ण है भी नहीं कि उसकी चर्चा उसमें की जाती। लेकिन सन् ५६ के में यह वादा किया गया था, उस वक्त के वित्त मंत्री श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम महोदय ने यह वादा किया था कि पहले तो विद्युतीकरण सिधौली का होगा और फिर महमूदाबाद का। वह वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करता हूं और अन्त में आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में मैं उनकी तीन बातों की प्रसंशा करूंगा। सब से पहली बात

[स्वामी विश्वेश्वरानन्द]

तो यह है कि उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में दिया जिसकी उत्सुक्ता हम सभी को थी और जनसाधारण को भी थी कि महामान्य राज्यपाल अपना भाषण किस भाषा में देंगे। यद्यपि वह इसके लिये प्रशंसा के पात्र नहीं हैं क्योंकि अपने देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है पर फिर भी उसकी उत्सुक्ता के साथ प्रतीक्षा की जा रही थी, इसलिये मैं उस नाते उनकी प्रशंसा करूंगा ।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार करने में अपनी सौजन्यता का परिचय दिया है कि इस स्टेट की वस्तुस्थिति से वह पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। उनको कुछ विशेष जानकारी नहीं हो सकी है कि प्रदेश की स्थिति क्या है ।

तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपने भाषण में यह कहा है कि इस राज्य की सेवा वह बड़ी लगन के साथ करेंगे जब तक कि प्रदेश के शासन का भार उनके ऊपर होगा।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें और महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में कही हैं उनमें सबसे पहली बात तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में है जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है और जो आशा हमारे प्रदेश को उन्होंने दिलाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का भविष्य भी अन्धकारमय है। वह इसलिये कि मैं इस प्रदेश की प्लांनिंग स्टेंडिंग कमेटी का सदस्य हूं। उस नाते से मुझे यह मालूम है कि जब कभी उस कमेटी में यह सवाल रखा गया कि हमें अपने प्रदेश के अन्दर इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ मालूम होना चाहिये कि क्या इसमें होने वाला है और क्या हम करने जा रहे हैं, उस चीज को हमारे सामने रखा जाय तो आज तक हमारे सामने उसको नहीं रखा गया। मैं यह मानता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जिन योजनाओं को हमारे सामने रखा गया उसमें हमें यह मालूम नहीं हो सका कि हमारे प्रदेश के अन्दर क्या होने जा रहा है।

इससे पेशतर जो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनायें थीं उनमें क्या हुआ है इस पर माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। यह साबित हो चुका है कि पहली पंचवर्षीय योजना ने और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने हमारे देश के अन्दर निराशा का वातावरण पैदा किया है, न कि जनसाधारण के अन्दर कोई उत्साह पैदा किया हो। किसी ढंग से भी देखा जाय, मजदूर, किसान, विद्यार्थी या छोटे कर्मचारी, सभी के अन्दर निराशा को पैदा किया है। आज जन-साधारण के अन्दर कोई उत्साह दिखाई नहीं देता है। वह आज यह महसूस करते हैं कि १३ वर्ष आजादी मिलने के बाद भी उनको चैन से सांस लेने को नहीं मिला है। जहां भी देखिये कोई भी वर्ग हो वह अपने वास्तविक अधिकारों की मांग करता है तो उसको कुचल दिया जाता है। डंडे और लाठी का प्रहार उसके ऊपर किया जाता है। इसकी जिन्दा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो यह बड़े दुख की बात है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होने जा रही है और उसका सही नकशा अभी तक हमारे सामने नहीं है। सच बात तो यह है कि हम पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखते आ रहे हैं, उनमें सिवाय पक्षपात के हमको दूसरी चीज नजर नहीं आई। कहीं पर तो पानी की तरह से पैसा बहाया जा रहा है और कहीं पर गर्की की वजह से, वाटर लागिंग के कारण बहुत सी कृषि नष्ट हो चुकी है, रेह से हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो चुकी है वहां पर कुछ नहीं किया गया है। एक तरफ सरकार अन्न उत्पादन के लिये रबी और खरीफ कैम्पेन चलाती है किन्तु कृषि उत्पादन के लिये जिस तरफ ध्यान देने की जरूरत है उधर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आप उत्पादन चाहते हैं कि बढ़े तो सब से पहले आपको कृषि क्षेत्र की तरफ ध्यान देना चाहिये। जबकि इस प्रदेश में ८० फीसदी लोग खेती करने वाले रहते हैं तो उस तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया है। यह सब से अधिक दुख की बात है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया गया जिसका जिक्र अभी हमारे माननीय सदस्यों ने किया कि वह रखा रह गया और उसका कोई उपयोग नहीं हो सका। मुझे इस बात का दुख है कि मुख्य मंत्री जी से जब कभी मैंने कहा कि हमारे पश्चिमी जिले वाटर लागिंग की वजह से तबाह हो रहे हैं, रबी और खरीफ के कैम्पेन की बात करते हैं और इस तरफ ध्यान नहीं

देते हैं। रुपये के लिये सवाल करते हैं तो वे कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट से रुपया मांगा है वह रुपया नहीं मिला है। लेकिन जब करोड़ों रुपये का बजट बनाते हैं तो फिर क्या वजह है कि इसके लिये आप इन्कार करते हैं और कहते हैं कि रुपया नहीं है जबकि बहुत सा रुपया खर्च करने से रह जाता है। इसलिये ऐसी नीति से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी रकमें बहुत सी योजनाओं में इधर-उधर बरबाद की गई है लेकिन वह अधूरी पड़ी रह गई हैं। अभी तक पता नहीं है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर उन योजनाओं को पूरा किया जायगा या नहीं जो कि अधूरी पड़ी हैं। पता नहीं उसमें कितना रुपया खर्च किया जायगा। आपने ६०० करोड़ रुपये की सेंट्रल गवर्नमेन्ट से मांग की है लेकिन सही चीज हमारे सामने नहीं है कि उस रुपये को किस तरीके से कहां पर खर्च किया जायगा।

शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, यह सर्वविदित है और जनसाधारण इस बात को जानता है कि पिछले १५ साल में शिक्षा का स्तर इंटरमीडियट, हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूलों में कितना गिरा है। यहां के विद्यार्थियों की योग्यता को देख कर दुख होता है। इस के अलावा, शिक्षा के मामले में भी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। पिछले वर्ष सितम्बर के महीने में गांवों में किताबें ब्लैक में बिक रही थीं। बुक सेलर्स १२ आने की किताब डेढ़ रुपये में बेच रहे थे अपने एजेन्ट के द्वारा और पूछने पर कहने लगे क्या करें साहब, किताबें छपती नहीं, मिल नहीं रही हैं। शिक्षा मंत्री जी से भी पूछा गया तो भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला कि वह इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं।

कृषि के लिये मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस कृषि प्रधान देश में जब तक किसान की ओर सरकार की तवज्जह नहीं जायगी, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। आज ८० फीसदी किसान देहातों में दुर्दशा में पड़े हुये हैं और आप उनके ऊपर रहम नहीं करना चाहते। आप उनकी मिल्कियत की कीमत नहीं आंक सके। अभिभाषण में लैंड मार्गेज बैंक का जिक्र किया गया है, लेकिन वह सब अंधकार में है। आपके पास उसके लिये पैसा ही नहीं है। इसके अलावा एक बार मैंने रजिस्ट्रार से पूछा कि आप किसान की जमीन का मूल्य किस हिसाब से लगायेंगे तो कोई जवाब नहीं मिला। उसके पास जमीन के अलावा घर होता है, गाड़ी होती है, बैल होते हैं, उनकी भी कुछ कीमत है, लेकिन इस सबका उत्तर नहीं मिला। जब सरकार का यह रवैया है और अगर यही रवैया रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप दसियों ही पांच साला योजना क्यों न चला लें, आपका देश गड्ढे की तरफ ही बढ़ता जायगा। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी कर के वह इधर के बैठने वालों की बातों की ओर कुछ तवज्जह देने की कृपा करें। हमारी तरफ की हर बात गलत नहीं होती। हो सकता है कि कोई एक आध हो जाय, लेकिन हर बात गलत नहीं होती और उन बातों को मान कर फायदा उठाया जा सकता है।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सिंचाई विभाग के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई विभाग के बहुत से काम मैंने देखे। वाटर लार्गिंग के एरियाज में जो नाले बन रहे हैं उनमें एक एक पर पांच-पांच और छः छः साल से काम हो रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। सवाल किये जाते हैं तो जवाब नहीं मिलता और अफसरों से शिकायत की जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती। श्रीमन्, सरकार से कहने पर भी सुनवायी नहीं होती। चूंकि समय कम है इसलिये मैं थोड़े में ही कहने का प्रयत्न करूंगा।

सेवा सहकारिता समितियों का बड़ा ढोल पीटा गया। आपने १०,००० समितियां बना दीं, लेकिन उनके लिये पैसा नहीं है। किसान की हालत यह है कि वह १० रुपये का मेम्बर होने के बाद २०० रुपया कर्जा चाहता है और आज ९० परसेंट किसान ऐसे हैं कि जो अपने लिये हुये कर्जे को अदा नहीं कर सकते। आज उनके घर पर कुर्की हो रही है और वे परेशान हैं। मैंने इस बात के लिये दरख्वास्त स्टैन्डिंग कमेटी में भी की थी और यहां भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की एग्रीकल्चरल कंडीशन्स को देखा जाय। आप की योजनायें केवल कागजी

[स्वामी विश्वेश्वरानन्द]

हैं, अमल में नहीं हैं। इसी तरह से बीज गोदामों की हालत को आप देखिये। उनकी दशा यह है कि कहीं भी 'ए' क्लास का बीज आपको गोदामों में नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। क्या मजाक है? क्या तरीका है? मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इन चीजों पर बहुत काफी गौर करने की जरूरत है। अगर वह चाहती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ हुआ है उसका फायदा हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में उठा सकें और तीसरी योजना में हम जनता को वह फायदे पहुंचा सकें जो हमने सोच रखे हैं तो सरकार के लिये जरूरी है कि वह इन बातों की तरफ ध्यान दे।

अब सिंचाई विभाग का सिंचाई से कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसा मालूम होता है। पिछले ३-४ महीने में ईख की फसल सूख गयी, किसान अपने जानवरों के लिये चारा भी नहीं बो सका, क्योंकि २ महीने तक नहर का पानी नहीं मिला। सिंचाई विभाग को ऐसा करने से पहले किसान को नोटिस दे देना चाहिये था कि आप फसलें न बोयें क्योंकि पानी उनके पास नहीं है। लेकिन आब-पाशी जबरदस्ती वसूल की जायेगी, उनको किसी तरह की छूट नहीं दी जायेगी। तो मेरा निवेदन है कि इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---नन्दराम जी, आपको ५ मिनट का समय मिलेगा, चूंकि समय कम है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बात यह है कि गवर्नर महोदय का ऐड्रेस एक महत्वपूर्ण ऐड्रेस होता है और इस पर करीब सभी ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मैं एक माइनारिटी को बिलांग करते हुये उस पर बोलना चाहता था और उसके लिये मैं बराबर तीन दिन से कोशिश भी कर रहा हूं मगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा कर उस प्रक्रिया नियमावली का हवाला दीजिये जिसके अनुसार स्पीकर के लिये यह लाजमी हो कि वह हर सदस्य को समय अवश्य दे।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाट्य सत्य है कि समाजवादी दल की नीति तथा उसकी लोक कल्याणकारी व सार्वजनिक जनहितकारी मांग जीवन के समस्त अंगों से अंग्रेजी भाषा को समाप्त करने और हिन्दी को राजकीय भाषा बनाने तथा हर विभाग में उसका प्रयोग होने, जिसके लिये समाजवादी दल आज भी सत्याग्रह कर रहा है, तथा भूतपूर्व राज्यपाल के भाषणों के अवसर पर उनके अंग्रेजी में भाषण पढ़ने पर सदन का त्याग भी किया है, आदि बातों पर विचार करके महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण हिन्दी में देने की कृपा की है जो समाजवादी दल की नैतिक तथा वास्तविक विजय है। उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का भाषण तत्कालीन राज्य सरकार की नीति तथा कार्यक्रम का दर्पण होता है। यह जो दर्पण हमारे सामने है, यह विस्तृत तो बहुत है, मगर धुंधला इतना है कि इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसमें अगर कोई चीज दिखाई पड़ती है तो वह एक ही चीज कि मछलियों की तादाद ५ करोड़ हो गयी। मुझे ताज्जुब है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जलाशयों के गर्भ में मछलियों की सही तादाद का पता कैसे लगा लिया। उसके लिये मैं राज्यपाल महोदय को सर्वव्यापक या सर्व अन्तर्यामी भी कह सकता हूं।

दूसरे, शराब की भट्टी तथा कठपुतलियों का नाच, राज्यपाल महोदय को शराब की भट्ठियों का और मछलियों का अन्दाजा हो गया मगर दूसरी बातों का नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वर्तमान सरकार जनता को मछलियां खिला कर और शराब पिला कर तथा कठपुतलियों का नाच-नचाकर प्रदेश की गरीबी, अनुशासनहीनता, भुखमरी, बेकारी, चोरी, डकैती आदि बातों का दमन करके राज्य को विकसित करना चाहती है और अक्रांता कम्युनिस्ट चीन पर विजयी होना चाहती है।

श्रीमन्, मुझे खेद है कि राज्यपाल महोदय ने सोशलिस्ट पार्टी की जो ५ लोक-कल्याण कारी व जन-हितकारी मांगें हैं जैसे--संतुलित दाम बांधने की नीति, खलिहान और बाजार के भाव में एक आना प्रति सेर से अधिक का अन्तर न हो, उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री के लागत खर्च से डेढ़ गुना से अधिक पर जीवनोपयोगी सामग्री की बिक्री न हो, अर्थात् कृषिजन्य पदार्थों तथा मिलों से पैदा होने वाली सामग्री की कीमतों में संतुलन हो, भाषा नीति में अंग्रेजी का प्रयोग सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक अंग में समाप्त किया जाय, जाति नीति--पिछड़े लोगों (हरिजन, शूद्र, मुसलमान, आदिवासी, औरतों) को जीवन के नेतृ स्थानों में कम से कम ६० फीसदी जगह दी जाय, कर नीति--अलाभकर जोत पर से लगान माफ किया जाय, विदेशी नीति--चीनी कम्युनिस्टों के कब्जे से भारत भूमि वापस ली जाय, आदि बातों पर एक शब्द भी नहीं कहा है। इन जनहित कारी मांगों को न मानकर राज्य सरकार ने जो दमन नीति अपनायी है और उसके द्वारा हमारे ६ हजार सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया है, उनमें हजारों औरत मर्द और बच्चों को कड़-कड़ाती धूप में और बरसते पानी में बुरी तरह से लारियों में भर भर कर सैकड़ों मील दूर जंगलों में छोड़ा गया है और बहुत से लोगों पर लम्बा-लम्बा जुर्माना किया गया है।

इस जमाने में जबकि सरकार कहती है कि कृषि की उपज बढ़ायी जाय। कृषकों के बैल नीलाम किये गये हैं। इसी माननीय सदन के सदस्य माननीय जंगबहादुर वर्मा को हथकड़ी लगाकर जेल पहुंचाया गया, समाजवादी दल के नेता माननीय राजनारायणसिंह को विधान सभा आते हुये १०७/१७ में गिरफ्तार किया गया और जब उन्होंने ११७/७ को चुनौती दी हाई कोर्ट में तो उनके ऊपर दूसरी धारायें लगायी गयीं। जौनपुर में जबकि हम आज इस बात पर कि रावण ने सीता को चुराया था उसका पुतला बनाकर जलाते हैं, महिला सत्याग्रहियों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया। उनकी चूड़ियां तोड़ी गयीं, केश पकड़ कर खींचे गये, उनको धक्के दिये गये इससे वह बेपर्दा हो गयीं। फर्रुखाबाद जिला जेल में लाठी चार्ज किया गया। ऐसे ऐसे अत्याचार किये गये और इस बात पर राज्यपाल महोदय ने चर्चा न करके जनता का, प्रजातंत्र का, समाज का और मैं तो यहां तक कहूंगा कि सत्य और न्याय का अपमान किया है और स्वतंत्रता की कमर में कील ठोंक कर उसे पंगु और ढीला किया है।

श्री उपाध्यक्ष--देखिये, राज्यपाल के लिये ये शब्द न कहिये, इनको वापस लीजिये और राज्यपाल की जगह "सरकार" कहिये।

श्री नन्दराम--अच्छा, अगर राज्यपाल नहीं कहा जाता तो मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं और सरकार के लिये मानता हूं।

श्रीमन्, यहां राज्यपाल महोदय ने कुछ अपने भाषण में हड़ताल की भी चर्चा की है। जहां तक हड़ताल के बारे में केन्द्रीय कर्मचारियों की मांगों का सम्बन्ध है, वह न्यायोचित हैं और हर न्यायी आदमी उनका समर्थन करेगा और उनको हड़ताल करने का वैधानिक हक है, लेकिन हड़ताल करने वालों को और उसको सहारा देने वालों को देशद्रोही कहना, मैं समझता हूं, स्वयं एक देशद्रोह है और जो देशद्रोही कहता है वह स्वयं देशद्रोही है चाहे वह भारत का प्रधान मंत्री हो या मुख्य मंत्री हो। हड़ताल के बारे में कुछ भ्रम भी फैलाया जाता है। कहा जाता है कि उसको जनता का सहयोग प्राप्त नहीं था। यह ऐसा ही भ्रम है जैसा कि १९३२ के आन्दोलन के बारे में तत्कालीन वाइसराय को भ्रम था कि मैंने कांग्रेस को दफना दिया है। हो सकता है कि जिन लोगों को यह भ्रम हो वह उनके लिये घातक हो और समाज और राज्य के लिये घातक हो, लेकिन यह मैं अवश्य कहूंगा कि हड़ताल के समय में हड़तालियों के नेताओं ने जो हमेशा सरकार से खिली जुली कुश्ती लड़ते हैं, उन्होंने असामयिक तौर से हड़ताल को वापस लेकर उन हड़तालियों और कर्मचारियों के साथ धोखा विश्वासघात किया।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जाति-पांति और दलबन्दी की तरफ भी कुछ इशारा किया है, लेकिन मुझे दुःख है कि आज जो जाति-पांति तथा भाई-भतीजावाद कांग्रेस शासन में चल रहा है और जो दलबन्दी चल रही है उसको पिछले सत्र में ९८ कांग्रेसी विधायकों ने इसी कांग्रेस शासन के विरुद्ध लिखित अविश्वास प्रस्तुत करके प्रकट किया था, उसका भी

[श्री नन्दराम]

राज्यपाल महोदय ने कोई उल्लेख नहीं किया। अगर कोई दूसरा देश होता तो शासन से इस्तीफा दे देता। मैं जहांतक जानता हूं, शायद चेम्बरलैन प्रधान मंत्री थे इंगलैन्ड के, उनके वक्त में उनके दल के कुछ आदमी उनसे टूट गये थे, उनके खिलाफ हो गये थे, हालांकि उनका उस वक्त भी प्रत्यक्ष बहुमत था, पूरा अच्छा बहुमत था लेकिन तब भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हमारे यहां ऐसा कांड हुआ और ९८ कांग्रेसियों ने लिखित अविश्वास प्रकट किया और विरोधी दलों ने तो किया ही था, फिर भी आज वही शासन बना हुआ है, उसका कोई जिक्र नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हुआ।

श्री नन्दराम--अपने क्षेत्र की दो एक बात और कह दूं ?

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठिये।

*श्री एस० जी० दत्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आखिरश मुझको मौका मिल ही गया। मैं बराबर इस हाउस में सभी सदस्यों के भाषण गवर्नर महोदय के ऐड्रेस पर सुनता रहा, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अफसोस की मालूम होती है और वह यह कि अभी तक मुखालिफान ने अपने उस रवैये को तब्दील नहीं किया है। उनकी एक ही मंजिल और मकसद है कि कांग्रेस सरकार को क्रिटिसाइज करो। सच कहें तो भी क्रिटिसाइज करो और कुछ न हो तो भी क्रिटिसाइज जरूर करो। नारायणदत्त जी बहुत अच्छा बोले, उन्होंने एतराज भी किया और क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन कांस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, लेकिन इस हाउस में बाज सज्जन ऐसे हैं जिनकी पता नहीं आंखें कहां हैं, खयालात कहां हैं। उनके सामने और कोई नजरिया है ही नहीं सिवाय इसके कि कांग्रेस को बदनाम करो और उसकी जड़ें उखेड़ें तो हम सिंहासन पर बैठें, उनकी सिर्फ यही मंशा है। जहां सरकार ने नहरें बनाई हैं वह कहते हैं कि वहां नहरें नहीं बनीं, जहां ट्यूबवेल लगाये वहां वह कहते हैं कि हैं ही नहीं। सरकार ने तालीम के मुहकमे में, हेल्थ के मुहकमे में और दूसरे शोबों में जो काम किये हैं उनकी नजर वहां नहीं पहुंचती, मालूम होता है उनको ऐनक लगाने की जरूरत है। वह कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, स्लीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं आजतक कुछ हुआ ही नहीं।

एक जनसंघी सदस्य के ऊपर मुझे अफसोस होता है, वह कहते हैं सरकार ने कुछ किया ही नहीं। चीन ने हमला किया लेकिन सरकार ने कोई बन्दोबस्त नहीं किया। आग लगी हुई है, लेकिन सरकार ने उसको बुझाने के लिये कोई बन्दोबस्त ही नहीं किया। इसी तरह से और सदस्यों ने भी कहा। मैं आपको बताऊँ कि हमारा और आपका नजरिया एक है और वह यह है कि मुल्क की तरक्की करो। मुल्क में हर मामलात में हमें और आपको समझौते से चलना चाहिये। अगर कोई कमजोरी हो तो आप बताइये लेकिन बाहर जाकर आप यह कहते हैं कि कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती, उसने जनता और मुल्क को डुबो दिया है, यह बात कहां तक वाजिब है। क्या आप इस तरह से इस मुल्क को ताकतवर बना रहे हैं या कमजोर बना रहे हैं मैं जानता हूं कि यहां पर ऐसे लोग हैं जिनकी मुझसे कुरबानियां ज्यादा हैं और वह कन्ट्री के ज्यादा लवायल हैं और ज्यादा जोश रखते हैं लेकिन यह नहीं सोचना चाहिये कि कांग्रेसी सदस्यों में वह जोश नहीं है, वह चीजें नहीं है। मान लिया आप बड़े जोशीले हैं, बड़े वफादार हैं, अगर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो आप भी भूखे हैं, लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा तो आप भी नंगे हैं, जितनी पैदावार है वह आपके पेट में नहीं गई, आप कहते हैं कि सारी पैदावार कांग्रेस खा गई। आप यह भी तो देखें कि अगर कभी बारिश नहीं हुई तो पैदावार भी नहीं हुई, अगर मौके पर बारिश हो गई तो फ्लड आ गया और सारी फसल नष्ट हो गई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है । लेकिन दुनियां के लोग तो हमारी प्लानिंग को मानते हैं लेकिन यह कहते हैं कि सोशलिष्ट स्टेट ही नहीं है। दुनिया के देश तो हमारी नकल कर रहे हैं, हमारी फारेन पालिसी की नकल कर रहे हैं, सीलोन, बर्मा, अरब स्टेट्स, मिश्र और मैं किस-किस कन्ट्री का नाम लूं, लेकिन इन लोगों को कुछ पता ही नहीं । सिर्फ एक मकसद आपका है और वह यह कि कांग्रेस सरकार को क्रिटिसाइज करना । अगर गाड़ी में किसी को छींक आ जाय तो आप कहेंगे कि यह कांग्रेस सरकार का कसूर है । पेट में अगर दर्द हो जाय तो कहेंगे कि यह कांग्रेस सरकार की वजह से पेट में दर्द हो गया । इससे कंट्री की तरक्की होने की नहीं है। आप जिस जिम्मेदारी को लेकर यहां आये हैं, उसको आपको निबाहना चाहिये । पी० एस० पी० से मेरा ज्यादा संबंध था और मुझे उसके बड़े-बड़े लीडरों पर बड़ा विश्वास था, लेकिन जब हड़ताल हुई। वह हड़ताल जो दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी और जब कि दुश्मन हमारी सरहद पर खड़ा है, ऐसे वक्त पर उसने यह नहीं सोचा कि इससे मुल्क दरहम बरहम हो जायगा। कम्युनिस्टों से आपने उसमें दोस्ती की, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि अगर यह हड़ताल कामयाब हो जाती है तो उसकी बागडोर किसके हाथ में जाती। वह कम्युनिस्टों के हाथ में चली जाती और देश दरहम बरहम हो जाता । पी० एस० पी० वालों ने यह नहीं सोचा । अगर आप इस तरह की बात न सोच सके तो आपको राजनीति से अलहदा हो जाना चाहिये । इसलिये हमारी तो आपसे यही प्रार्थना है कि जिस जिम्मेदारी से लोगों ने हमें और आपको भेजा है उसको हमें सच्चाई से निबाहना चाहिये ।

हर एक आदमी में खामियां हैं और हुकूमत में भी हो सकती है, हुकूमत ने इसको माना भी है । हुकूमत ने आपसे कोआपरेट करने की इस्तदुआ भी की लेकिन आपने कोआपरेट भी नहीं करना चाहा और फिर आप इस तरह का प्रोपेगंडा करते हैं । इस तरह से देश की तरक्की नहीं हो सकती ।

हड़ताल खत्म हुई और अब हमारी पी० एस० पी० को बड़ी परेशानी हो रही है। जो उनके हाथ में जनता की बागडोर थी, वह हाथ से छूट गयी क्योंकि उन्होंने देखा कि इस हड़ताल में जनता ने गवर्नमेंट का साथ दिया और जनता ने काम करने के लिये अपने आपको आफर किया । मैं यह पूछता हूं कि इसके पीछे आपका मोटिव क्या था ? क्या सेंटर एम्पलाइज को मदद करना था या चीन की बेहतरी के लिये आपका यह कदम था ।

कल एक जमींदार साहब कह रहे थे । आपने पशु-पालन नहीं किया । मैं जमींदार महोदय से पूछता हूं कि उनसे बुलबुल तो पाली नहीं गयी और पशु-पालन की बात कहते हैं । सरकार की तो बहुत सी पशुपालन की स्कीम्स हैं भी । ऐसी बातें उन लोगों की तरफ से कही जाती हैं और कोई कान्स्ट्रक्टिव बात नहीं कही जाती । हड़ताल की तो एक ऐसी चीज हो गयी जो बकौल शायर के उनके लिये बला बन गयी—

"ए आरजू कि तू बरमन बला शुदी।"

अब आप अपने-अपने दामन में मुंह डाल कर यह दे ें कि क्या मुल्क के साथ गद्दारी की थी या यह काम मुल्क की बेहतरी के लिये किया था, लेकिन नादान दोस्त जो होता है वह दाना दुश्मन से बेहतर नहीं होता है । कम्युनिस्टों को तो मैं ऐसा जरूर मान सकता हूं कि वे इस तरह की हरकत कर सकते हैं जिनका चीन के साथ गठबन्धन है, लेकिन पी० एस० पी० वाले ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उनसे जाती तौर पर सम्बन्ध रहा है और मैं उनके बड़े-बड़े लीडरान से वाकिफ हूं । इसलिये मैं इस्तदुआ करता हूं कि हम सब मिलजुल कर काम करें ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर जो आज चार दिन से चर्चा चल रही है, उसके बारे में हमें भी कुछ कहना है । हम देखते हैं कि राज्यपाल महोदय ने जो सम्बोधन इस विधान मंडल को दिया है और उसमें जो सरकारी नीतियों का जिक्र किया है वह पर्याप्त नहीं है । हम यह भी देखते हैं कि उन्होंने यह कहा है कि हम कृषि उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं और हमारी सरकार इस काम के कारण साल व साल तरक्की करती जा रही है और भविष्य में और तरक्की कर लेगी । लेकिन जब हम

[श्री अमरनाथ]

उधर देखते हैं और इन बातों की ठीक से छानबीन करते हैं तो हमें खास तौर से कोई तरक्की नजर नहीं आती । यदि कृषि उत्पादन को ही ले लिया जाय, अभी तक हर क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है । जहां थोड़ी बहुत व्यवस्था भी है वहां यह देखने को मिलता है कि उसका किस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है, वहां किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है ।

हमारे जिले गोरखपुर की बात है, हमारी तहसील में एक नहर बनी है, नारायणी कैनाल । हाल में जून के महीने में हमने देखा कि किस तरह से इंजीनियरों ने लापरवाही की कि इतना पानी छोड़ दिया कि नहर ऊपर बह चली जिससे छातीराम के पास पानी के वेग के कारण एक पुलिया टूट गयी जिसकी वजह से काफी क्षति हुई, पास के गांव छातीराम, बंसधर कोटवा, जछपिपरा आदि की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गयी और इंजीनियर साहब को तुरन्त खबर दी गई मगर इंजीनियर साहब ने तत्काल उसे बनवाने की कोशिश नहीं की । दिन भर नहर बहती रही, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गयी और वहां से ३७ मील पर गोरखपुर में इंजीनियर साहब थे लेकिन वे पुलिया के निर्माण के लिये वहां से नहीं आ सके । जहां इस तरह की लापरवाही हो कि हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाय वहां हम क्या उम्मीद करें कि हमारा खाद्य उत्पादन बढ़ सकेगा । दूसरी तरफ खाद्योत्पादन के लिये जो खाद का वितरण किया जाता है वह भी ठीक से नहीं किया जाता जिससे किसान ठीक समय से खेत की ताकत को बढ़ा सकें । इतना ही नहीं अच्छी खाद की व्यवस्था नहीं हो पाती न कम रेट पर ही दी जाती की किसान अधिक से अधिक खाद खेत में डाल सके ।

यही नहीं, अभी जो हमारी तरफ बीज बांटा गया, हमने देखा कि उसमें से बहुत से बीज नहीं जमे जिससे पैदावार नहीं हुई लेकिन आज किसानों से उसकी वसूली हो रही है और उनसे काफी कीमत ली जा रही है । यही नहीं, डंडे मार-मार कर वसूली की जा रही है, लोगों को मुर्गे बना-बना कर वसूली की जा रही है और जो नहीं देता उसकी सम्पत्ति कुर्क कर ली जा रही है मैं कैसे समझूं की सरकार की नीति पैदावार बढ़ाने की है ? तो मेरी राय में यह नीति कृषि उत्पादन की नहीं है ।

दूसरी तरफ जब हम आते हैं और सरकार की नीति यह देखते हैं कि यह पुलिस जो जनता की रक्षा के लिये बनी है, चोरी, डकैती और कत्ल से बचाने के लिये बनी है उसका इस्तेमाल आज राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को शिकस्त करने के लिए किया जा रहा है । आज के पुलिस अधिकारी यह देखते हैं कि कौन सा राजनीतिक कार्यकर्त्ता ऐसा है जो पुलिस की सबसे अधिक मुखालिफत करता है, कौन ऐसा राजनीतिक कार्यकर्त्ता है जो पुलिस की रिश्वत के खिलाफ कार्यवाही करवाता है । उसके खिलाफ झूठे-झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं, तरह-तरह की साजिशें होती हैं । यहीं तक नहीं, अभी हाल ही की बात है, हमारे यहां एक कत्ल हुआ है । सन् ५८ की बात है कि कुछ व्यक्तियों ने मेरे एक कार्यकर्त्ता को कत्ल करने की साजिश की, उस कार्यकर्त्ता के ऊपर रात में हमला किया गया लेकिन संयोगवश वह बच गया । उसने पुलिस को लिख कर दिया कि कुछ लोगों की साजिश मुझे कत्ल करने की है, लेकिन उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं की । मैंने खुद एस० पी० को लिख कर दिया लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । नतीजा यह हुआ कि इसी जून के महीने में फिर एक दिन उस कार्यकर्त्ता के कत्ल करने की कोशिश की गयी

(इस समय ३ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

उस कार्यकर्त्ता के कत्ल की कोशिश में यह हुआ कि वह एक दिन पहले इत्तफाक से दूसरी जगह गया हुआ था, उसका भाई उसकी जगह सोया हुआ था, उसका कत्ल हो गया । लेकिन पुलिस ने उस कत्ल को छिपाने की कोशिश की पर किसी तरह मुकदमा कायम हुआ, लेकिन पूरे मुलजिमों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई ।

दूसरी बात मुझे और भी कहनी है जो कर्महा की बात है। वहां के भूतपूर्व जमींदारों ने मेरे एक कार्यकर्त्ता का जो उनके अन्यायों की हमेशा से मुखालफत करता आ रहा है, एक दिन बुरी तरह पीटा और उसके दरवाजे पर जाकर उसका नांद उखड़वा दिया और उसके घर को लुटवा लिया जिसकी थाने में रिपोर्ट स्थानीय एम० एल० ए०, श्री दुर्योधन जी, ने दर्ज कराई, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाद में जब पुनः दरख्वास्त दी गई तो उसकी एस० पी० ने इन्कवायरी कराई परन्तु कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। इसी प्रकार के तमाम केसेज हैं, अनेकों चोरियां और डकैतियां हो रही हैं, एक एक रात में ६-६ चोरियां हुई और ऐसी जगह पर कि जो हेडक्वार्टर है, तहसील थाना जहां सब कुछ है वहां का यह हाल है। वहां पर हर प्रकार के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। गोरखपुर शहर में ही एक मैजिस्ट्रेट साहब के यहां चोरी हुई या नहीं? मैजिस्ट्रेट साहब और पुलिस की साजिश से कुछ व्यक्तियों को मारा पीटा भी गया और उनकी खानसामा की पतोहू को तो इतना मारा गया कि उसकी पतोहू मर गई लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमें खेद है कि जिस तरह की पुलिस की धांधली आज फैली है उसके सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा।

आज बड़ा ढोल पीटा जाता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल को पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से खत्म किया। हड़ताल गलत थी या सही इस विषय में मैं कुछ न कहूँगा लेकिन यह मैं जरूर कहूँगा कि इस हड़ताल के सिलसिले में पुलिस ने खूब मनमानी की और जिन्होंने हड़ताल नहीं की, जो अपने घरों में मौजूद थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ कि गोरखपुर में करीब २०० आदमी घरों में से गिरफ्तार किये गये, उनको पीटा गया, इस तरह के कामों से पुलिस को बढ़ावा मिला है, हड़ताल करने वालों या न करने वालों को दबाने के अलावा इससे राजनैतिक पार्टियों को दबाने के लिये भी बढ़ावा दिया गया है। अगर इस तरह का व्यवहार राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ किया जायगा तो उसके परिणाम प्रजातंत्र के लिये अच्छे न होंगे। आज अधिकारी समझते हैं कि हमारा राज्य है, कोई प्रजातंत्र नहीं है, वह समझते हैं कि मुख्य मंत्री क्या करेंगे, उनका काम तो केवल आदेश देना है हम जिसको चाहें पालन करेंगे, एग्जिक्यूट करने वाले तो हम हैं। आज नतीजा यह है कि अधिकारियों के दिमाग आसमान पर हैं। दूसरे दलों के लोगों को क्रश करने के लिये कहा जाता है, बहुत से मंत्रिगण ऐसे हैं जो पार्टियों के शिकस्त करने के लिए ऐसी बात करते हैं और अधिकारियों को चढ़ाते हैं कि दूसरे दलों को क्रश करें। ऐसा नहीं होना चाहिये। ठीक है आज पावर कांग्रेस दल के हाथ में है, कल किसी दूसरे दल के हाथ में आ सकता है, अगर ऐसी ही दूसरी पार्टियां भी पावर में आकर करती रहीं तो प्रजातंत्र कायम नहीं रह सकता। इस तरह से जनता का कल्याण नहीं हो सकता।

इसी तरह से लेबर की बात है। आज मिल मालिक लेबर के साथ क्या व्यवहार करते हैं? मैं अपने जिले की बात बताऊँ कि गोरखपुर में एक घुघली फैक्टरी है वहां पर कई मजदूर मशीन से गिर कर मर गये लेकिन उसके लिये मिल मालिकों ने बीमारी का बहाना बना दिया ताकि उसके वारिसों को मुआवजा न देना पड़े। पुलिस से साजिश करके लिखा दी गई रिपोर्ट कि यह लोग बीमार थे। एक और लेबर इसी तरह मरा, उसको भी लिखा दिया गया कि वह भी टी० बी० से मरा है। उसके वारिसों से कह दिया गया कि मुआवजे का सवाल नहीं है। इसके अलावा अन्य मिलों ने २ आना मन गन्ने के दाम अधिक दिये लेकिन घुघुली मिल ने कोई पैसा नहीं बढ़ाया। सरकार की तरफ से भी कोई प्रयत्न इस बात का नहीं हुआ कि जब दूसरे मिलों ने दाम अधिक दिये हैं तो घुघुली मिल भी दे और किसानों को उचित दाम मिलें।

इसी के साथ-साथ मुझे एक और बात कहना है कि कानपुर में हलीम मुस्लिम कालेज में गबन हुआ, एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत हुई लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जब कि उसका प्रूफ भी दिया गया, मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई आखिर क्या कारण है? और आज भी वह व्यक्ति मजे से चैन की बंशी बजा रहा है। उसी कालेज की बात नहीं,

[श्री अमरनाथ]

कोआपरेटिव सोसायटी, गोरखपुर में गबन हुआ । उन व्यक्तियों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, हिरासत में नहीं लिया गया । इन प्रकार के गबनों को रोकने के लिये सरकार हमेशा उदासीन दिखाई देती है ।

हम विकास योजनाओं पर तमाम रुपया खर्च करते चले जा रहे हैं । चाहे ६०० करोड़ खर्च कर दें या कितना ही खर्च दें लेकिन वह रुपया जनता के बीच में नहीं खर्च हो पा रहा है, अधिक धन इंजीनियरों और बहुत से अन्य लोगों के पाकिटों में जा रहा है, धन का दुरुपयोग हो रहा है । तो यह कहा जाय कि तरक्की हो गई, हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं । हो सकता है कि उस रुपये से चन्द सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की तरक्की हुई हो ।

गन्ना विभाग की हालत क्या है ? ठीक से पड़ताल नहीं होती, पुर्जियों की सप्लाई ठीक से नहीं होती । जो रुपया दे देते हैं उनको पुर्जियां दी जाती है । गरीब किसानों का गन्ना लास्ट में गिरता है, बड़े लोगों का पहले गिरता है । सिसवा फैक्टरी आदि ऐसी फैक्टरी हैं जिन्हें बहुत बड़ा जोन दिया गया है । समय से गन्ना नहीं पेर पाते हैं । किसानों का गन्ना बेकार जाता है । फरेंदा का जोन इतना बड़ा है कि दो फैक्टरी हों तब जाकर गन्ने की पेराई ठीक से हो । तो मैं चाहुंगा कि इन फैक्टरियों के जोन को कम किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस ४ दिन के बाद-विवाद के आरम्भ के समय की याद दिलाना चाहता हूं । सवाल यह उठा था कि माननीय त्रिलोकी-सिंह जी को, विरोधी दल के माननीय नेता को, बोलने के लिये कितना समय दिया जाय । उनका स्वयं शुरू से यह खयाल था, और यह अनुचित बात नहीं थी, कि उनको ४५ मिनट या उससे भी कुछ अधिक समय यदि मिल सके तो वह अच्छी तरह अपनी बातों का प्रतिपादन कर सकेंगे । मैंने भी निवेदन किया था कि उनके लिये साधारण प्रतिबन्ध लागू न किये जांय । लेकिन उन्होंने स्वयं अपने ऊपर यह नियंत्रण किया कि मैं आधे घंटे बोलूंगा । उस वक्त मुझको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जबकि सभी लोग इस बात को चाहते थे कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी को अधिक समय दिया जाय तो आखिर खुद उन्होंने अपने लिये केवल आधा घंटा ही क्यों पसन्द किया । लेकिन उनके भाषण को सुनने के बाद इसका रहस्य समझ में आया । मेरा ऐसा खयाल है कि उनका उस दिन का भाषण न तो विरोधी दलके नेता और न खास तौर से माननीय त्रिलोकी-सिंह जी के अनुरूप था । कोई भी बहुत सी त्रुटियों, बहुत सी कमियों की एक लम्बी सूची, पेश कर सकता है, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति से तो हम गम्भीर रचनात्मक आलोचना की आशा करते हैं । लेकिन उसके लिये कुछ अध्ययन करने की जरूरत होती है, और मालूम ऐसा होता है कि वह किन्हीं दूसरे कामों मे इतने व्यस्त थे कि उनको इसके लिये फुरसत नहीं मिली । आधे घंटे को पूरा करना मुश्किल हो गया ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मैंने ३७ मिनट लिये ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह भी बड़ी मुश्किल से कि कहीं ३० मिनट ही न रह जायं । कुछ बातें उनको कहनी पड़ीं जो अप्रासंगिक है । कुछ बातें जो प्रासंगिक थीं उन पर जिस गंभीरता के साथ उनको सोचना चाहिये था या उनकी चर्चा करनी चाहिये थी, वह न कर सके । अप्रासं-गिक बातों की एक मिसाल दूं । आर्म्स ऐक्ट का बड़ा चर्चा हुआ । आर्म्स ऐक्ट प्रदेश में, देश में न रहे इसके संबध में दो रायें नहीं हैं, सभी लोग चाहते हैं कि यह न रहे । यह भी मैं मानता हूं कि आर्म्स ऐक्ट अगर उठ जायगा तो देश में खून खराबा हो जायगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है । साथ ही उन्होंने जितना इसको महत्व दिया, यह कहां तक उचित था, मैं नहीं समझ पाया । जिस समय अंग्रेज यहां आये, देश के किसी कोने में आर्म्स ऐक्ट नहीं था फिर भी अंग्रेजों का राज्य हो गया । फ्रांस, बेलजियम, डेनमार्क, आस्ट्रिया में कहीं भी आर्म्स ऐक्ट नहीं था, जर्मनी में नहीं था फिर भी उन पर दूसरे देशों का कब्जा हो गया और हमारे यहां आर्म्स ऐक्ट था फिर

भी हम स्वाधीन हो गये। स्वाधीनता की लड़ाई के जमाने में मैंने नहीं देखा कि कभी माननीय त्रिलोकीसिंह जी कमर में तलवार बांध कर या कंधे पर बंदूक लेकर निकले हों। परन्तु देश आज स्वाधीन है। मैं फिर कहता हूं कि आर्म्स ऐक्ट अच्छी चीज हो या बुरी हो, उसका संबंध केन्द्रीय सरकार से है और केन्द्र की पार्लियामेंट में पी० एस० पी० के दिग्गज नेता हैं, जब चाहें उठवा दें, हमको बड़ी खुशी होगी। यहां उसकी चर्चा करना सिर्फ यही दिखाता है कि उनको ३७ मिनट पूरे करने थे।

दूसरी तरफ उन्होंने कठपुतलियों का जिक्र किया, और लोगों ने भी किया। उन्होंने कहीं सुन रखा था, देख रखा था, कि सूचना विभाग की तरफ से कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता है। इस सिलसिले में उन्होंने लिल्ली घोड़ी का जिक्र किया। वह लखनऊ की तहजीब में पले हैं। लखनऊ की बटेरबाजी, चंडूखाने, लिल्ली घोड़ी मशहूर है। मुमकिन है कि आजकल उनको उन शौकों को पूरा करने का मौका न मिलता होगा, इन चीजों की हसरत भरी याद उन्हें आती होगी, इसीलिये उन्होंने लिल्ली घोड़ी का जिक्र किया। आज कठपुतली हंसी मजाक की चीज नहीं है। आज दुनिया के बहुत बड़े देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और खास तौर से वहां-जहां प्लानिंग का काम हो रहा है। वहां समझा जाता है कि इसके माध्यम से लोगों में अधिक अच्छा और प्रभावकारी प्रचार होता है। रूस से यहां कठपुतली की पार्टी आयी थी, उन्होंने हमारे यहां के टेक्नीक को भी देखा तथा हमारे यहां के लोगों ने उनकी टेक्नीक को देखा, और वह लोग मास्को से आये जहां लोग कबूतर नहीं उड़ाते बल्कि स्पेस में राकेट उड़ाया करते हैं। मुझे खुशी होती अगर त्रिलोकीसिंह जी की यह शिकायत होती कि यह सरकार इतनी निकम्मी है कि प्रचार का इतना अच्छा और पुराना साधन होते हुए उसका फायदा नहीं उठा सकी। अगर सरकार १, २ टीम के बजाय १०, २० टीम कठपुतलियों की बना देती तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर वह अपनी स्पीच को ध्यान से पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि वह कोई सोबर स्पीच नहीं थी।

मैं इंडिविजुअल शिकायतों का कहां तक जिक्र करूं, चाहे वह जिले की हों या तहसील की हों, क्योंकि उसके लिये समय ज्यादा चाहिये और उतना समय है नहीं। बहुत सी शिकायतें ऐसी होती हैं कि शिकायत करने वाले बगैर सोचे समझे, फैक्टस को जाने बगैर, किसी भी बात की चर्चा कर देते हैं। एक मिसाल देता हूं। माननीय भगवतीसिंह विशारद गंभीर आदमी हैं। उन्होंने जिक्र किया कि अभी नैनीताल में जो तृदलीय सम्मेलन वेज बोर्ड के सिलसिले में हुआ था उसमें जो फैसले हुए, उनकी अवहेलना मिल मालिक लोग कर रहे हैं। यह खबर उनको कहां से मिली, मैं नहीं जानता। उसके संबंध में जो सरकार का फैसला हुआ उसको निकले मुश्किल से अभी ७, ८ दिन ही हुए हैं। इन ७, ८ दिनों के भीतर मिल मालिकों ने इन आर्डर्स की कोई अवहेलना की इसकी शिकायत न मजदूरों ने की है, न मजदूर संगठनों ने की है। कानपुर में तीन-तीन मजदूर संगठन है उनमें से कोई न कोई मजदूर संगठन इसकी शिकायत करता। लेकिन केवल उन्हीं को ऐसी शिकायत है तो मैं उसका क्या जवाब दूं?

दो तीन बड़े महत्व के सवाल है, उनकी चर्चा करना जरूरी है। यहां पर तृतीय पंचवर्षीय योजना का जिक्र हुआ और वह होना चाहिये था। अफसोस के साथ में कहता हूं कि जितना उस पर ध्यान देना चाहियेथा उतना ध्यान नहीं दिया गया। खैर इस सदन के सामने पंचवर्षीय योजना का सवाल फिर आयेगा और मैं आशा करता हूं कि उस वक्त गंभीरता के साथ उस पर विचार किया जायगा और सलाह दी जायगी।

अभी थोड़े दिन हुए यहां एम० पीज० की मीटिंग हुई और उनके सामने मैंने जो दो तीन बातें रखीं उनका जिक्र हुआ वह भी मुनासिब बात थी। उस संबंध में गेंदासिंह जी को, शंका हुई कि मुझ में और राज्यपाल महोदय में घोर मतभेद है, क्योंकि राज्यपाल ने मेरी स्पीच का कोई जिक्र नहीं किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है और जैसी आशा आज माननीय नारायणदत्त जी ने प्रकट की थी कि वे केरल से आये हैं, उनके आने का अच्छा प्रभाव होगा तो प्रभाव अच्छा ही होगा और कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

माननीय नारायणदत्त जी को शंका नहीं होगी। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में कई प्रकार की आंकड़े सुनने में आते हैं जैसे ९०० करोड़, साढ़े ७ सौ करोड़ और ६०० करोड़, इसके क्या मतलब हुए? क्या राज्य के प्लान बदलते रहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा जैसा जिक्र आ चुका है, हमने प्लान बनाने के लिये प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर से विद्वान इंडस्ट्रियलिस्टस तथा एक्सपर्ट्स बुलाये कि कितने का प्लान होना चाहिये। हमारी पेइंग कपेसिटी कितनी हो सकती है इसको ध्यान में रखते हुए करीब ९०० करोड़ का प्लान बनाया और अगर इतना हो जाय तो हम यह तो नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश की सारी दरिद्रता दूर हो जायगी, लेकिन इतने से उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर जरूर ले चल सकते हैं। लेकिन अन्य प्रदेशों में तथा देश में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश के क्या रिसोर्सेज होंगे इन सब बातों को सोच कर अपनी तरफ से घटा कर हमने साढ़े ७०० करोड़ कर दिये हैं और यहां तक हमारा काम चल सकता है। मगर एक और आशंका बनी हुई है कि शायद इतना भी न मिल सके तो फिर क्या मिलेगा? प्लानिंग कमीशन से अगले महीने बात चीत होने वाली है तब हम कुछ कह सकेंगे कि क्या मिलेगा। फिर जैसा कि मैंने पार्लियामेंट के मेम्बर्स के सामने रखा था, पहले दोनों प्लान्स को हम देखते हैं तो दोनों प्लान्स को मिलाकर हमको ४०० करोड़ से कुछ अधिक मिला था और उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसको देखते हुए हमको मिलना चाहिये था ६०० करोड़ से ज्यादा। यानी आबादी के हिसाब से पहले दोनों प्लान्स में जितना हमको मिलना चाहिये था उसके मुकाबले में हमको करीब २०० करोड़ से कम मिला। अब हमारा कहना यह है कि मोटे तौर से आबादी से अच्छी कोई कसौटी नहीं हो सकती। हम मान सकते हैं कि कोई प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ हो जैसे आसाम उसके लिये आबादी की बात नहीं रखी जा सकती। उसकी आवश्यकतायें ज्यादा हों और आबादी कम हो सकती है। सरहद के ऊपर मणिपुर तथा त्रिपुरा के लिये आबादी की बात नहीं कह सकते। राजस्थान की बात हम समझ सकते हैं कि विभिन्न राज्यों को मिलाकर बनाया गया है। उसको आबादी से अधिक दिया जा सकता है लेकिन मोटे तौर से ऐसा हम समझते हैं कि आबादी से अच्छी कोई दूसरी कसौटी हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश की आबादी सारे देश की आबादी का १/६ हिस्सा है। जो प्लान बनाया गया है उसमें पबलिक सेक्टर के लिये सारे देश भर के लिये ३,६०० करोड़ रुपये रख दिये हैं और उसका छठां हिस्सा आबादी के हिसाब से ६०० करोड़ होता है। इस तरह से ९०० करोड़ का हमारा प्लान है। किसी तरह से साढ़े ७०० करोड़ में उसे लाया जा सकता है। लेकिन आबादी के लिहाज से ६०० करोड़ होता है। यदि उससे भी कम दिया गया तो हमारा काम बिलकुल नहीं चलेगा। इसलिये ये तीन प्रकार की फीगर्स सुनने में आती हैं।

एक जिक्र इस बात का आया कि मैंने उनके सामने रखा था कि उत्तर प्रदेश की आमदनी घट रही है, पर हेड प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी नहीं। हम चाहते तो उसे छिपा सकते थे, लेकिन ऐसे गंभीर सवाल पर जिसका ताल्लुक करोड़ों आदमियों के सुख दुख से है, उसका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं होता, हर आदमी को गंभीरता से बिचार करना चाहिये और मुझे संतोष है कि एम० पीज० की मीटिंग में जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी तथा जनसंघ के लोग थे सभी ने इस प्रश्न पर गंभीरता से बिचार किया, किसी ने सुपरफिशियल तरीके से नहीं सोचा। अफसोस यह है कि जो चर्चा यहां हुई वह वैसी गंभीर नहीं थी जैसी की होनी चाहिये थी। एक मित्र ने कहा कि आप १० वर्ष तक प्लानिंग करते रहे और आमदनी घट गयी, इसके यह मानी हुए कि रुपया बेकार खर्च किया और प्लानिंग फेल हो गयी। यह तो गवर्नमेन्ट की इनएफिशियेंसी है। तो यह सब बड़ी सुपरफिशियल बातें हैं। माना हमारे काम में इनएफिशियेंसी हो, माना रुपया हमने फूंका हो, जितनी इनएफिशियेंसी है उसको चार गुनी इनएफिशियेंसी हो और इसका चार गुना रुपया हमने फूंका हो तो भी जो आमदनी में फर्क हुआ है उसका जवाब नहीं हो सकता और उसका इससे करीब-करीब कोई संबंध नहीं है। हमारे सामने एक पहेली है, एक विशस सर्किल है। उस पहेली और विशस सर्किल पर सोचना होगा, उसे तोड़ना होगा। कोई रोग हो तो उसे पूरे तौर से पहचानना होगा। उसके किसी पहलू को दबा दिया जाय तो रोग का निदान नहीं हो सकता।

यह नहीं कह सकते कि देहात के रहने वालों की हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो भी आदमी आखें खोल कर देखेगा वह समझेगा कि देहात के रहने वाले लोगों की हालत में परिवर्तन हुआ है। अनाज की कीमतें बढ़ी हैं वह पहले से अच्छा खाता है, पहले से अच्छा कपड़ा पहनता है, ज्यादा पहनता है। उत्तर प्रदेश में जो मिलें है उनको खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता के लिये कपड़ा बनाने का काम सौंपा गया था, कोर्स और मीडियम कपड़ा वे बनाती थीं परन्तु आज बाजार में कोर्स, मोटे कपड़े की खपत नहीं है और वे स्पिनिंग मिल्स जो मोटा सत बनाती थीं आज उनका काम बन्द है। देहात में मोटे सूत का कपड़ा न पहन कर बारीक सूत का कपड़ा पहना जाता है। आप देखें कि पहले के मुकाबले में पक्के मकान कितने बने हैं। जिसकी बनाने की हैसियत होती है वह पक्का बनाने की कोशिश करता है। इस प्रत्यक्ष सत्य से आंख बन्द नहीं की जा सकती। एक तरफ यह बात है और दूसरी तरफ आमदनी कम होती है। यह एक अजीब पहेली है। एक पैराडाक्स मालूम होता है। इसमें गंभीरता से जो एकनामिक्स के नियम हैं उनके जरिये से भीतर घुसना चाहिये। एक बात और है, रुपया जब लगाया जायगा तब आमदनी बढ़ती है और किसी की आमदनी बढ़ती है तभी वह रुपया इनवेस्ट कर सकता है तो यह अजीब विशस सर्किल है और कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार इस सर्किल को तोड़ना होगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश का मसला इन सतही बातों के कह देने से कि आपने रुपया वेस्ट कर दिया, आपकी इनएफिशेन्सी है, आपने दस वर्ष कुछ नहीं किया, हल होने वाला नहीं है। यहां पर बैठ कर हम एक दूसरे को जबाब चाहे जो कुछ देवें, लेकिन यह एक गंभीर मसला है, इसको सोचने की बात है। जिस विशस सर्किल का मैंने जिक्र किया यह सवाल हमारे यहां ही नहीं है। हर अन्डर डेवलप्ड कंट्री में ऐसा ही होता है जरुर हमारे यहां आमदनी में कमी आयी है लेकिन होता यह है कि अन्डर डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों की जब आमदनी बढ़ती है तो वे प्लानिंग पर रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कल तक जो आदमी भूखा रहा हो, नंगा रहा हो, कीचड़ में जो आदमी रहता रहा हो अगर उसके पास चार पैसे आते हैं तो वह स्माल सेविंग्स में या बैंक में नहीं जमा करता कि उसे रुपये का सूद मिले और देश को फायदा हो, बल्कि जो भी चार पैसे उसके पास आते हैं उन्हें वह खाने में, कपड़े में और रहने के मकान में लगा देता है। जिन नेसेसिटीज आफ लाइफ से वह वंचित रहा है उनमें लगा देता है और इसलिये पैसा होते हुए भी इन्वेस्टमेन्ट नहीं होता। और इन्वेस्टमेन्ट नहीं होता तो आमदनी नहीं बढ़ती। शारीरिक बातों में तरक्की दिखायी पड़ती है लेकिन जिसको आमदनी कहते है वह नहीं बढ़ती। इसीलिये एम० पी० ज० के सामने मैंने यह बात रखी थी और उसको उन्होंने स्वीकार भी किया था कि अन्डर डेवलप्ड कंट्रीज में एक बार पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेन्ट को काफी रुपया खर्च करना पड़ेगा ताकि लोगों की जेब में इतना पैसा जाय कि अपनी मामूली नेसेसिटीज को पूरा करने में जितना खर्च करते हैं उससे कुछ अधिक मिले। तभी वे आमदनी बढ़ाने वाले कामों में अपने पैसे को लगायेंगे। अन्डर डेवलप्ड कंट्रीज में इस विशस सर्किल को तोड़ने का यही एक मात्र उपाय है। हमें जो आज इतने रुपये की जरुरत है वह इसीलिये है कि हमारे सामने यह विशस सर्किल आ गया है। जब एक बार लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं तो उनकी आमदनी बढ़ती है। फिर इस किस्म की ऊपरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन शुरू में इस विशस सर्किल को तोड़ने का कोई और तरीका नहीं है।

जैसा कि मैं कह रहा था, मुझको थोड़ा अफसोस जरूर हुआ कि यह एक गंभीर प्रश्न था। कुछ मित्रों ने इसका जिक्र भी किया, लेकिन किसी ने इसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की और केवल कुछ सुपरफीशल बातें ही कहीं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस बात पर गौर करें कि हम इसमें क्या करें किस तरीके पर करें।

इसी संबंध में मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं जिसका माननीय नारायणदत्त जी ने जिक्र किया। रिसोर्सेज के संबंध में उनका ऐसा खयाल था कि हमको रिसोर्सेज पर गौर करने के लिये किसी किस्म की एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिये। मैं उनसे पूछता हूं कि हम कमेटी नियुक्त करके क्या करेंगे। कमेटी हमको क्या बतलायेगी। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जहां तक बात है, उनके रिसोर्सेज़ अथाह उनके साधन अनन्त है। शायद उनको खुद नहीं

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मालूम होगा कि कितने साधन उनके पास हैं । तो उनके यहां ऐसी कमेटी नियुक्त करने की शायद कोई आवश्यकता हो सकती है लेकिन प्रदेश के पास क्या है, कौन से हमारे रिसोर्सेज हैं ? कांस्टीट्यूशन पढ़ कर देखिये । एक बड़ा भारी रिसोर्स हमारा लैन्ड रेवेन्यू है, लेकिन जब हमने जमींदारी एबालिश की तो खुद अपने ऊपर बन्धन लगाये कि इतने दिन तक हम कोई इन्क्रीज उसमें नहीं करेंगे । बाकी, उसको छोड़ दिया जाय तो हमारे पास है क्या ? कोई कमेटी मुकर्रर करके क्या करेंगे क्योंकि हमारे साधन बहुत सीमित हैं ? और हम जो इंटरटेनमेंट टैक्स दो आने लेते हैं उसके लिये कोई कह सकता है कि नौ पैसे लिये जायं इसलिये कमेटी मुकर्रर करने से कोई फायदा नहीं है। वह तो हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि जो हमारे सीमित साधन हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग किस तरह से हो सकता है। अपने प्रदेश की उन्नति के लिये हमें जरूर बाहर से मदद मिलती है। बाहर से मेरा मतलब गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से है । हमारा इतना बड़ा प्रदेश है कि इसकी एक इंडिपेंडेंट देश की हैसियत हो सकती थी । ऐसा खयाल है कि हमारे प्रदेश की आबादी दस साल के बाद दस करोड़ हो जायगी । ऐसी हालत में गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से जो हमें मदद मिलती है, वह कोई हमें खैरात नहीं मिलती है बल्कि वह हमारा हक है। यह कहा गया कि हम रिसोर्सेज के बारे में सोचते नहीं है, यह ठीक नहीं है, हम तो बराबर सोचते रहते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि इस कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक चीज का जिक्र किया गया कि हमारी जो स्माल स्केल सेविंग्स है उसके लिये सब पार्टियों की एक बाडी होनी चाहिये । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इसके लिये एक एडवाइजरी बोर्ड है और इस प्रदेश के हर पार्टी के लोग इस बोर्ड में हैं । ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके सदस्य उसमें न हों । इस बोर्ड की अक्सर मीटिंग होती रहती है और मैं समझता हूं कि अगले महीने में इसकी मीटिंग होने वाली है। जो लोग भूल गये होंगे उनको याद आ जायगी कि जो करने की चीज है उसका हम ध्यान रखते है और हमें खयाल है।

अब दो तीन तरह के मूवमेंट्स और स्ट्राइक्स का भी जिक्र हुआ । हमारा ध्यान सोशलिस्ट पार्टी की मांगों की तरफ आकर्षित किया गया । इस पार्टी के मेम्बरों को इस बात से बहुत खुशी है कि इस साल राज्यपाल महोदय का भाषण हिन्दी में हुआ और उनका ऐसा विश्वास कि उनके ही दबाव का फल है जो ऐसा किया गया है। यदि हिन्दी में भाषण होने से किसी को आत्म संतोष होता हो तो मैं उसको दुखाना नहीं चाहता हूं और वह जरूर मानें कि उनके दबाव के कारण ही ऐसा हुआ और उन्हें खुशी होनी चाहिये कि कभी उनके मुह से अगर कोई अच्छी बात निकल जाती है तो उसको हम मान लेते हैं । लेकिन जहां तक और मांगों का संबंध है, उसके बारे में मैं एक बात कह सकता हूं कि अभी हाल में जो हमारे यहां के रिवोल्यूशन के नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, उन्होंने फरमाया है कि यदि किसी देश की जनता अपनी गवर्नमेन्ट के खिलाफ रिबेलियन नहीं करती है तो उस देश पर फारेन इनवैजन का डर रहता है। मैं सोचता हूं कि गरीब इंग्लैन्ड का क्या होगा गरीब अमेरिका और रूस का क्या बहुत दिनों से कोई बलवा होगा, वहां रिबेलियन नहीं हुआ । यह सब विदेशियों के हाथ में चले जायंगे । लेकिन जहां तक हमारे देश की बात है, डाक्टर साहब मौजूद हैं, उन्होंने बलवे का इंतजाम किया है। इसी लखनऊ में उनके लेफ्टिनेन्ट्स ने प्रेस के सामने कहा और ऐसे ऐसे बयान दिये जिनसे ऐसा लगता था कि पच्चीसों हजार आदमी आन्दोलन में भाग लेंगे । लेकिन कुछ ऐसा हुआ जैसा कि एक उर्दू कवि ने कहा है कि---

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो इक कतरये खून निकला ।"

इन मित्रों का खयाल है कि ढाई तीन हजार आदमी जेलों में गये, उत्तर प्रदेश की जेलों में ३६,००० आदमी रहते हैं । हमारे हिसाब से तो उनका नम्बर इससे भी कम है । बाकी और लोग कहां रहते हैं, मालूम नहीं । अपनी समझ से जेल में ही होंगे । लेकिन बहरहाल, जनता ने कोई खास साथ उनका नहीं दिया, यही इस बात का सबूत है कि मांग लोक प्रिय नहीं थी । और एक दूसरा सबूत यह है कि जब मैं अपने सामने उस पार्टी के कुछ मेम्बरों को बैठे देखता हूं तो यही समझता हूं कि इन समझदार मेम्बर साहबान ने सोच समझ कर के यही निश्चय किया कि

इन गलत मांगों का कहां तक साथ दिया जाय । यह भी इस बात का सबूत है कि वह मांगें गलत थीं । बाकी यह शिकायत कि ज्यादती हुई, तो आखिर बड़ी-बड़ी लड़ाइयां हमने भी देखी हैं, बड़े-बड़े आन्दोलन हमने भी किये हैं । तो जो आन्दोलन करता है उसके भक्त लोग भले ही उसको माला फूल पहनाते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको माला फूल पहनाया जाय, ऐसा तो होता नहीं । आन्दोलन तो आन्दोलन ही है । जो आन्दोलन करता है वह हर चीज के लिये तैयार रहता है ।

एक दूसरी स्ट्राइक का भी जिक्र हुआ और बहुत से लोगों ने उसका जिक्र किया । कई लोगों को शिकायत है । एक माननीय सदस्य ने, अगर मैं भूलता नहीं तो माननीय मदन पांडेय ने, कुछ इस किस्म के विचार जाहिर किये थे कि इस गवर्नमेंट से क्या आशा की जा सकती है जबकि इसकी तरफ से यह कहा जाय कि जिन लोगों ने इस केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की स्ट्राइक में भाग लिया, वह ट्रेटर्स हैं । और किसी ने प्रयोग किया हो या न किया हो, मैंने इस किस्म की भाषा का प्रयोग किया था, सोच समझकर किया था और आज भी उसी ख्याल का हूं, आज भी उसी चीज को दोहराता हूं । पहली बात तो यह मैं चाहता हूं कि इस सदन के खवारा जहां भी कहीं मेरी आवाज पहुंच सके सबके सामने मैं इस बात को रख दूं क्लीयरली, किसी को धोखा नहीं होना चाहिये । यह कहना कि यह आन्दोलन किसी किस्म का ट्रेड यूनियन मूवमेंट था, एम्पलायर और एम्पलायी, मालिक और श्रमिक, के बीच का झगड़ा था, यह बात गलत है । मैं अभी निवेदन करता हूं कि क्यों मैं इसे गलत कहता हूं । लेकिन एक क्षण के लिये यदि मान लिया जाय कि इस किस्म का मूवमेंट था तो मालिक और श्रमिक के बीच के हर आन्दोलन का समझदार लोग समर्थन नहीं किया करते । आज कोई भी मिल हो, उस मिल के मजदूर यह कहें कि हमको तो २ सौ रुपया महीने की मजदूरी चाहिये तो उनको कोई रोक नहीं सकता । वह इसके लिये हड़ताल करें, इस मांग को पेश करें । लेकिन समझदार लोग क्या उसका समर्थन करेंगे ? समझदार लोगों को सोचना होगा कि यह २०० रुपये की बात करते हैं, अगर इनको दो सौ रुपया मिल गया तो इसी शहर में इसी तरह के दूसरे लोग भी हैं, दूसरी मिलें भी हैं, उनमें भी दो सौ रुपये दिलाना होगा । फिर और दूसरे रोजगार हैं, दूसरे कारखाने हैं, कहां से रुपया आयेगा ? अगर हो भी मालिक और श्रमिक के बीच ऐसा झगड़ा, तो समझदार आदमी को यह समझना पड़ता है कि यह कहां तक रीजेनेबिल है और उसका समर्थन किया जाय अथवा नहीं । कोई कहे कि ५०० रूपया मजदूरी उनको दी जाय, तो कह सकता है । हम यह भी कह सकते हैं कि ५०० रुपया भी अगर किसी को दिया जाय तो वह भी कम है । लेकिन हर समझदार आदमी को इस चीज को सोचना समझना पड़ता है । जो लोग इसका समर्थन करते थे उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे इस सदन के सदस्य थे । उनके लिये सोचने की बात है कि अगर कोई आदमी डाकखाने में काम करता है, या रेलवे में काम करता है, पढ़ा लिखा जो कुछ भी होगा, उसको अगर सवा सौ रुपया दिलाना है तो हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के जो अहलकार हैं उन्होंने क्या पाप किया है, उनको क्यों नहीं उतना रुपया मिलना चाहिये ? सोचने की बात है, हमारे जो ग्रेजुएट हैं, ६० रुपया पाते हैं, जाने कितनी मुसीबत से बाप मां ने घर के जेवर बेचकर उनको बी० ए० पास कराया होगा, उनको ६० रुपया हम दे पाते हैं । कुछ महंगाई वगैरह और दे देते हैं । तो उनको भी क्यों नहीं उतना मिलना चाहिये, हमारे चपरासियों को क्यों नहीं मिलना चाहिये ? और फिर यह रुपया कहां से आयेगा ? दूसरा कोई सोचे या न सोचे, रेलवे वाले या डाकखाने वाले सोचते या न सोचते, लेकिन जो उनके साथ एम० एल० एज० और एम० पीज० थे उनको सोचना चाहिये था कि कल अगर उनको दिलवाना पड़ जाय तो कहां से दिलवा पायेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों को कहां से दिलवा पायेंगे । कुछ आदमी हजार रुपये से अधिक पा रहे हों, उनकी तनख्वाह काटकर जोरो कर दी जाय तब भी तो उतना रुपया नहीं निकलेगा । कहां से रुपया निकलेगा, इस बात को सोचना चाहिये ; अगर यह चीज होती, अगर यह ट्रेड यूनियन का डिस्प्यूट होता और मिल मालिक और श्रमिक के बीच का विवाद होता, तब भी यह स्ट्राइक इतनी अनरीजनेबिल थी देश की वर्तमान परिस्थिति में कि इससे किसी समझदार

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आदमी को इत्तफाक नहीं होना चाहिये । आगे चलकर ५ हजार किसी को मिल जाय, इससे मुझे बहस नहीं है। किन्तु वर्तमान परिस्थिति में यह इतनी अनरीजनेबिल मांग थी कि किसी जिम्मेदार आदमी को इसका साथ नहीं देना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि मैं इसको मिल मालिक और श्रमिक के बीच का विवाद नहीं मानता हूं । उसका कारण यह है कि श्रमिक और मालिक के बीच का विवाद वही होता है जिसके अन्दर कोई प्राफिट मोटिव हो। वहां यह सवाल होता है कि यह मालिक है तो उसकी जेब में मुनाफे का इतना रुपया जा रहा है वह इतना रुपया उसकी जेब में नहीं जाना चाहिये बल्कि जो काम करनेवाले श्रमिक हैं उनमें मजदूरी के रूप में यह बंटना चाहिये । वह बात तो समझ में आती है लेकिन जहां पर गवर्नमेंट की बात है वहां पर प्राफिट मोटिव का सवाल नहीं होता है कि जो कुछ बचता हो वह किसी मिनिस्टर की जेब में जाता हो, या कर्मचारियों की जेब में जाता हो । वह न किसी कर्मचारी की जेब में जाता है, न किसी एम० एल० ए० या एम० एल० सी० की जेब में जाता है । वह तो जो बचता है सरकारी खजाने में जाता है जिसके द्वारा स्कूल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, अस्पताल बनते हैं और फिर घूम फिर कर पब्लिक के पास ही वह रुपया चला जाता है । उसमें मजदूर भी शामिल हैं । इसमें किसी तरह से प्राफिट मोटिव का सवाल नहीं है ।

फिर एक और बात सोचने की है। यह कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के कुछ विभाग ऐसे हैं, जैसे पोस्ट आफिस है या रेलवे है, कि जिनमें मुनाफा होता है। तो फिर मैं एक बात पूछता हूं कि इलाहाबाद में एकाउन्टेन्ट जनरल का दफ्तर है और भी जगह ऐसे दफ्तर हैं जिनमें ३, ४ हजार आदमी काम करते हैं, वहां पर कौन सा मुनाफा होता है । वहां पर उन लोगों को हिसाब देखना होता है । उस दफ्तर में केवल हिसाब-किताब होता है । वहां हड़ताल क्यों हुई ? वहां कौन सा मुनाफा होता है ? इससे भी महत्व की बात यह है कि आज हमारे देश के सामने सुरक्षा का प्रश्न है । यह कितने महत्व का प्रश्न है ? देश की सुरक्षा के लिये हमारे यहां सी० ओ० डी० है, जैसे कानपुर में, जहां पर हथियार बनते हैं, जहां पर लड़ाई का सामान बनता है । वहां पर कौन सा प्राफिट मोटिव है ? वहां पर कौन सा मुनाफा होता है ? अगर वहां पर तोप ढलती है तो क्या उसकी बाजार में बिक्री होती है ? उसे कौन खरीदता है ? जहां पर एक तरफ तो देश की सुरक्षा का प्रश्न हो वहां पर दूसरी तरफ कोई हथियार बनाने के कारखाने में हड़ताल की बात करे तो किसी तरह से इसको ट्रेड यूनियन का डिस्प्यूट नहीं कहा जा सकता। इसलिये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कदापि इसको ट्रेड यूनियन का डिस्प्यूट नहीं मानना चाहिये या मालिक और श्रमिक का डिस्प्यूट नहीं मानना चाहिये । यह सीधे राजनैतिक चाल थी और इसके लिये मेरी निजी राय है कि कम्युनिस्ट पार्टी की चाल थी । दूसरी पार्टी पी० एस० पी० और जन संघ उनके हाथ में शिकार बन गये । उन्होंने सोचने की कोशिश नहीं की । कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी होशियार आदमी हैं, उन्होंने अपने को पीछे रखा और इनको आगे आने दिया। अगर यह चीज सफल होती तब वह मैदान में आते । नहीं तो उसकी असफल होने की बदनामी इनके सिर पर है और अब इस बात की कोशिश भी यही कर रहे हैं कि जिन्होंने हड़ताल की उनके साथ कुछ रियायत की जाय । यह मन्शा हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी का वैसे मैं उनके दिल की बात तो जानता नहीं केवल अन्दाजा लगाने की बात है । इसका मैं एक ही मतलब लगाता हूं और वह यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी निकट भविष्य में इस बात की आशा नहीं करती कि देश में बैलेट के जरिये से उनके हाथ में अधिकार आने वाला है लेकिन देश के अन्दर ऐसी परिस्थिति पैदा की जा सकती है जिसके जरिये शायद उनको सफलता हो ।

एक बड़े महत्व की बात है और हमको और आपको वह भूलना नहीं चाहिये कि तिब्बत में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत का कुछ हिस्सा चीन की फौज के कब्जे में गया । सारे भारत ने एक आवाज से उसको एग्रेसर कहा लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी यह कहने के लिये तैयार नहीं हुई कि कि चीन के आदमी आक्रमणकारी हैं । वह इस बात को कहने के लिये तैयार नहीं हैं । अगर कहीं पर कम्युनिस्ट फौज आती है जैसे कि तिब्बत में गई तो उसको वह लिबरेशन आर्मी, उद्धार

करने वाली सेना, कहते हैं । अगर तिब्बत के उद्धार करने की जरूरत पड़ी तो वहां पर चीन की सेना गई । उसने वहां पर उद्धार किया । इसी प्रकार से नेपाल में भी उद्धार करने की जरूरत हो सकती है और भारत के भी उद्धार करने की जरूरत हो सकती है। तो वह सब यह समझते हैं कि यहां पर इसी किस्म के सामान पैदा करने चाहियें । मैं पूछता हूं उन लोगों से, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की बात मैं नहीं करता, मैं पूछता हूं पी० एस० पी० वालों से, जन संघ वालों से, और मैं यह एक क्षण के लिये भी नहीं कहता कि पी० एस० पी० के आदमी अपने देश को किसी विदेशी के हाथ बेचना चाहते हैं, जन संघ के लोगों के देश भक्त होने में मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है, मैं जानता हूं कि उनको इस देश से उतना ही प्रेम है जितना कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति को हो सकता है, उनको या पी० एस० पी० वालों को इससे उतना ही प्रेम है, लेकिन जब इस आन्दोलन का उन्होंने साथ दिया था तो क्या उन्होंने सोचा था कि अगर यह सफल हो जाता तो क्या होता अगर दो, चार दिन के लिये ही यह आन्दोलन सफल हो जाता तो उसका परिणाम क्या होता ? तार, टेलीफोन, चिट्ठी, सब गायब ! कोई बीमार हो, मर रहा हो, लेकिन उसे कोई मदद नहीं पहुंच सकती । खबर देकर कोई मदद नहीं पाई जा सकती, मनी आर्डर से कोई मदद नहीं आ सकती । रेलें नहीं चलतीं । करोड़ों आदमी भले ही फौज में हों, लेकिन अगर कहीं जरूरत हो तो फौज किस काम की ? कोतल घोड़ों की तरह से एक जगह बंधे बैठे रहें । किसी काम में वह फौज आ नहीं सकती । देश के किसी हिस्से में गल्ले की जरूरत हो सकती है। मसलन बंगाल को आज चावल की जरूरत है । हमने उसे उत्तर प्रदेश से चावल देने का वायदा किया है । हम चावल भेज रहे हैं, लेकिन चाहे कलकत्ते में आदमी भूखों मर जांय, अगर रेलें बंद हों तो चावल जायगा कैसे ? नहीं जा सकता । आप मोटरों से या गाड़ियों में कितना चावल भेज सकते हैं ? फिर इसी सदन में पिछले सत्र में, सदन उठने के पहले जिक्र चला था कि कोयले की बड़ी भारी कमी है । सबको मालूम था कि कोयले की बड़ी कमी है और अगर ५, ६ दिन यह हड़ताल चल जाती तो क्या होता, यह कहा नहीं जा सकता । सारे वाटर वर्क्स बंद हो जाते । शहरों के आदमी पानी के लिये त्राहि त्राहि चिल्लाते रहते और जितने पावर हाउसेज हैं वह बंद हो जाते । इस सावन भादों में जब मूसलधार पानी बरस रहा हो, ऐसे समय बिजली बंद हो जाय, तो कितनी चोरियां होतीं, कितनी डकैतियां होतीं, कितनी लूटमार होती, कितनी औरतों की इज्जत लुट जाती, जिन लोगों ने इस आन्दोलन का साथ दिया था क्या उन्होंने इसको सोचा था ? जिन्होंने आन्दोलन करने वालों की पीठ पर हाथ रखा और उसे सफल बनाने में साथ दिया, क्या कभी उन्होंने यह सोचा कि वे क्या उन औरतों की इज्जत की, चोरी और डकैतियों की, जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हैं जो इस के सफल होने पर होतीं ? पानी के लिये कितने बच्चे बूढ़े तड़प कर मर जाते ? यह मामूली चीज नहीं है और मामूली हड़ताल की बात नहीं है । यह कोई पूछ सकता है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को इसमें मजा आता है ? मैं नहीं कहता कि व्यक्तिगत रूप से या पार्टी के रूप से कम्युनिस्ट पार्टी को चोरियों या डकैतियों में दिलचस्पी है या कम्युननिस्ट पार्टी के लोगों को किन्हीं औरतों की बेइज्जती में दिलचस्पी है। मैं यह नहीं कहता, लेकिन एक बड़ी भारी बात है । उनके सामने एक बड़ा भारी सवाल है । अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय तो नतीजा क्या होगा ? हर एक आदमी समझेगा कि अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारी सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, औरतें बेइज्जत हो रही हैं, लूट हो रही है, गदर मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं,तो यह एक ऐसी सूरत है कि जिसमें बाहर से आने वाली आर्मी आफ लिबरेशन को मदद मिलेगी और उसका स्वागत किया जायगा। कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हो जाय, पैदा की जाय, कि बेबसी की हालत यहां पैदा हो और ऐसे समय अगर उद्धार करने वाले आते हैं तो हम उनका स्वागत करें कि किसी तरह से यह चीज खत्म हो। यह इसके लिये उनका पहला रिहर्सल था । वह जानते थे कि यह सफल नहीं होगा और इसलिये उसका नेतृत्व भी उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन वे फिर कोशिश कर सकते हैं । ऐसी हालत में हमारी आपकी कोशिश क्या होनी चाहिये ? एक बार हमने देखा कि किस तरह की चीजें हो सकती हैं। हर एक आदमी को जिसे अपने देश से प्रेम है, जो नहीं चाहता इस तरह की

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

चीजें इस देश में दोहराई जायं, जो अपने देश में खुशहाली चाहता है, उसका कर्त्तव्य होगा कि वह कोशिश करें कि एक बार हो गया, हो गया, दुबारा ऐसी घटना इस देश में नहीं होनी चाहिये । इसलिये जब इस प्रकार की शिकायत होती है कि आप ट्रेटर शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं उसका प्रयोग सोच विचार कर करता हूं । मैं इस बात को जानता हूं कि अधिकांश मजदूर जो इस काम में शरीक हुये थे वे इतनी दूर तक नहीं सोच सकते थे कि इसका क्या परिणाम होगा । कम्युनिस्ट पार्टी के सब लोग तथा और जो लोग उनके पीछे कठपुतली की तरह घूमते फिरते थे, उन्होंने भी शायद नहीं सोचा, इतनी बारीकी से, कि इसका क्या फल होगा । लेकिन फिर भी आन्दोलन ऐसा था कि अगर वह सफल होता तो देश का गला कट गया था । इसीलिये मैं उनको, जिन्होंने इस आन्दोलन का पृष्ठपोषण किया, ट्रेटर्स कहता हूं और मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत समझ बूझ कर किया था । कुछ लोग इस संबंध में मुझसे मिलने भी आये और मुझसे बातचीत की । मैंने उनसे भी यही बात की । उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि आपने कभी इतने क्रोध में बात नहीं कही । मैंने जरूर इस बात को कहा । मैं इस आन्दोलन को दूसरे आन्दोलनों से काफी ज्यादा महत्व का मानता हूं और ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में कोई दया या सहानुभूति नहीं है । किसी के बाल बच्चे भूखों मरे, यह मैं कभी नहीं देख सकता और मैं कभी ऐसे कामों को पसन्द नहीं कर सकता जिससे कि देश खतरे में पड़ जाय । ऐसे काम नहीं होने चाहियें, मैं इस बात को बिलकुल स्पष्ट कहना चाहता हूं । इसको चाहे आप अच्छा समझें या बुरा समझें, मैंने आज सवालों के जवाब में भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था । हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, हम जबरदस्ती किसी को जेल में रखना नहीं चाहते, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की बातें की हैं, उनके प्रति मुझ जैसे आदमी की रत्ती भर भी दया या सहानुभूति की आशा नहीं रखनी चाहिये ।

इसके अलावा और छोटी-छोटी बातों का जवाब देने के लिये समय नहीं है । मैं यही आशा करता हूं कि इन सब बातों को देखते हुये हम जो कुछ कर सकते हैं वह कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिये । हमने कभी यह दावा नहीं किया कि हम सर्वज्ञ हैं और न यह दावा कर सकते हैं कि जो काम हम करते हैं उनमें कभी गलती नहीं होती । मैं यह आशा करता हूं कि जो काम हम कर रहे हैं उनमें सबका सहयोग होगा । इन शब्दों के साथ, जो प्रस्ताव सदन के सामने माननीय वर्मा जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---(श्री त्रिलोकी सिंह से) आप पहले जवाब देना चाहेंगे या बाद में समय लेंगे ?

श्री त्रिलोकी सिंह---जैसे आपकी आज्ञा हो, वैसे बेहतर तो यही होगा कि मुझे आखिर में समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है । तो मैं पांच-पांच मिनट का समय औरों को दूंगा ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन के समर्थन में इसलिये खड़ा हुआ हूं कि मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हमारे प्रदेश के ८० फी सदी से अधिक लोग कृषि उत्पादन के जरिये ही अपना जीवनोपार्जन करते हैं और यह कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से इस सरकार की नीति कृषि विरोधी रही, किसान विरोधी रही और गरीब विरोधी रही है । मैं चाहता हूं कि इस सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार करें । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात पर बहुत गुस्सा है कि देश में जो हड़ताल हुई है वह देश विरोधी है, देश को खतरे में डालने वाली है, उससे उनको सहानुभूति नहीं है, तो मैं भी उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं, वे बड़े समाजवाद के पंडित हैं कि देश के लोगों को भूखों रख कर, उनकी उचित मांगों को दबाया नहीं जा सकता । आज चाहे सरकार को कोई सहानुभूति न हो, लेकिन सरकार की जिस प्रकार की दमन नीति रही है और जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकार का रुख इस बार सरकार ने दिखाया है इस तरह का अध्यादेश जारी करके, वह भी कभी देखने में नहीं आया । आज जिस प्रकार की दमन नीति सरकार उनके खिलाफ बरत रही है वह किसी भी तरह ठीक नहीं कही जा सकती है । मैं ऐसा समझता हूं कि कोई दो दिन के भीतर ऐसी बात नहीं होती, दो दिन अगर कोई कलकत्ते से दिल्ली नहीं पहुंचता तो उससे कोई बड़ी भारी आपत्ति देश पर नहीं आती । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार की नीति इस सरकार की रही जैसी कि उनकी नीति अब तक है किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, तो, अध्यक्ष महोदय, मैं गुस्ताखी की बात नहीं करता, लेकिन अगली हड़ताल, भगवान न करे कि हिन्दुस्तान में आये और कांग्रेस की नीति नहीं बदली तो मजदूर और दलित वर्ग अब की बार तो सिर्फ गाड़ी छोड़ कर चले गये थे, लेकिन हो सकता है कि उस समय वह इंजन के पुर्जों को लेकर जा सकते हैं । मुझे चाहे इसके लिये सदन भी छोड़ना पड़े लेकिन हड़तालें रोकने से खत्म नहीं होतीं, उसकी दवा करनी चाहिये ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को उस पर पुनर्विचार करके जो खामी हो, कमी हो, उसको शान्तिपूर्वक दूर करना चाहिये ताकि समाज की गाड़ी आगे जाय और समाजवादी दृष्टिकोण तथा जनतंत्र मजबूत हो । मैं तनहा अपने विचार प्रकट करता हूं । मैं डिक्टेटर-शाही में विश्वास नहीं करता, लेकिन हमारे एक सदस्य ने कहा था कि हम तो आह्व न करते हैं, जो अपनी पार्टी को छोड़ कर हमारे साथ आये, हम सब एक हो जायं । अध्यक्ष महोदय, जिस देश में एक पार्टी का राज्य हो वह डिक्टेटरशिप है । मैं नहीं समझता कि अगर सब पार्टियों के लोग भी कांग्रेस पार्टी में मिल जायं तो एक पार्टी की हुकूमत हो जायगी । मैं समझता हूं कि विरोध फिर भी रहेगा और वह है और उसको दूर करने का एक ही तरीका है । इस डेमोक्रेसी के सेट-अप में, जनतंत्रात्मक प्रणाली में, हमको अधिकार है अपनी मांगों को प्रस्तुत करने का, शान्तिपूर्वक हड़ताल करने का । अगर इसको सरकार दमन से दबाना चाहती है तो सरकार की नीति गलत है ।

अन्त में मैं फिर अपने प्रस्ताव पर जोर देता हूं कि माननीय मंत्री जी और सदन उसको स्वीकार करे । वह इस प्रदेश की ८० फी सदी जनता के जीवन से संबंध रखता है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई विचार इस समय उत्तर देने का नहीं था परन्तु अभी माननीय नेता सदन ने जो भाषण दिया उससे मुझे यह साहस हुआ कि कुछ बातें कहूं । मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करता हूं कि जिन अशोभनीय शब्दों में जैसी कटु भावनायें माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने सोशलिस्ट पार्टी के प्रति प्रकट की हैं मैं उसकी आधी कटुता भी अपने अन्दर नहीं ला सकता । मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि राजनारायण जी होते, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शिष्य हैं, वही उनका ठीक उत्तर दे सकते थे । मैं तो केवल इतना ही कह कर संतोष करता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने इस बार जो आन्दोलन किया वह एक सिद्धांत को लेकर किया है । और केवल स्वार्थ-त्याग और आत्म-बलिदान की भावना से किया और आज उस आन्दोलन में जो सफलता सोशलिस्ट पार्टी को मिली है उसका परिणाम माननीय सम्पूर्णानन्द जी सन् ६२ के चुनाव में देखेंगे । अभी उसके बारे में कोई बात कहना भविष्यवाणी होगी और वह भविष्यवाणी कभी राजनीति में नहीं करनी चाहिये ।

माननीय सम्पूर्णानन्द ने डाक्टर लोहिया का जिक्र किया । मैं अधिक न कह कर एक बात इस सम्बन्ध में अवश्य कह देना चाहता हूं । मैंने डाक्टर लोहिया और माननीय सम्पूर्णानन्द जी दोनों को ही समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में देखा था । डाक्टर लोहिया आज भी समाज-वादी पार्टी के नेता हैं और समाजवाद के विश्वविख्यात पंडित हैं । माननीय सम्पूर्णानन्द जी समाज-वादी पार्टी को लात मार आज क्या बन गये हैं ? इसे वे ही स्वयं भली प्रकार जान सकते हैं । दूसरा कोई नहीं । डाक्टर लोहिया की कथनी और करनी एक है, और आपकी कथनी-करनी सर्वदा भिन्न हैं; कभी-कभी तो कथनी भी क्षणमात्र में यथा आवश्यकता परस्पर भिन्न हो जाया करती हैं । इसका उदाहरण मैं आगे देना चाहता हूं ।

[श्री देवनारायण भारतीय]

मान्यवर, मैं अपने संशोधन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इसी पखवारे में एक सम्मेलन लोक सभा के सदस्यों का माननीय मंत्री जी ने आमंत्रित किया था और उस सभा में एक नकशा प्रान्त का पेश किया गया और साथ ही थोड़े ही दिन बाद महामान्य राज्यपाल के द्वारा उसी नकशे का दूसरा पहलू यहां रखा गया। उस सम्मेलन में कहा गया कि यह प्रान्त देश भर में सबसे ज्यादा गरीब है, यहां पर सबसे कम पैसा केन्द्र से विकास योजनाओं के लिये मिला है यहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है। ये बातें उस सम्मेलन में कही गयीं और इसी पखवारे में महामान्य राज्यपाल द्वारा यह कहलाया गया कि विकास योजनाओं के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश को स्वर्ग बना दिया है यहां पर जल की नहरें तो नहीं, दूध और घी की नहरें बह निकली हैं। यहां पर वह परिस्थिति पैदा हो गयी है कि अन्न का भंडार कभी निपटाये नहीं निपट सकता। इतना उत्पादन बढ़ गया है और देश की परिस्थिति इतनी सम्पन्न हो गई है कि अब यहां किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रही। ये दो परस्पर विरोधी पहलू एक पखवारे के अन्दर प्रदेश के सामने पेश किये गये। मैं नहीं समझ पाता हूं कि यह सरकार अथवा हमारे मंत्रिमंडल की क्या बुद्धि है कि ऐसी परस्पर विरोधी बातों को एक ही पखवारे में कह करके वे चाहते हैं कि जनता इन दोनों बातों पर विश्वास कर ले। जो सच्ची बात होती है वह आसमान पर चढ़ कर चिल्लाती है। आज जो स्थिति है वह हमसे और उधर बैठने वाले सदस्यों से छिपी हुई नहीं है, उस पर परदा डालने से या ऊंची बातें कहने से उनको छिपाया नहीं जा सकता।

मान्यवर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर आय गिरी है, बेकारी बढ़ी है, केन्द्र द्वारा प्रदेश की उपेक्षा हुई है तथा प्रदेश में बढ़ती हुई गरीबी, भुखमरी तथा बेकारी को रोकने के लिये सरकार की ओर से कोई उपाय नहीं किया गया। थोड़े दिन पहले लोक सभा सदस्यों के सम्मेलन में इन लक्ष्यों को स्वीकार किया गया। और आज माननीय मुख्य मंत्री जी सारा दोष विरोधी दल की भिन्न २ पार्टियों और विशेषकर सोशलिस्ट पार्टी पर रखना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो संशोधन पेश किया है उसको सदन स्वीकार करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। समयाभाव के कारण मैं पूरी बात कहने में असमर्थ हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुये केवल सरकार की खामियों को बतलाया था लेकिन अब मैं जिस बात को बहुत संक्षेप में कहना चाहता था उसको छोड़कर एक नयी बात जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में कही है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी विद्वत्ता के लिये प्रसिद्ध हैं, इसीलिये आज उन्होंने जो कुछ बातें जिस सुन्दर और विलक्षण ढंग से इस सदन के अन्दर कहीं उनसे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी कभी इस बात के लिये विख्यात थे कि वे एक प्रमुख समाजवादी हैं लेकिन आज वह इस बात के लिये विख्यात हैं कि हमारे देश की दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के नेता हैं। इसलिये कम्युनिस्ट पार्टी के लिये उनके द्वारा इस तरह की बातों का कहा जाना और असत्य बातों के आधार पर कम्यूनिस्ट पार्टी को बदनाम किया जाना केवल झूठे प्रोपेगेन्डा के लिये है अतः इन बातों से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में उन्होंने इस सदन में जो बातें कही हैं, मुझे दुख और आश्चर्य है कि यह उन बातों से बिल्कुल भिन्न हैं जो कि उन्होंने श्री यस०यम० बनर्जी, एम० पी०, से कहीं थी कि कम से कम प्रदेश के अन्दर कह सकते हैं कि कम्यूनिस्ट पार्टी का हाथ नहीं है। लेकिन आज वह इस तरह की बात कह रहे हैं कि सभी विरोधी पार्टियों ने हड़ताल का नेतृत्व किया, कम्युनिस्ट पार्टी हड़ताल की अगुवा रही और जन संघ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उनके हाथ की कठपुतली थी। क्या जन संघ की सारी समझदारी गायब थी, क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की समझदारी गायब हो गई थी जो वे कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गये? क्या उनमें राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, क्या उनमें राष्ट्र सुरक्षा की भावना नहीं

है, क्या वह देश की राजनैतिक, सामाजिक और दूसरी परिस्थितियों को समझ नहीं पाते ? हमारे देश की लाखों-लाखों जनता, हमारे देश की प्रमुख राजनैतिक पार्टियां, जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी सहानुभूति प्रकट की वे ट्रेटर नहीं हो सकतीं । कम्युनिस्ट पार्टी उस आन्दोलन का नेतृत्व नहीं कर रही थी । उसके नेता श्री डांगे ने स्पष्ट शब्दों में प्रधान मंत्री जी को पत्र लिख कर यह स्पष्ट कर दिया था कि कम्यूनिस्ट पार्टी आज इस बात को समझती है कि हमारे देश के लाखों कर्मचारियों की आज की बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुये, परिस्थिति को देखते हुये, मांगें सही हैं । लेकिन हमने उस मांग को लेकर उनका नेतृत्व नहीं किया इसलिये कि अगर आज हम नेतृत्व करेंगे तो एक बहाना बना कर सरकार अत्यन्त उचित मांग को दबाने की कोशिश करेगी । अतः उसका नेतृत्व मजदूरों के संगठनों ने ही किया जो उनके बीच में काम करते थे । इस बात को यह कह कर नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा हम लिबरेशन आर्मी का स्वप्न देखते थे ।

मुख्य मंत्री जी ने सुना था और उनके पास ऐसे सुझाव आये थे कि प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा प्रचार करती है कि लिबरेशन आर्मी का आपको स्वागत करना चाहिये, सांस्कृतिक सम्मेलनों के द्वारा वह चीन और रूस का प्रचार करती है । इसको सही समझ कर माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उसकी जांच-पड़ताल करने के लिये गये । लौटने के बाद उन्होंने एक बयान दिया कि इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया है । लेकिन आज मुख्य मंत्री की राय है कि कम्युनिस्ट पार्टी उसके द्वारा लिबरेशन आर्मी को स्वागत करने का एक रास्ता निकाल रही थी ।

बार-बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषणा की है कि वह विदेशी शक्तियों के सहारे साम्यवाद की स्थापना नहीं करना चाहती । साम्यवाद की स्थापना तो हिन्दुस्तान की जनता करेगी, हिन्दुस्तान की संस्कृति पृष्ठभूमि में, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में, उसकी आर्थिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि में, हिन्दुस्तान की जनता की जाग्रत चेतना के पीछे चलते हुए वह साम्यवाद की स्थापना करेगी । लेकिन जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उससे यह परिणाम निकलता है कि हिन्दुस्तान की जनता की सही मांग को लेकर, हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी जिस शान्तपूर्ण ढंग से आन्दोलन को चला रही है और जिस कदर जनता उसके पीछे है, उसकी उनको पहले से कल्पना भी न थी कि हिन्दुस्तान में साम्यवाद की शक्ति इतनी बढ़ जायगी । पार्टी की इसी बढ़ती हुई शक्ति से सरकार को यह परेशानी है । अनेक प्रकार के लांछन लगाये गये, अनेक प्रकार की अनर्गल बातें की गयीं लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ा और आगे भी जनता की जो हालत है, जो भयावह परिस्थिति उसके सामने है, और उसके प्रति जनता की जो भावना है उसको आप रोक कर नहीं रख सकते । आज चाहे कर्मचारियों की उचित मांगों को दबा दिया जाय, उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे उसको अपने दमन से दबा दे लेकिन क्या आपने, उनकी मांग के पीछे जो औचित्य है उस पर कभी विचार किया है ? कर्मचारियों की मांग ही क्या थी ? उन्होंने कहा था कि आप हमारी मांग के सिद्धांत को मान लीजिये, जो १२५ रुपये की बेसिक सेलरी का सिद्धांत है, उसको मान लीजिये । उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम हिंसात्मक तरीका अपनायेंगे और कभी भी उन्होंने हिंसात्मक तरीके से काम नहीं लिया । उन्होंने अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखा । इसी प्रकार हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी जीवनोपयोगी सामानों के बढ़ते हुए मूल्य के अनुपात में अपना वेतन करने के लिये एक पे कमीशन बनाने की मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं ताकि वह उनके वेतन-क्रम तथा उसके लिये स्रोतों की जांच-पड़ताल कर सकें, ताकि आप सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं को बढ़ा सकें । लेकिन सरकार को यह सहन नहीं हुआ ।

अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जी० ओ० निकाला है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल नहीं कर सकेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से भी अपनी मांग नहीं रख सकते हैं, नारे नहीं लगा सकते, डेप्यूटेशन नहीं भेज सकते । लेकिन इस तरह की बातें चल नहीं सकतीं । ये बातें शक्ति के दमन द्वारा दबायी नहीं जा सकतीं ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आखिर में मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा और मुख्य मंत्री जी से कह देना चाहूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी हिन्सात्मक तरीकों से, दूसरे देशों की मदद से नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के अन्दर, जनता की सही मांगों को लेकर, शांतिपूर्ण और संसदीय ढंग से नेतृत्व करके, बढ़ रही है और बढ़ेगी।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह—मान्यवर, विरोधी दल की तरफ से मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर हर एक वाद विवाद में एक लांछन लगाया जाता है कि हम बगैर आंकड़ों के सहारे अपनी जिम्मेदारी को न समझते हुए खाद्यान्न या सड़कों आदि के सम्बन्ध में बातें कह दिया करते हैं। परन्तु मैं आपके जरिये उनको बतला दूं कि गुरुदक्षिणा की एक मिसाल माननीय राजनारायण जी कायम करते जाते हैं। मान्यवर, मुझे शिकायत इस बात की है कि मैं अपने राइट आफ रिप्लाई को किस तरह से एक्सरसाइज करूं और किसी का जवाब न देते हुए मैं सदन को बतला दूं कि आंकड़े तो आपकी किताब में ही छपे हुए हैं और मेरा सीधा चार्ज खाद्य मंत्री महोदय के ऊपर है जिन्होंने सन् १९५६ में ३१ लाख १५ हजार टन गेहूं के आंकड़े को न कोट कर केवल ५७, ५८ और ५९ का आंकड़ा ही बतलाया। उनकी किताब के जरिये ही मैं इनको कोट करता हूं। मेरी सचमुच, श्रीमन्, बड़ी मुसीबत है कि मैं किस तरह से जवाब दूं, कौन सा तरीका अपनाऊं। कोई मिनिस्टर तो मच्छड़ों को मरवा कर उत्तर प्रदेश का कल्याण कर रहे हैं, कोई पश्चिम को मतवाला बना कर कल्याण कर रहे हैं, कोई पूरब को पावर में मदान्ध कर रहे हैं तो मैं कैसे जवाब दूं? लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह शोभा की बात नहीं है कि मैं इन सब बातों को यहां कहूं लेकिन मेरी मजबूरी है और किसी का जवाब तो मैं नहीं देता लेकिन मेरे दोस्त जो बायीं तरफ बैठे हुए हैं उनके सम्बन्ध में जो माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा है उसके लिये मैं कह सकता हूं कि सम्भवतः कम्युनिस्ट पार्टी को वे इस तरह का नहीं समझते अगर हिन्दुस्तान पर चीन द्वारा आक्रमण होने के बाद कलकत्ते में जो उनका प्रस्ताव पास हुआ था वह पास नहीं हुआ होता। आज किसी हिन्दुस्तानी के लिये यह भाव नहीं पैदा होना चाहिये लेकिन अगर उस प्रस्ताव के बाद लोगों में यह अविश्वास होता है कि हमारे हिन्दुस्तान को कार्ल मार्क्स के नाम पर साम्यवाद ढांचे के अन्दर ले जाने की कोशिश है तो यह स्वाभाविक है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात में सहमत हूं कि माननीय त्रिलोकीसिंह तथा राजा साहब माननीय झारखंडेराय जी के हथकंडों को समझने में कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकते। वह एक रवैया ही दूसरा है, वह तर्क व तर्जे अमल ही दूसरा है जिसकी पृष्ठभूमि मे, हिस्टोरिकल बैक ग्राउन्ड में, सांस्कृतिक बैक ग्राउन्ड में वह साम्यवाद यहां लाना चाहते हैं।

मैं आज दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जिस दिन साम्यवाद आवेगा उस से बढ़ कर बुरी दुर्दशा भारत में न कभी आयी है न आवेगी और न आनी है। सन् ४२ का आन्दोलन जिसको याद होगा, हिन्दुस्तान पर चीन के आक्रमण के फलस्वरूप कलकत्ते का प्रस्ताव जिसको याद होगा वह क्या कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीद कर सकता है कि समय पड़ने पर वह हिन्दुस्तान की रक्षा कर सकेगी? क्या इस प्रदेश और इस देश के नागरिकों की बुद्धि इस कदर दूसरी जगह गयी है कि वे अपने कल्याण की बात भी न सोचें? एक पक्षी वह भी अपने कल्याण की बात समझता है। हम तो मनुष्य हैं, यह जरूर है कि मैं आपके द्वारा उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पोलिटीकल कान्शसनेस भले ही हम में है लेकिन प्रक्रियावादी की कहीं परिभाषा नहीं है, वह हमें कह सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं। जैसे समाजवाद की परिभाषा राजनारायण जी दूसरे ढंग से करते हैं, लोहिया जी दूसरे ढंग से करते हैं, माननीय सम्पूर्णानन्द जी दूसरे ढंग से करते हैं, इसकी भी कोई परिभाषा नहीं है, वह चाहे आज हमें कुछ भी कहें लेकिन वह यह न भूलें कि देश के लिये हमें भी प्रेम है, वह यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न समझें कि किसी की तरह हम भी मार्क्स और लेनिन के नाम पर देश को बेचना चाहते हैं, हम को भी देश का प्रेम है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुन रहा था। आशा भी करता था कि इतने बड़े प्रांत के मुख्य मंत्री वह हैं तो इस प्रान्त की सब तरह की सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी के पास सही स्थिति में अवश्य आई होगी लेकिन अन्त में मैं उनका एक वाक्य सुनकर दंग रह गया। उन्होंने कह दिया कि जन संघ तो कम्युनिस्ट पार्टी की कठपुतली है। किसी एक व्यक्ति को कहते कि इनके दल में इनफिल्ट्रेशन हुआ है तो मैं उसको समझ सकता या यह कहते कि इनके दल में भी पिन्क, रेड्स एन्ड व्हाइट्स हैं तो कुछ बात समझ में आ सकती थी लेकिन जन संघ को कम्युनिस्ट पार्टी की कठपुतली बना देने की बात मेरी समझ में नहीं आई। हो सकता है कि मैं उनसे बुद्धि में छोटा हूं, उम्र में भी छोटा हूं, ज्ञान में भी छोटा हूं, और शरीर में भी छोटा हूं, इसलिये इतनी बड़ी बात मेरी समझ में न आई हो लेकिन जो हमारे दल के विषय में उनका भ्रम है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

इस हड़ताल के बारे में जन संघ की जो नीति थी उसको मैं स्पष्ट कर दूं। मैं समझता था कि हमारी नीति उनको स्पष्ट हो गई होगी। हमारा स्पष्ट मत है कि हड़ताल की मांग में बल है, इससे हमें इन्कार नहीं है परन्तु हड़ताल के अस्त्र का प्रयोग तभी होना चाहिये जब सब प्रकार के मार्ग, प्रार्थना, बातचीत करके सुलह करने के प्रयत्न समाप्त हो जायं। इस बार सरकार ने जो हठवादिता दिखाई और बातचीत करने तक से इन्कार किया---इसी अदूरदर्शिता के कारण यह हड़ताल हुई और इसके लिये वह जिम्मेदार है। इसीलिये जन संघ का कहना था कि ऐसे समय में वर्गीकरण इस तरह के न हों और इसके लिये एक स्थायी बेजबोर्ड बने जो समय-समय पर एक यूनिफार्मिटी रखते हुए मंहगाई, देश की स्थिति और बेकारी आदि सब चीजों को ध्यान में रखकर एक मिनिमम स्टैंडर्ड वेज ले डाउन करे और वह दोनों को मान्य हो। यही जन संघ का इस सम्बन्ध में विचार है। आखिर यह कर्मचारी भी तो अपने ही हैं, इसी देश के नागरिक हैं, उन पर दमन का परिणाम फ्रस्ट्रेशन होगा, जिस खतरे को हमें मोल न लेना चाहिये, उसको न उठाया जाता तो अच्छा होता। वही बात है कि "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्", अर्थात् भूखा आदमी कौन-सा पाप नहीं करता। तो इसी तरह का अगर कटु दमन उनका हम करते रहे तो वह देश के लिये एक खतरा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि दो तीन कर्मचारी श्री बाजपेयी, चटर्जी और फारूकी जिन्होंने कि हड़ताल में भाग नहीं लिया लेकिन उनको घर से निकाल कर पकड़ा गया। यह कौन-सी मानवता है, अपने देश के अपने समाज के जो अंग हैं उनके साथ इस प्रकार का कटु व्यवहार किया जाय? मैंने तो यहां तक सुना है, पता नहीं बात ठीक है या गलत, इसकी माननीय मुख्य मंत्री जी जांच करा लें कि आई० एन० टी० यू० सी० के लोग लेबरर्स से खुल कर कहते थे कि आठ आने दो हम तुम्हारी जमानत करायें, श्री रस्तोगी के विषय में ऐसा कहा जाता है। इस तरह की भावनाओं से, एक तरफ दमन की नीति और उस पर इस तरह से राजनैतिक हिंसापूर्ण कार्य करना अनुचित है।

श्रीमन्, मैं यही दो बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को जन संघ के सम्बन्ध में जो भ्रम था वह दूर हो गया होगा। मैंने जो सिविल डिफेन्स की बात कल कही थी और आज भी बता देना चाहता हूं, मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय सदस्य उस दृष्टि से माननीय राज्यपाल के भाषण को देखेंगे और हमारे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, सुबह आप ने कहा था कि १५ मिनट का समय...

श्री अध्यक्ष---१५ मिनट में अपने अधिकार से बढ़ा देता हूं और इसके बाद अगर राय लेने के लिये समय ज्यादा लगेगा तो सदन में कोई सदस्य प्रस्ताव उपस्थित कर देंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ मजबूरियां हैं इस सदन के सेवक के नाते। अफसोस होता है माननीय सदस्यों द्वारा उन बातों को सुनकर जो कि सर्वमान्य

[श्री त्रिलोकी सिंह]

संसदीय प्रथाओं के बिलकुल विपरीत हैं। कल एक माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि उनकी कुछ तारीफ नहीं की गई। यदि वह इस सदन के नियमों के पढ़ने का कष्ट उठाने की कृपा करते तो उनको यह बात साफ मालूम हो जाती कि संशोधन के शुरू के शब्द होते हैं "किन्तु खेद है"। फिर कैसे तारीफ की जाय? यदि इस सम्बन्ध में वह कोई किताब लिख देने का कष्ट करें, तो कृपा होगी।

माननीय नेता सदन ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की और उस दिन भी कृपा की थी जिस दिन वाद-विवाद शुरू हुआ था। उसके लिये मैं आपके द्वारा कृतज्ञता प्रकट करता हूं। ४५ मिनट के समय की बात हुई। यह मान्यवर को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मैंने स्वयं कहा था कि मुझे ४०–४५ मिनट चाहिये। पृष्ठभूमि क्या थी? नेता विरोधी दल के भाषण के ऊपर कोई समय नियत नहीं किया जाता। यह मैंने कहा भी था। मगर आपकी तरफ से कहा गया कि गत वर्ष किया गया था और ३० मिनट का समय था। मैंने आज तक न यह खता की है और न आइंदा करने की गुस्ताखी करूंगा कि इस सदन की परम्पराओं को तोड़ने का जरिया बनूं या दूसरे माननीय सदस्यों का समय लूं। रियायत के लिये मैं हमेशा मशकूर रहूंगा। मेरा खयाल था और आज भी थोड़ी देर पहले तक था कि अकलमंद के लिए इशारा काफी है, लेकिन आज मालूम हुआ कि उधर के बैठने वाले लोग हैं और ऐसे तत्व में है कि जहां इशारा नहीं काफी है बल्कि जहां बार-बार कहना, कांस्टेंट हेमरिंग की जरूरत है।

मुझे अफसोस है कि माननीय नेता सदन को आर्म्स ऐक्ट का जिक्र करने का तो मौका मिला और कह दिया कि इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। लाइसेंस कौन ईश्यू करता है? यह प्रदेशीय सरकार के अन्तर्गत अधिकारी करते हैं या केन्द्रीय सरकार वाले? यह खुशी की बात है कि वह सहमत हैं कि उसे रिपील किया जाय। फिर अगर इसका रहना जरूरी नहीं है तो क्या इस सदन में प्रस्ताव लाकर संसद को यह सिफारिश नहीं की जा सकती कि इसे समाप्त किया जाय? की जा सकती है, लेकिन आज तक नहीं की गई। बल्कि उल्टे इस बात से सहमत होते हुए भी कि यह कानून बेकार है, कहने लगे कि हमने स्वतंत्रता हासिल की है, कैसे? बिना हथियार के। दूसरे लोगों ने स्वतंत्रता खोई है, कैसे? हथियार के जरिये से। यह इतिहास में एक नई बात कही गई है कि अगर हाथ में हथियार होगा तो स्वतंत्रता खोओगे और अगर निहत्थे होगे तो स्वतंत्रता कायम रहेगी। बुरा मानने की बात नहीं है, शर्म और दुःख की बात है, कम से कम मेरा मस्तक झुक जाता है। एक तरफ रूस में उसके इलाके से कई मील ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज को दुरबीन और रैडार के जरिये पता लगा कर मार गिराया। लेकिन यहां दुश्मन छाती पर कब्जा किये बैठा है और उसी पार्टी के नेता, जिसके हाथ में इस प्रदेश का राज्य है, कहते हैं कि उनके कुछ बनाये नहीं बनता। हिमालय लाइव बार्डर हो गया, १०० मील का चौड़ा हिमालय और २०–३० हजार फुट ऊंची चोटियां लाइव बार्डर हो गई हैं। क्यों नहीं मुकाबिला कर सकते? वजह यह है कि इन्होंने कौम को निहत्था बना रखा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर खुदा-न-खास्ता हमला हुआ तो यह बचा नहीं पायेंगे। कौम को निहत्था कर सड़कें बना रहे हैं। अगर दुश्मन जरा भी घुस आया तो कोटद्वार, हरिद्वार और काठगोदाम पर २४ घंटे के अन्दर मौजूद होगा। बनाइये सड़कें। सड़कों की ऐसी स्ट्रेटेजी कहीं भी नहीं रही जो आज हमारे देश में है।

लिल्ली घोड़ी और कठपुतली का जिक्र आया। राज्यपाल जी ने कहा है कि वह कुछ मूल सिद्धान्तों की चर्चा करेंगे। यह मूल सिद्धान्त है कठपुतली के जरिये से सरकार की कार्यवाही दिखाई जायेगी? हो सकता है कि माननीय नेता सदन को मेरी बात से कुछ सदमा हुआ हो। उसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो कटु सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता और दूसरे मुमकिन है कि मेरे ऊपर उनकी संगत का असर पड़ा हो और उसके प्रभाव में आकर मैंने कुछ जरूरी बातें न कही हों। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि न्याय और प्रशासन का पृथक्कीकरण किसी भी सभ्य देश में ऐसा नहीं है जहां पुलिस और मेजिस्ट्रेसी का काम साथ-साथ चले।

हाल में स्ट्राइक हुआ। कहते हैं कि मैजिस्ट्रेसी सरकार के मातहत नहीं है। लेकिन लखनऊ में जितने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं वे सब ड्यूटी पर लगा दिये गये थे और उन्हें जिलाधीश ने लगाया था। जनता अपने अधिकारों का उपभोग नहीं प्राप्त कर सकती है अगर जुडिशियरी और ऐग्जीक्यूटिव का पृथक्कीकरण नहीं होता।

इशारे से काम नहीं चलता। कहते जाओ मुमकिन है बुद्धि चमके और वे इस बात की सत्यता को समझ सकें। पी० एस० पी० और स्ट्राइक का इतना लम्बा जिक्र माननीय नेता सदन ने किया। भारत सरकार के श्रम मंत्री ने नैनीताल में त्रिदलीय सम्मेलन में दो साल पहले इस सिद्धान्त को क्या नहीं माना था कि उद्योगों में बड़ी तनख्वाह और छोटी तनख्वाह में १ से ३० से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिये ? बेल यह बोते हैं, जहां जैसा मौका देखा तकरीर कर दी, जैसा मजमा हुआ बोल दिया और जब मुसीबत आती है तो अगर कोई शख्स कहे कि यह मांग न्यायोचित है तो कहते हैं कि देशद्रोही हैं। कौन देशद्रोही है ? २२ लाख सरकार के कर्मचारी थे जिन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया। उसमें से २ लाख ने हड़ताल में हिस्सा लिया। कोई सरकार १३, १४ साल राज्य करने के बाद जिसके १० फीसदी कर्मचारी द्रोह का काम कर सकें, सोचने की बात है कि उस सरकार की गलती है या कर्मचारियों की गलती है उधर के सब लोग मानते हैं, राज्यपाल ने बयान में भी कहा, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इतनी चौक चौबन्दी से काम किया गया नहीं तो हालत बदतर होती। श्रेय लेते हैं कि २ लाख से ज्यादा आदमी हिस्सा नहीं ले पाये। दूसरे मानी में अगर दफा १४४ न लगाते, आर्डिनेंस न निकालते तो १० लाख आदमी हिस्सा लेते बजाय २ लाख के। जिस सरकार के कर्मचारी डंडे के जोर पर सरकार के हुकुम की तामील करते हैं वह सरकार बहुत दिन नहीं चल सकती। भले ही कुछ आदमियों को जेल भेज दें नौकरी से निकाल दें लेकिन यकीन मानिये इससे मामला हल नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में मैं अर्ज कर चुका हूं कि इनको छोड़ा जाय।

हम लोग जब जेल १९३२ में गये थे तब ६ हफ्ते आन्दोलन नहीं चला था और सर सैमुअल होर ने कहा था कि एक कुत्ता भौंकने वाला नहीं है। वह सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार इंडिया थे। सन् ४२ का आन्दोलन भी ६ हफ्ते नहीं चला। लेकिन उसके पीछे देश के करोड़ों लोगों का समर्थन था। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि भले ही आज यह स्ट्राइक असफल हो गयी हो लेकिन जिन लोगों ने स्ट्राइक किया और आज जो पीड़ित किये जा रहे हैं उनके पीछे लाखों उन कर्मचारियों की जो स्ट्राइक में शरीक नहीं हुये थे, सद्भावना थी और आज भी है। और इसलिये मैं कहता हूं कि गलती की उन्होंने जिन्होंने स्ट्राइक शुरू किया। मगर ५ ही दिन बाद कहा कि हमसे गलती हुई और इसीलिये स्ट्राइक वापस लिया। वरना कोई कारण नहीं था स्ट्राइक वापस लेने का। और आज उसी गलती को ठीक करने के कारण आज उनको ठुकराया जा रहा है। भले ही उनको ठुकरा लें, इस पार्टी के पास राज सत्ता है, मैं नहीं चाहता हूं कि उसमें कोई ऐसा विघ्न पड़े जिससे कोई ऐसा उपद्रव पैदा हो जिसकी तरफ़ मुख्य मंत्री जी ने इशारा किया। हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का और हमारा इस मामले में साथ हुआ हो लेकिन मैं निहायत अदब के साथ कहूंगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने पार्टी की हैसियत से, प्रान्त की, केन्द्र की, जिले की या शहर की, कहीं भी यह प्रस्ताव नहीं पास किया कि इस हड़ताल को संगठित किया जाय। व्यक्तिगत रूप से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता—मुझे इसके कहने में शर्म नहीं है—जो इन यूनियन्स के सभापति और सदस्य थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन क्या उनको पता नहीं कि लखनऊ नगर के एक कांग्रेसी भी जेल काट आये और वह कांग्रेसी जो सक्रिय मेम्बर थे, श्री कन्हैयालाल ? हम सरकार को कहते हैं कि तुम देश को बरबाद किये दे रहे हो लेकिन यह कहना कि हम देशद्रोही हैं, मैं समझता हूं कि इस पर वह जरा ग़ौर करेंगे।

मान्यवर, मैं यह जिक्र करूं कि कुछ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में इज़ाफा किया, मैं आशा करता था कि जो प्रश्न मैंने उठाये थे उनका कुछ संकेत में माननीय नेता सदन जरूर

[श्री त्रिलोकी सिंह]

जिक्र करेंगे लेकिन उन्होंने इतनी कृपा नहीं की, यह मेरी शिकायत है। सिर्फ आर्म्स ऐक्ट का ही उन्होंने जिक्र किया। यहां के कर्मचारियों की तनख्वाहें सन् ४७ में मुकर्रर की गयी थीं। उस समय से ५० फी सदी रहने-सहने का खर्च बढ़ गया। सिर्फ साढ़े ५ रुपया बढ़ाया गया। क्या उनका यह ख़याल है कि इससे काम चल जायगा? नहीं चलेगा। और मैंने यह बात आज नहीं ६ महीने पहले भी कही थी बजट के सिलसिले में हालांकि उन दिनों मैं बीमार था और इस सदन की सेवा करने से वंचित था कि इस प्रश्न पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। रुपये-पैसे का जहां तक सवाल है, इस समय भी, मुझे मालूम है कि इस प्रदेश की जितनी भी आय है उसमें लगभग ५० फी सदी केन्द्रीय सरकार से किसी न किसी रूप में मिलता है, चाहे वह अनुदान हो, ऋण हो या कुछ हो। लेकिन ये भूखे और नंगे आदमियों से कब तक काम लिया जा सकता है?

हमारे यहां लेबर पोटेन्शल बहुत काफी है, आदमी मेहनत करने के लिये तैयार है लेकिन उसको काम करने का कोई जरिया नहीं है। हमें उसकी मजदूरी को ठीक करना है। हमारे यहां १६ फीसदी मेल पोटेन्शल का लेबर बेकार है। उन्हें काम दिलाने का प्रबन्ध हमें करना है। इसीलिये मैंने कहा कि मैं बहुत अनुगृहीत हूं आपका, इस आदरणीय सदन का और माननीय नेता सदन का कि उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनी और मैं यह आशा करता हूं कि सुनी ही नहीं बल्कि उस पर विचार करेंगे और उस पर अमल करने की कृपा करेंगे।

श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के पश्चात् मेरे लिये कुछ भी कहना "छोटे मुंह बड़ी बात" होगी। मैं इस आदरणीय सदन का एक मिनट भी नहीं लेना चाहता था। मुझे खेद है इस बात का कि मुख्य मंत्री जी के भाषण के पश्चात् भी उन्हीं बातों को दुहराया गया जो प्रारम्भिक भाषणों में कही गई थीं। उनकी बात को सुनकर अंग्रेजी की वह उक्ति याद आती है कि "Though vanquished, he will argue still" उन्हीं बातों के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालूंगा।

स्ट्राइक के सम्बन्ध में विवरण के साथ मुख्य मंत्री जी ने अपने विचार सदन के समक्ष रखे। उसके उत्तर में माननीय ब्रजनारायण जी तिवारी खड़े हुये और उन्होंने सदन के समक्ष एक चैलेञ्ज दिया, एक चुनौती दी, कि याद रखिये कि हम ऐसी हड़तालों का साथ देते रहेंगे। जो-जो बातें मुख्य मंत्री जी ने रखी थीं, जो-जो भयंकर परिस्थितियां उपस्थित हो सकती हैं सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल द्वारा, उनको हड़ताल करने का क्यों अधिकार नहीं है, इन सब बातों के ऊपर किसी भी माननीय नेता ने कुछ नहीं कहा।

मुझे शोक है कि अगर डेढ़-डेढ़ लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य जो इस सदन में उपस्थित हैं, इतना समय भी नहीं दे सकते हों कि वह उन तर्कों के सम्बन्ध में विचार करें और अपने मूल्यवान विचारों से परामर्श दें ताकि हम व सरकार अपनी भूलों का परिमार्जन कर सकें, तो, श्रीमन्, उन्हें कहां अधिकार है यह कहने का कि जो कुछ तुमने किया वह गलत किया?

अध्यादेश के सम्बन्ध में इस सदन के समक्ष शिकायत की गई। मैं तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि याद रहे, विष की औषधि विष है, भयंकर रोगका इलाज भयंकर चिकित्सा से ही होता रहेगा और हम वह तरीके बरतते रहेंगे जो भयंकरता का निराकरण करेंगे, यह निश्चय है।

माननीय चन्द्रजीत यादव ने खड़े होकर कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों का और कम्यूनिस्ट नीति का प्रतिपादन हमारे सामने किया। हम इतने विचार अक्षम नहीं हैं, हमारी आंखें आज देख सकती हैं, हमारे कान आज माजूर नहीं हुये हैं और हम तुम्हारी गतिविधि को आज से नहीं २० वर्षों से देख रहे हैं। जिस समुदाय का सिद्धान्त यह है कि कम्यूनिज्म एक सीमाबद्ध स्थान का नहीं, एक राज्य का नहीं, एक देश का नहीं, वह संसार भर की एक कम्युनिटी का है जिनकी विचारधारा अपने देश और अपने राष्ट्र से सम्बद्ध न हो बल्कि कम्यूनिस्ट देशों से

जिनका सम्बन्ध हो, जो समुदाय यह हिम्मत न रखें कि आक्रामक को आक्रामक कह सकें, जिस समुदाय में यह तरीका हो कि अगर उनका कोई सदस्य चीन को आक्रामक कह दे तो उसे पार्टी से वहिष्कृत कर दिया जाय, क्या उसको हम नहीं समझते? तुम्हारे दिल कहां हैं, तुम्हारा दिमाग कहां है, तुम्हारी सहानुभूति कहां है, तुम्हारा सम्बन्ध किससे है, क्या यह हम नहीं समझते? आधारभूत नियम इस समुदाय का है कि जिस देश में रहो वहां एक अव्यवस्था उत्पन्न करो; उस अव्यवस्था का लाभ उठा कर तुम वाह्य शक्तियों की सहायता से, कम्यूनिज्म स्थापित करो। यह हमारा आपके सम्बन्ध में विचार है और चूंकि यह विचार हम स्पष्ट करते रहे हैं, अतः आपका कर्तव्य यह है कि आप अपनी बातों से अपने तरीकों से, अपने विचारों से, अपने कृत्यों से आपके प्रति जो शंकायें भारतीय समाज में पैदा हो गई हैं, उनका निवारण करें। अगर हम अपनी शंकाओं को बार-बार कहते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आपमें कोई ऐसे दोष उत्पन्न हो गये हैं जिनका परिमार्जन करना आपका कर्त्तव्य है।

श्रीमन्, हमारे ताल्लुकेदार साहब, खजुराहट के हैं। यह जिन बातों की जितनी शिकायत करते हैं इस सदन के बाहर उनको सब पसन्द हैं। इनको पसन्द है कि गाड़ियां अच्छी हों, इनको पसन्द है कि मोटर ठीक हों, इनको पसन्द है वह सब बातें जो इनके क्षेत्र के अन्दर विकास सम्बन्धी हो रही हैं। उनका यह पूरा लाभ उठाते हैं, मैं इनको खूब जानता हूं। लेकिन क्या करें, आज एक पार्टी के लीडर हो गए और इस सदन में बैठ कर जैसे वकील होता है उसी तरह से खड़े होकर दो-चार बातें कह देते हैं। मगर दिल में यह हमारे साथ हैं। यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हृदय में माननीय त्रिलोकीसिंह जी के प्रति हार्दिक आदर है। खेद इस बात का होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि विरोधी दल का नेता होने के नाते मुझे इस सदन में अपने विचार रखने हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि आर्म्स ऐक्ट हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है? क्या यह सत्य नहीं है कि आर्म्स ऐक्ट में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या यह सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार केवल उत्तर प्रदेश की विधान सभा की मंत्रणा से अपना आर्म्स ऐक्ट बदलने के लिए विवश न होगी? यह एक सार्वदेशिक प्रश्न है। यह सार्वदेशिक प्रश्न सार्वदेशिक सभाओं, सार्वदेशिक विचार-धाराओं पर आधारित है। माननीय त्रिलोकीसिंह जी इस बात को जानते हैं कि पुलिस प्रश्नावली में ११वां अथवा १२वां प्रश्न शायद यह है कि आर्म्स ऐक्ट की वर्तमान नीति में आप क्या-क्या परिवर्तन चाहते हैं? स्पष्ट है कि हम, या पार्टी जो शासनारूढ़ पार्टी है, इस बात का अनुभव करती है कि आर्म्स ऐक्ट की नीति में परिवर्तन हो। परन्तु जब श्रीपालसिंह जी खड़े होकर यह कहते हैं कि हमारी पंचायत के पंच दिन में बैठ कर पंचायत करते हैं और रात में जाकर सेंध फोड़ते हैं, जब कुंवर श्रीपाल सिंह जी कहते हैं कि सरपंच दिन में न्याय करते हैं और रात में चोरों के साथ मिल कर हिस्सा बंटाते हैं—जहां पर इस प्रकार की विचारधारा प्रस्तुत होती है वहां पर सरकार उद्विग्न होकर कोई निश्चय नहीं कर पाती। जब तक आपका सन्तुलित परिपुष्ट विचार न मिल जाय, तब तक किसी निश्चय पर पहुंचना कठिन है। इसी दृष्टि से यह प्रश्न प्रश्नावली में रखा गया है।

दूसरा एक दृष्टिकोण माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने रखा। वह कहते हैं कि चीन अगर उतरा, तो कानपुर और लखनऊ की सड़कों पर लड़ाइयां होंगी। आदरणीय विरोधी दल के नेता क्या इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि सिक्ख जब पंजाब से चले तो कृपाण उनके साथ बगल में थी लेकिन मरते, खपते और भागते वह आये। मैं दुबे जी ने जो कल कहा था, उसका समर्थन करता हूं कि देश और राष्ट्र का संरक्षण मनोबल से होता है, पराक्रमिक मनोवृत्ति से देश और राष्ट्र का संरक्षण हो सकता है। अनुशासनहीन आत्मा से संरक्षण नहीं हो सकता है। अनडिसिप्लिन्ड फोर्स, जो कभी फौज में भरती नहीं हुआ या फौज में जिसने काम नहीं किया, वह रेगुलर आर्मी का मुकाबला करेगा, यह भ्रम है। इसके ऊपर, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे पुनः विचार करें।

[श्री मदन मोहन वर्मा]

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं, जिसको मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से इस सदन के समक्ष निवेदन किया, कि धन्यवाद का प्रस्ताव अगर हम रख रहे हैं तो इसलिये नहीं कि हमने शासन के उच्चतम आदर्श बिन्दु की उपलब्धि कर ली है। हम यह मानते हैं कि हमारी बहुत-सी उपलब्धियां हैं और बहुत सी विफलतायें हैं, किन्तु हमारे साधन, हमारी परिस्थितियां और हमारी सामग्री इन सब को देख कर आप हमारी उपलब्धियों को आंकें और भविष्य में इसी दृष्टि से आंकते रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि जो प्रस्ताव मैंने आदरणीय सदन के समक्ष रखा है वह स्वीकार न हो।

श्री अध्यक्ष---पहले मैं मूल प्रस्ताव ले लेता हूं। मूल प्रस्ताव यदि स्वीकार हो जाता है तो यह मान लिया जायगा कि सब संशोधन गिर गये। यह प्रथा रही है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं श्री राज्यपाल के संबोधन के लिये जो, उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर १० मिनट पर सोमवार, १ अगस्त, १९६०, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२९ जुलाई, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर, पीछे पृष्ठ २९९पर)

सूची 'क'

हरिजन सहायक समिति, गोरखपुर, ने राज्य व केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत तहसीलवार जो धनराशि विभिन्न मदों में स्वीकृत की है उसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम-सं०	विषय	तहसील महाराजगंज		तहसील फरेंदा		तहसील सदर		तहसील बांसगांव	
		१९५८–५९	१९५९–६०	१९५८–५९	१९५९–६०	१९५८–५९	१९५९–६०	१९५८–५९	१९५९–६०
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
	राज्य योजना के अन्तर्गत								
१	गृह उद्योग ..	१,०५०	१,५००	५७५	१,५००	२,७५०	९००	१,०००	१,५००
२	कूप निर्माण तथा सुधार	२,८००	१,५००	२,४५०	२,५००	१,२५०	१,५००	५००	१,५००
३	भवन निर्माण तथा सुधार	६३०	१,२३०	३,५२०	१,२७०	१,३५०	८००	..	७००
४	कृषि अनुदान ..	..	२,०००	..	१,७००	..	१,२००	..	६००
५	क्षय रोगियों को सहायतार्थ	..	..	..	..	७००	१,०००	..	..
	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत								
१	गृह उद्योग ..	..	..	..	१,०००	..	..	..	२,०००
२	कूप निर्माण ..	..	७५०	..	१०,५००	..	१,५००	..	१२,७५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ख'

सन् १९५८–५९ व १९५९–६० में गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ व बस्ती जिलों में अलग-अलग कामों के लिये निम्नलिखित सहायता सरकार की ओर से दी गई :

क्रम-सं०	विषय	गोरखपुर		देवरिया		आजमगढ़		बस्ती	
		१९५८–५९	१९५९–६०	१९५८–५९	१९५९–६०	१९५८–५९	१९५९–६०	१९५८–५९	१९५९–६०
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
	राज्य योजना के अन्तर्गत								
१	गृह उद्योग ..	५,५००	५,४००	५,५५०	३,७००	६,३२५	५,४००	६,०२५	५,४००
२	कूप निर्माण तथा सुधार	७,०००	७,०००	६,०००	५,४००	८,०००	८,०००	९,०००	८,०००
३	भवन निर्माण तथा सुधार	५,५००	४,०००	३,७००	५,०००	५,७००	४,५००	५,६००	५,५००
४	क्षय रोगियों को सहायतार्थ अनुदान ..	७००	१,०००	२००	..	१५०	१५०	४५६	१५०
५	भवनों के लिये भूमि क्रय करने हेतु अनुदान ..	८,०००	५००	..	५००	..	१,०००	..	१,०००
६	कृषि उन्नति ..	..	५,५००	..	२,८००	..	५,६००	..	५,६००

अनावृत्त विधान सभा

कन्द्रीय योजना (केवल हरिजनों के लिये)

१	गृह निर्माण	..	१,१२,५००	१५,०००	१,१२,५००	४८,७५०	१,१२,५००	११,२५०	१,१२,५००	११,२५०
२	कूप निर्माण	..	३९,०००	३,७५०	३९,०००	४,५००	३७,५००	३,७५०	३७,५००	३,७५०
३	कृषि अनुदान	..	१५,०००	..	१५,०००	..	१५,०००	..	१५,०००	..
४	गृह उद्योग	..	२,५००	..	२,५००	..	२,५००	..	२,५००	..

केन्द्रीय योजना (अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों के लिये)

१	कूप निर्माण (पेय जल)	..	२१,७५०	..	२१,७५०	..	२१,७५०	..	२१,७५०
२	कूप निर्माण (सिंचाई हेतु)	..	४५,०००	..	४५,०००	..	४५,०००	..	४५,०००
३	गृह उद्योग ..	..	३,०००	..	३,०००	..	३,०००	..	३,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ३०० पर)

वर्ष	आवर्तक	अनावर्तक
	रु०	रु०
१९५८–५९	६,७७,०००	४,७५,०००
१९५९–६०	९,१०,१००	५,७७,९५७

आवर्तक अनुदान अध्यापकों व कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई व यात्रा भत्ता व प्रासंगिक व्यय मदों पर खर्च करने के लिये दिया गया था। अनावर्तक अनुदान भवन निर्माणार्थ व उनकी मरम्मत तथा सज्जा सामग्री क्रयार्थ दिया गया था।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ३१२ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	पद	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या	बैकवर्ड जाति के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या
१	आई० जी० पुलिस ..	.. १	..	..
२	डी० आई० जी० पुलिस	.. १४	..	..
३	सुपरिन्टेंडेंट पुलिस ..	.. ७७	१	२
४	असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट ..	.. ३०	२	..
५	डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस	.. २८२	१२	५
६	सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर	.. १२	..	१
७	इन्सपेक्टर ..	.. ४४८	..	१३
८	पब्लिक प्रासीक्यूटर ..	.. ७१	..	२
९	सब-इन्सपेक्टर ..	.. ३,३०१	१५८	१९९
१०	असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर	.. ३७६	१	९
११	हेड कान्सटेबिल ..	.. ८,२२७	१००	६१३
१२	कान्सटेबिल ..	.. ४८,३६६	१,४१६	६,०६०
१३	क्लर्क स्टाफ ..	.. १,४९४	७	९५
१४	फालोअर्स ..	.. २,३०९	७५३	६००
१५	अर्दली प्यून ..	.. ८०८	४४	२६२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१३ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के ५वें शुक्रवार को श्री अमर नाथ मिश्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर तथा तत्संबंधी अनुपूरक प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
३१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उर्दू शिक्षा के लिये खुले स्कूलों को वित्तीय वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में कुल कितना अनुदान दिया है जिसमें शिक्षा तथा भवन निर्माण के सम्बन्ध में अलग-अलग कितनी रकम दी गई है।	३१—उर्दू शिक्षा के लिये शासन द्वारा कोई पृथक स्कूल नहीं खोले गये हैं अतः अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता।

अनुपूरक प्रश्न तथा उत्तर

प्रश्न	उत्तर
श्री रामस्वरूप वर्मा— क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस्लामिया स्कूल जो प्रदेश में हैं उनको कुल सरकारी ग्रान्ट पिछले २ सालों में अलग-अलग कितनी दी गई है?	पिछले साल इस्लामिया स्कूलों को ५,४९,३१० रुपया और इस साल ५,९१,५१० रुपया दी गई।

उक्त अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वांछित संशोधन

अंक ५,४९,३१० के स्थान में ५,९१,५१० तथा ५,९१,५१० के स्थान में ६,४८,६४० पढ़ा जाय। यह भी विदित रहे कि यह धानराशि निर्धारित मिनिमा की है न कि शासकीय अनुदान की। इस्लामिया स्कूलों या मकतबों को शासन द्वारा सीधे कोई अनुदान नहीं दिया जाता वरन् सम्बन्धित जिला परिषदों को एकमुश्त अनुदान उनके समस्त शिक्षा व्यय के लिये दिया जाता है।

दीनदयालु शास्त्री,
उप मंत्री, शिक्षा।

पी० एस० यू०—पी० ए० पी०—११३ एल० ए०—१९६०—८४५।